VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

राज्यव्यवस्था

MAINS 365

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2024

अगस्त 2023 – मई 2024

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

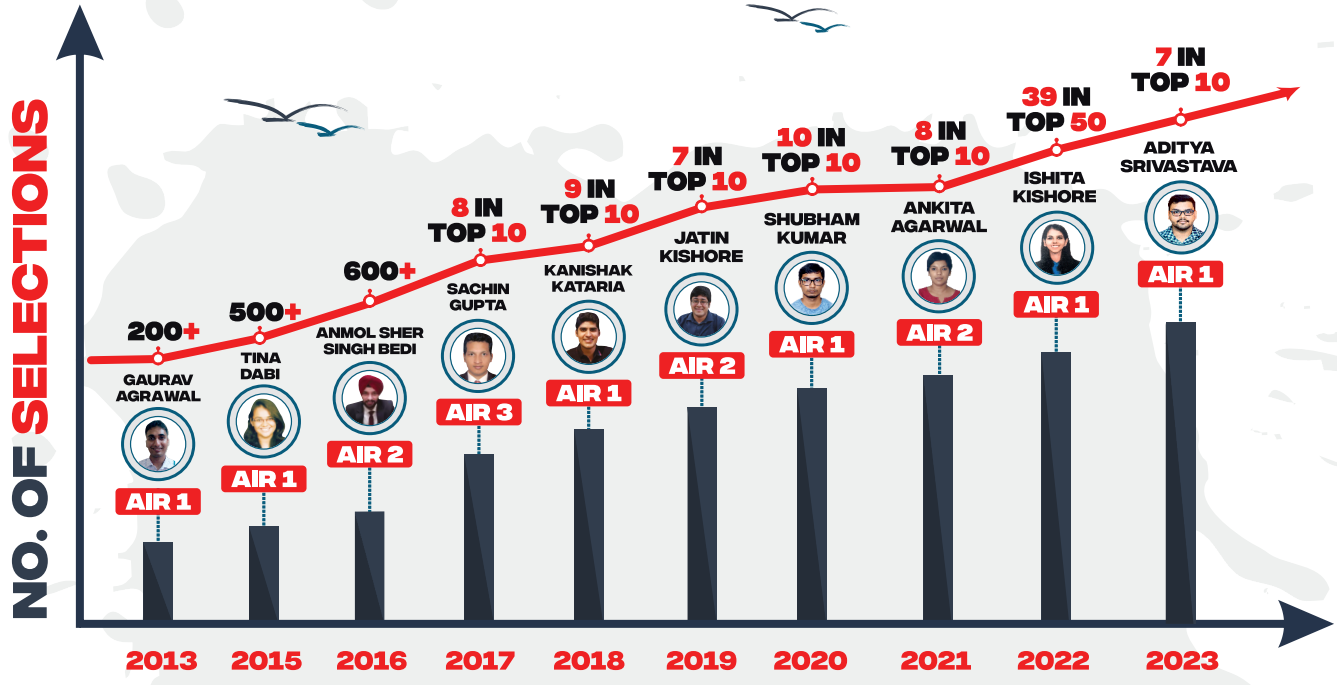

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 16 JULY, 1 PM | 18 JULY, 9 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | **BENGALURU:** 12 & 18 JULY | **BHOPAL:** 18 JULY | **CHANDIGARH:** 18 JULY
HYDERABAD: 24 JULY | **JAIPUR:** 22 JULY | **JODHPUR:** 22 JULY | **LUCKNOW:** 17 JULY | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 18 जुलाई, **1 PM** | **BHOPAL: 23** जुलाई | **LUCKNOW: 18** जुलाई | **JAIPUR: 25** जुलाई | **JODHPUR: 11** जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

विषय-सूची

1. भारतीय संविधान, उसके मुख्य प्रावधान और मूल ढांचा (Indian Constitution, Provisions And Basic Structure) ____ 4

1.1. आरक्षण: एक नज़र में ____ 4

1.1.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ____ 5

1.2. नागरिकता: एक नज़र में ____ 6

1.2.1. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 ____ 7

1.3. हेट स्पीच ____ 8

1.4. अनुच्छेद 370 की समाप्ति ____ 10

1.5. अनुच्छेद 142 ____ 11

1.6. समान नागरिक संहिता ____ 13

1.7. लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग ____ 15

1.8. नौवीं अनुसूची ____ 16

1.9. परिसीमन आयोग ____ 17

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure) __ 19

2.1. संघवाद: एक नज़र में ____ 19

2.1.1. सहकारी संघवाद ____ 20

2.1.2. राजकोषीय संघवाद ____ 21

2.1.3. विशेष श्रेणी का दर्जा ____ 23

2.2. एस. आर. बोम्मई निर्णय (1994) ____ 24

2.3. अंतर्राज्यीय जल विवाद: एक नज़र में ____ 26

2.4. राज्यपाल की भूमिका ____ 27

2.5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 ____ 28

2.6. एक राष्ट्र एक भाषा ____ 30

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना एवं कार्य-प्रणाली (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning) ____ 32

3.1. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार ____ 32

3.1.1. विधि-निर्माताओं का निष्कासन ____ 33

3.1.2. अमेरिका और भारत में महाभियोग ____ 35

3.2. संसदीय कार्य-प्रणाली ____ 36

3.3. अध्यक्ष का पद ____ 37

3.4. दल-बदल रोधी कानून ____ 38

3.5. प्रत्यायोजित विधान ____ 40

4. न्यायिक और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना एवं कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and other Quasi-Judicial Bodies) ____ 42

4.1. भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष: एक नज़र में ____ 42

4.2. आपराधिक न्याय प्रणाली: एक नज़र में ____ 43

4.2.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम 44

4.2.1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 ____ 44

4.2.1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ____ 45

4.2.1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ____ 46

4.2.2. जेल सुधार ____ 47

4.3. भारत में अधिकरण प्रणाली ____ 48

4.4. न्यायिक सुधार ____ 49

4.4.1. न्यायिक नियुक्तियां ____ 49

4.4.1.1. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ____ 51

4.4.2. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें ____ 52

4.4.3. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ____ 53

4.5. न्यायिक जवाबदेही ____ 54

4.6. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): एक नज़र में ____ 56

4.6.1. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 ____ 56

4.7. नि:शुल्क विधिक सेवा: एक नज़र में ____ 58

4.7.1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ____ 58

5. भारत में चुनाव (Elections in India) ____ 61

5.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 ____ 61

5.2. चुनाव सुधार: एक नज़र में ____ 63

5.2.1. एक साथ चुनाव ____ 63

5.2.2. चुनावी फंडिंग ____ 65

5.2.3. चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम पात्रता आयु कम करना ____ 67

5.2.4. राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र ____ 67

5.3. राजनीति का अपराधीकरण ____ 69

5.4. आदर्श आचार संहिता ____ 70

5.5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव ____ 71

5.6. मास मीडिया और चुनाव ____ 72

5.7. नगरपालिका चुनाव ____ 74

 © Vision IAS

6. शासन व्यवस्था (Governance) 76
6.1. प्रशासनिक सुधार: एक नज़र में 76
6.1.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका 77
6.1.2. प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना 78
6.2. लोकपाल और लोकायुक्त 79
6.3. ई-गवर्नेंस: एक नज़र में 82
6.3.1. सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका 83
6.4. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 84
6.5. सेंसरशिप: एक नज़र में 87
6.5.1. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 88
6.5.2. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 88
6.5.3. डिजिटल सर्विसेज एक्ट 90
6.6. भारत में एनवायर्नमेंटल गवर्नेंस 91
6.6.1. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण 92
6.7. भारत में मंदिरों का विनियमन 93
7. स्थानीय स्वशासन (Local Governance) 96
7.1. भारत में अर्बन गवर्नेंस 96
7.1.1. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण 97
7.2. पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति 98
8. महत्वपूर्ण अधिनियम एवं विधान (Important Acts and Legislations) 101
8.1. नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, 2023 101
8.2. दूरसंचार अधिनियम, 2023 102
8.2.1. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का विनियमन 104
8.2.2. इंटरनेट शटडाउन 105
8.3. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 107
9. विविध (Miscellaneous) 109
9.1. नागरिक समाज: एक नज़र में 109
9.1.1. राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध 109
9.2. भारत में समाजवाद 111
9.3. सूचना का अधिकार 113
9.4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 114
10. विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 2013-2023 (विषयवार) {Previous Year Questions 2013-2023 } 116
11. परिशिष्ट (Appendix) 131

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जिससे आपको उत्तर तैयार करने व संक्षेप में लिखने, कंटेंट को बेहतर रूप से समझने और उसे याद रखने में सहायता मिलेगी।

Mains 365 राजव्यवस्था: प्रमुख विशेषताएं

संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव: प्रत्येक टॉपिक को संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव रूप से प्रस्तुत करने के लिए, प्रासंगिक उदाहरणों और न्यायिक मामलों को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स: इन्हें टॉपिक्स को तेजी से रिवाइज करने तथा उन्हें याद रखने में आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वैल्यू एडिशन: ये इन्फोग्राफिक्स संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों को आसानी से समझने में मदद कर सकते हैं।

स्टेटिक टॉपिक्स: जल्दी रिविजन के लिए "टॉपिक - एक नज़र में" वाले खंड को जोड़ा गया है।

विगत वर्षों के प्रश्न: बेहतर तरीके से रिविजन हेतु सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

परिशिष्ट: संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों को संक्षेप में समझने हेतु परिशिष्ट को शामिल किया गया है।

वीकली फोकस: प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 डॉक्युमेंट्स आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेंगे।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

1. भारतीय संविधान, उसके मुख्य प्रावधान और मूल ढांचा (Indian Constitution, Provisions And Basic Structure)

1.1. आरक्षण: एक नज़र में (Reservation at a Glance)

आरक्षण

आरक्षण एक ऐसा उपकरण है, जो वंचितों को **समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अधिकार** प्रदान करता है, भले ही वह शासन में हो या शिक्षा के क्षेत्र में।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(4):** सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs), SCs और STs के लिए **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।**
- **अनुच्छेद 15(6) और 16(6):** शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 10% आरक्षण। (103वां संशोधन अधिनियम 2019)।
- **अनुच्छेद 16(4), 16(4a) और 16(4b):** पदों और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।
- **अनुच्छेद 243D** के तहत प्रत्येक **पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 330** लोक सभा में **अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 332,** राज्य विधानसभाओं में **अनुसूचित जनजातियों** के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

भारत में आरक्षण मुख्य न्यायिक निर्णय

- **इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ वाद (1992)**
  - **अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा** तय की गई थी।
  - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
  - पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर के लाभ से बाहर किया जाना चाहिए।
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006):** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, जिनमें निम्नलिखित तीन शर्तों को शामिल किया गया है।
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा।
  - उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य।
  - समग्र प्रशासनिक दक्षता।
- **जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए SCs और STs के पिछड़ेपन को दर्शाने हेतु मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद (2022):** सुप्रीम कोर्ट ने **103वें संविधान संशोधन अधिनियम** को बरकरार रखा। यह अधिनियम **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण** का प्रावधान करता है।

1.1.1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections: EWS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद, 2022** में सुनवाई के बाद **103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार** रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग[1] की आबादी में **EWS को 10% आरक्षण** दिया गया है।

EWS आरक्षण के बारे में

- **सिन्हो आयोग** की सिफारिशों के आधार पर EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- **EWS आरक्षण** आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ ST) वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** के द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 15(6) और 16(6)** को जोड़ा गया है।
  - यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को EWS को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है।
  - हालांकि, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को आरक्षण दिया जाए या नहीं।
- EWS आरक्षण, **SCs, STs और OBCs को मिले आरक्षण के अतिरिक्त** है।
- **सकारात्मक कार्रवाई की राजनीति को नया रूप देता है: राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद (2015)** में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों की गैर-जाति आधारित पहचान की आवश्यकता का सुझाव दिया था।

EWS आरक्षण से संबंधित चिंताएं

- **आरक्षण सामाजिक उत्थान के लिए है:** एक पारंपरिक अवधारणा के रूप में आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक उत्थान करना है। इसका उपयोग **गरीबी उन्मूलन उपाय** के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- **समानता के सिद्धांत का उल्लंघन:** OBCs व SCs/ STs समुदायों को EWS से बाहर करने से, **खुली प्रतियोगिता के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी पात्रता में समानता का स्पष्ट उल्लंघन होता है।**
- **आय मानदंड के साथ समस्या:** 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के आय मानदंड पर पहले ही सवाल उठाया जा चुका है। इसका कारण यह है कि इस मानदंड से सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
- **लोकलुभावनवाद का साधन:** आलोचकों ने **EWS आरक्षण की राजनीतिक प्रकृति** की ओर भी संकेत किया है। इस कदम से राजनीतिक रूप से सामाजिक तनाव के बढ़ने की संभावना है।

आगे की राह

- **विस्तृत डेटा और दिशा-निर्देश:** सर्वाधिक वास्तविक लक्ष्य समूहों की पहचान करने के लिए **अधिक विस्तृत डेटा और दिशा-निर्देश** महत्वपूर्ण हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अत्यंत जरूरतमंद व्यक्तियों को इस नीति का लाभ मिल सके।
- **वैचारिक ढांचे को लगातार विकसित करना:** पिछड़ेपन को शामिल करने से सकारात्मक कार्रवाई **कहीं अधिक समावेशी हो।**
- **रोजगार बढ़ाना: रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां** EWS के लिए बेहतर काम करेंगी।
- **शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता देना**: इससे कुछ चुनिंदा संस्थानों में आरक्षण की मांग कम हो सकेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे।

[1] General category

1.2. नागरिकता: एक नज़र में (Citizenship at Glance)

नागरिकता (Citizenship)

नागरिकता एक तरह से बहिष्करण का विचार है क्योंकि इसमें गैर-नागरिक शामिल नहीं होते हैं। यह संघ सूची का एक विषय है। संविधान में 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके: जन्म से, वंश के आधार पर, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा नागरिकता।

नागरिकता का अर्जन (Acquisition of citizenship): जन्म से (By Birth), वंशानुक्रम के आधार पर (By Descent), देशीयकरण द्वारा या प्राकृतिक रूप से (By Naturalization), रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण द्वारा (By Registration) किसी राज्यक्षेत्र का भारत का भाग बन जाने से (By acquisition of territory)।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 5:** संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
- **अनुच्छेद 6:** पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- **अनुच्छेद 7:** पाकिस्तान को प्रव्रजन/प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- **अनुच्छेद 8:** भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- **अनुच्छेद 9: किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।**
- **अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।**
- **अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना।**

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

CAA का उद्देश्य प्रवासियों के एक विशेष समूह को नागरिकता प्रदान करना है, भले ही उनके पास **1955 के नागरिकता अधिनियम** के अनुसार यात्रा के वैध दस्तावेज नहीं हैं।

- **जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा:**
  - वे **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म** से हों;
  - वे **अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश** से आये हों, उन्होंने **31, दिसंबर 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; तथा
  - वे संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल **असम, मेघालय, मिजोरम** और **त्रिपुरा** के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में नहीं आते हों; या
  - **वे 'इनर लाइन' परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड)** के तहत आने वाले **क्षेत्रों में नहीं** आते हों।
- उपर्युक्त प्रवासियों के लिए **देशीयकरण (Naturalisation) के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दी गई है।
- **केंद्र सरकार OCI के पंजीकरण को अग्रलिखित पांच आधारों पर रद्द कर सकती है:**
  - **धोखाधड़ी** के जरिए पंजीकरण करवाना,
  - भारत के संविधान के प्रति **निष्ठा न रखना,**
  - युद्ध के दौरान **शत्रु के साथ संपर्क रखना,**
  - यदि **भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो,** या
  - यदि पंजीकरण के **पाँच साल के भीतर, प्रवासी भारतीय नागरिक को दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो।**

1.2.1. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने **नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन** किया है और **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** को अधिसूचित किया है। ऐसा **नागरिकता संशोधन अधिनियम[2], 2019 को लागू** करने के उद्देश्य से किया गया है।

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

पात्रता	• पंजीकरण/ देशीयकरण के तहत कौन भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है: ○ **भारतीय मूल** का व्यक्ति, ○ किसी भारतीय नागरिक से **शादी करने वाली महिला या पुरुष,** ○ भारतीय नागरिक की **नाबालिग संतान,** ○ वह व्यक्ति जिसके **माता-पिता भारतीय नागरिक** के रूप में पंजीकृत हैं, ○ वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक **स्वतंत्र भारत की/ का नागरिक** रही/ रहा है, ○ **OCI कार्डधारक** के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं	• नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए **विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ-पत्र** दाखिल करना होगा। साथ ही, उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए **किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत** करना होगा। • आवेदक को भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान** होना चाहिए।
राष्ट्रीयता का प्रमाण	• नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए **दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट** दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में **20 अलग-अलग दस्तावेज** प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि शामिल हैं।
दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना	• आवेदक को एक घोषणा-पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके **अपने देश की नागरिकता समाप्त** मानी जाएगी।
प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है	• **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत,** नागरिकता के लिए आवेदन **जिला स्तरीय समिति** के माध्यम से **अधिकार प्राप्त समिति[3]** को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। **जिला स्तरीय समिति** के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। ○ **अधिकार प्राप्त समिति** आवेदन की जांच करेगी और मानदंड पूरा करने पर आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है।

[2] Citizenship Amendment Act: CAA

[3] Empowered Committee

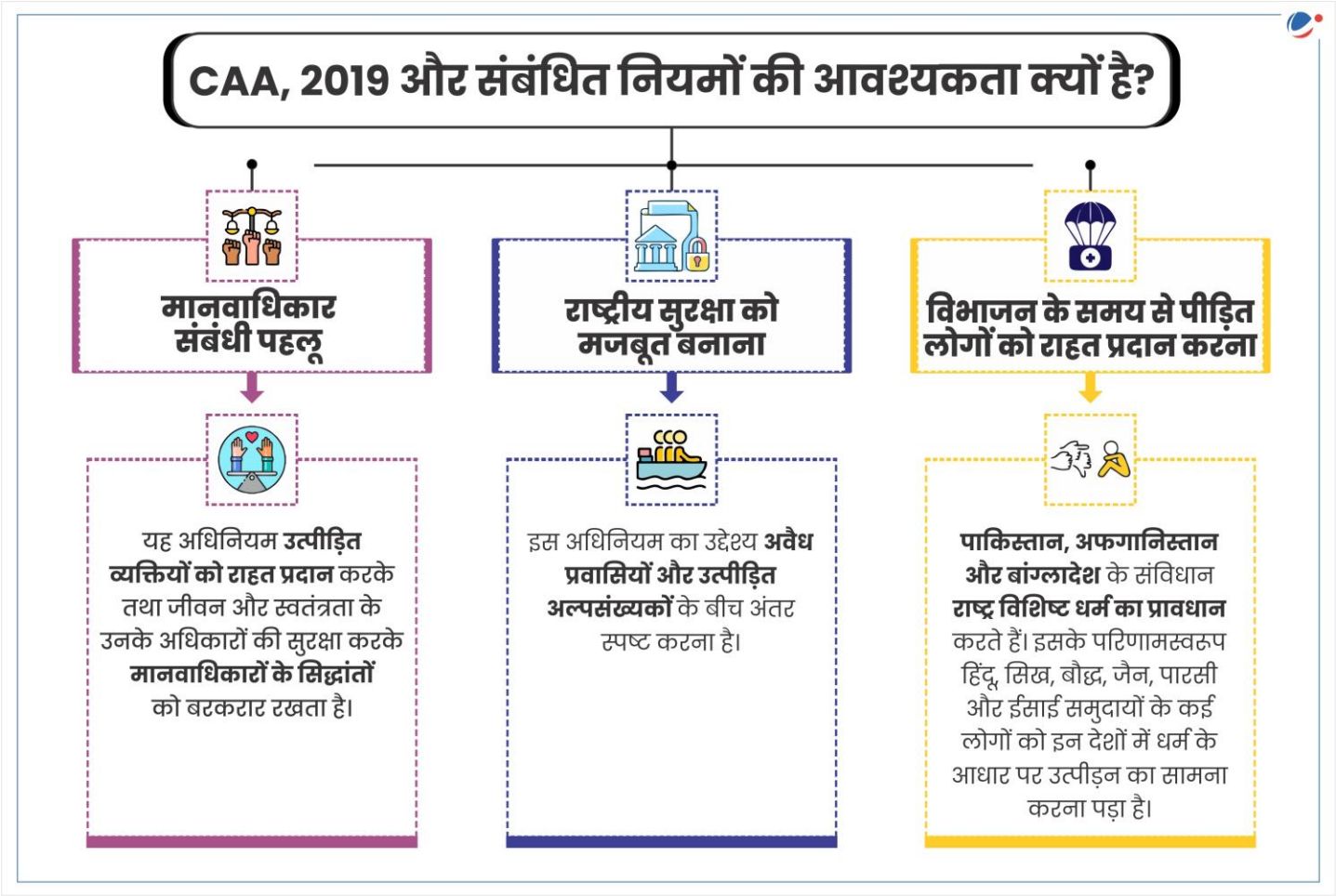

उठाई गई चिंताएं

- **देशों का वर्गीकरण:** अन्य पड़ोसी देशों, जैसे- **श्रीलंका (बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है)** और **म्यांमार (बौद्ध धर्म की प्रधानता)** के प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है।
- **प्रवासन का आधार:** CAA नियम, 2024 के तहत यह साबित करने या जांचने के लिए कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया गया है कि आवेदक को उत्पीड़न या उत्पीड़न के भय से भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
- **संवैधानिक चुनौतियां:** CAA से मुसलमानों, यहूदियों और अनीश्वरवादियों (Atheists) को बाहर रखने को संविधान के अनुच्छेद 14 व पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।
- **प्रवेश की तिथि के आधार पर वर्गीकरण:** CAA में प्रवासियों के साथ भारत में उनके प्रवेश की तारीख के आधार पर विभेद किया गया है, यानी क्या उन्होंने 31, दिसंबर 2014 से पहले या उसके बाद भारत में प्रवेश किया था।
- **बाहरी संबंधों पर प्रभाव:** संशोधन का यह मतलब निकाला जा सकता है कि **पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न** किया जा रहा है। इससे संभावित रूप से पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना है। इसलिए, एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए मुद्दों का समाधान करना अति आवश्यक है।

1.3. हेट स्पीच (Hate Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों द्वारा हेट स्पीच की समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया है।

हेट स्पीच की बारे में

- **विधि आयोग** ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में, **हेट स्पीच की परिभाषा** दी है। इसके अनुसार आम तौर पर नस्ल, नृजातीयता, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में **परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को** हेट स्पीच कहा जाता है।
- **"हेट स्पीच" को भारत के किसी भी कानून में परिभाषित नहीं** किया गया है। हालांकि, कुछ कानून की धाराएं वाक् स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में वाक् (या स्पीच या भाषण) के चुनिंदा रूपों पर रोक लगाती हैं।

हेट स्पीच से संबंधित मुद्दे

- **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ टकराव:** अक्सर यह चिंता व्यक्त की जाती है कि हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के प्रयास असहमति प्रकट करने और विरोध प्रदर्शित करने के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- 'हेट स्पीच' शब्दावली को भारत में किसी भी **कानून द्वारा परिभाषित नहीं** किया गया है। साथ ही, **न ही इसकी कोई सामान्य कानूनी परिभाषा है।**
- कई राजनेताओं द्वारा हेट स्पीच का उपयोग **राजनीतिक समर्थन जुटाने, मतदाताओं को बांटने और वोट हासिल करने के लिए एक पोलिटिकल टूल** के रूप में किया जाता है।
- घृणा फ़ैलाने के कृत्यों के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों तक पहुंच कहां से प्राप्त करें, इस संबंध में **कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जागरूकता और विश्वास की कमी है।**

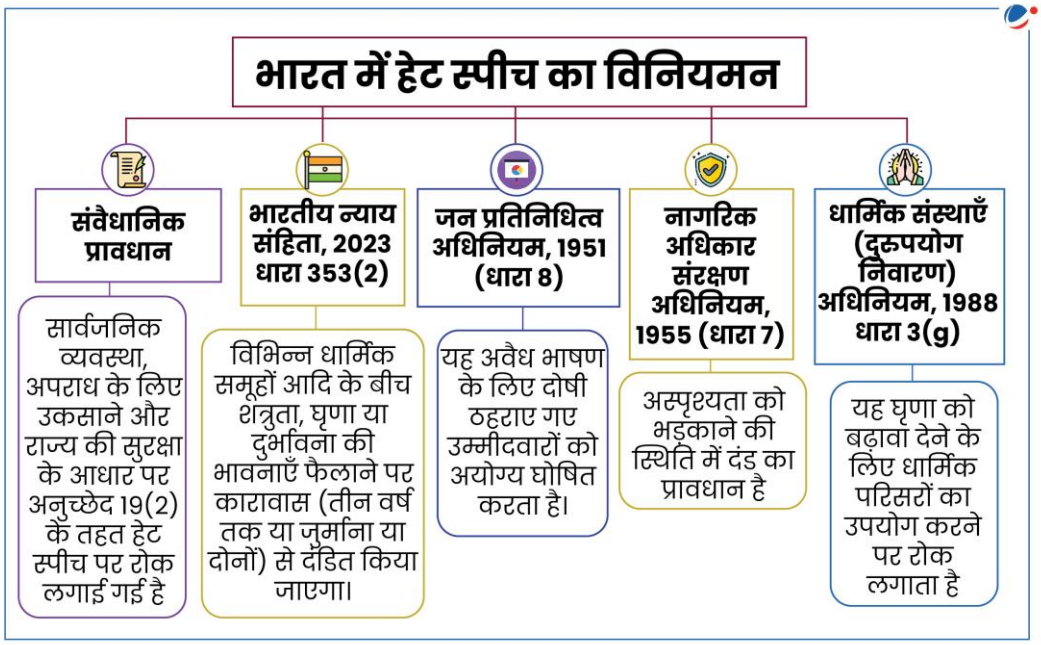

- वर्तमान **डिजिटल युग** में **ऑनलाइन कंटेंट के लिए उपयुक्त आई.टी. अधिनियम या विनियामक तंत्र की कमी है।** इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रसारित होने वाली हेट स्पीच को प्रभावी ढंग से रोकने में बाधा उत्पन्न होती है।

हेट स्पीच से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ वाद (2014):** सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे **विधि आयोग** को सौंप दिया था।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है, जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है।
- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच (स्वतंत्र अभिव्यक्ति) और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असामंजस्य के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

हेट स्पीच से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **रबात एक्शन प्लान (2012):** इसमें एकता व सहिष्णुता को बढ़ावा देने और नफरत को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों, धार्मिक नेताओं, मीडिया तथा व्यक्तियों की सामूहिक जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया है।
- **हेट स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र रणनीति और कार्य योजना[4] (2019):** यह हेट स्पीच से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य हेट स्पीच से निपटने के लिए अलग-अलग देशों के प्रयासों को समर्थन और पूरकता प्रदान करने हेतु एक रोडमैप प्रस्तुत करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2686 (2023):** इसमें हितधारकों को सहिष्णुता व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हेट स्पीच एवं अतिवाद से निपटने के लिए बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है।

आगे की राह

- **हेट स्पीच की कानूनी परिभाषा:** विधि आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि हेट स्पीच को भड़काने वाले कृत्यों एवं भाषणों से संबंधित मौजूदा धाराओं के अंतर्गत शामिल नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय, इसे विशेष रूप से अपराध घोषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) में इससे संबंधित अलग-अलग अपराध जोड़े जाने चाहिए।
- **न्यायिक उपाय:** उत्पीड़न को रोकने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के माध्यम से हेट स्पीच के मामलों का निपटान किया जा सकता है।
- **हेट स्पीच के मामलों से निपटने के लिए गैर-वैधानिक उपाय:**
  - सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए धार्मिक आधार पर समानुभूति पैदा करने हेतु **धार्मिक नेताओं को एकजुट करना चाहिए।**
  - हेट स्पीच के प्रसार एवं भीड़ जुटाने पर निगरानी रखने के लिए **रणनीतिक हस्तक्षेप (सोशल मीडिया के संदर्भ में) करना चाहिए।**
- हेट स्पीच से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए **विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग** करना चाहिए। इसके अलावा, हेट स्पीच पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों और साधनों को साझा करना चाहिए।

1.4. अनुच्छेद 370 की समाप्ति (Abrogation of Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से **अनुच्छेद 370** को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 2019 में, केंद्र सरकार ने **"अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे"** की स्थिति को समाप्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय	उसका औचित्य
कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं	• सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय **युवराज करण सिंह (महाराजा हरि सिंह के उत्तराधिकारी) की उद्घोषणा** को प्रमुख आधार माना। इस उद्घोषणा में कहा गया था कि **भारतीय संविधान के प्रावधान ही जम्मू-कश्मीर और भारतीय गणराज्य के बीच संबंधों को नियंत्रित** करेंगे। • **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा,** कोर्ट ने **जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3** का भी हवाला दिया। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3 में कहा गया था कि **जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग** है और रहेगा।
अनुच्छेद 370 की प्रकृति	• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अनुच्छेद 370 संविधान में 'एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान'** था। • कोर्ट ने माना कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का भंग होना **अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित नहीं** कर सकता।
राष्ट्रपति की उद्घोषणा की संवैधानिकता	• 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए **अनुच्छेद 367 में संशोधन** किया गया था। साथ ही, यह घोषणा की गई थी कि अनुच्छेद 370(3) में वर्णित **"राज्य की संविधान सभा..." को "राज्य की विधान सभा" के रूप में पढ़ा जाएगा।** • कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि **अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति किसी से भी परामर्श करने हेतु बाध्य नहीं था।**

[4] UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech

	• मुख्य मुद्दा यह था कि क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य की शक्तियां संभालने वाले संघ द्वारा ये कार्रवाई की जा सकती थी। • **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा ने **केंद्र सरकार को राज्य की ओर से कार्य करने का अधिकार देकर** इन निर्णयों को लागू करने में सक्षम बनाया है। इससे राज्य स्तर पर राजनीतिक सहमति बनाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ○ इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति की उद्घोषणा ने इस मामले में **अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के प्रभाव को निलंबित** कर दिया। इस अनुच्छेद के अनुसार, पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधान सभा की सहमति अनिवार्य थी।
राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां	• सुप्रीम कोर्ट ने **एस. आर. बोम्मई** मामले पर दिए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि **"राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं"।**
विधान सभा के लिए चुनाव	• शीर्ष अदालत ने भारतीय निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
सत्य और सुलह आयोग	• सुप्रीम कोर्ट ने **जम्मू-कश्मीर में एक सत्य और सुलह आयोग (TRC)[5] के गठन** की सिफारिश की है। जैसा कि **दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के बाद के युग** में किया था। ○ TRC 1980 के दशक से जम्मू-कश्मीर में **सरकार और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच व उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत** करेगा। साथ ही, यह आयोग जम्मू-कश्मीर में सभी हितधारकों के **मध्य सुलह के मार्गों की भी सिफारिश** करेगा।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के प्रभाव

- **अधिकारों का विस्तार:** भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों के लाभ अब जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- **अनन्य संपत्ति अधिकारों की समाप्ति:** अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से अब केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए नए भूमि कानूनों को अधिसूचित कर सकती है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के भूमि संबंधी विशेष अधिकार समाप्त हो गए हैं।
- **सामाजिक न्याय:** देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष छूट या विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं, वे अब जम्मू-कश्मीर में भी इन समुदायों के लिए उपलब्ध होंगे।
- **कोई अलग प्रतीक/ कानून नहीं:** जम्मू-कश्मीर का अब अपना झंडा व संविधान और अपनी दंड संहिता (जिसे रणबीर दंड संहिता कहा जाता है) नहीं है।
- **स्थानीय महिला से विवाह करने वाले गैर-स्थानीय पुरुष को लाभ:** अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर की स्थानीय महिलाओं से विवाह करने वाले गैर-स्थानीय पुरुष जम्मू-कश्मीर में अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 370 के निरसन के आदेश को बरकरार रखने के साथ, जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए जल्द ही वहां विधान सभा चुनाव कराना जरूरी हो गया है।

1.5. अनुच्छेद 142 (Article 142)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित** कर दिया। इस प्रकार, कोर्ट ने इस मामले में **"पूर्ण न्याय (Complete justice)"** सुनिश्चित किया।

[5] Truth and Reconciliation Commission

अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभाव	अनुच्छेद 142 से जुड़े मुद्दे
• **विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान: भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002)** में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए **"विशाखा दिशा-निर्देश"** जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप, अंततः **"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम[6] , 2013"** बनाया गया था। • **लोकतंत्र को मजबूत करना: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) वाद (निजता से संबंधित)** में सुप्रीम कोर्ट ने **व्यक्तिगत निजता** की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। • **नियंत्रण और संतुलन प्रदान करता है:** 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और मनमाने माने गए **218 कोयला ब्लॉक आवंटनों में से चार को छोड़कर सभी को रद्द** कर दिया था। • **नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय: विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य वाद (2020)** में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सहदायिक/ समान उत्तराधिकार (Coparcener) संबंधी अधिकारों पर परस्पर विरोधी निर्णयों का समाधान किया था। • **समानता को बढ़ावा: सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को **स्थायी कमीशन** देने का निर्णय दिया था।	• **परिभाषा में सब्जेक्टिविटी:** अनुच्छेद 142 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। साथ ही, "पूर्ण न्याय" पद के लिए एक मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण इसका मनमाने ढंग से उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है। • **न्यायपालिका और विधायिका के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट करता है:** कर्नाटक के फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) से संबंधित राजनीतिक संकट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने न्यायपालिका और कार्यपालिका की सीमाओं को अस्पष्ट कर दिया था। इससे अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। **{एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)}** • **गैर-जवाबदेही:** अनुच्छेद 142 कार्यपालिका और विधायिका के विपरीत, **न्यायपालिका को उसके निर्णयों की जांच या उन्हें चुनौती देने से प्रतिरक्षा प्रदान** करता है। • **निरंतरता का अभाव: अनुच्छेद 142 के तहत असंगत कानूनी फैसले** व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी की योजना बनाने व कार्यवाहियों को जटिल बना सकते हैं।

[6] The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act

पूर्ण न्याय से संबंधित प्रमुख न्यायिक मामले

- **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992):** आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा तय की गई और क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई।
- **टी.एम. पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2003):** राज्य निजी तौर पर चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए सीटों को आरक्षित नहीं कर सकता।
- **अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ वाद (2008):** 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 15(5) को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद (2022):** 103वें संविधान संशोधन के जरिए दिए गए EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण को बरकरार रखा गया।

आगे की राह

- **शक्तियों के मनमाने उपयोग से बचना:** न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए निर्णय प्रासंगिक तथ्यों और विचारों पर आधारित हों।** उन्हें अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग से बचना चाहिए।
- **'पूर्ण न्याय' को परिभाषित करना:** 'पूर्ण न्याय' पद की अस्पष्टता का उपयोग मनमाने निर्णयों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- **एक विनियामक ढांचा स्थापित करना:** अनुच्छेद 142 के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय के निर्णयों को जांच और जवाबदेही के अधीन लाया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 142 को लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुना जाए।
- **संविधान पीठ को रेफर करना:** अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले **सभी मामलों** को कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।

1.6. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड राज्य विधान सभा ने **समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक** पारित किया। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह अब कानून बन चुका है।

UCC के बारे में

- UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए **एक समान कानून** लागू करने से है। यह समान कानून **सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
  - **गोवा** भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह UCC से अलग है और **पुर्तगाली नागरिक संहिता[7], 1867** के रूप में मौजूद है।
- **भारत में लागू व्यक्तिगत कानून:**
  - **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम[8], 1956:** यह कानून हिन्दू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है।
  - **मुस्लिम पर्सनल लॉ:** यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है।
  - **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम[9], 1925:** यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है।
  - **विशेष विवाह अधिनियम (SMA)[10]:** इसके तहत अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith marriage) को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, इसमें मैरिज ऑफिसर द्वारा विवाह के पंजीकरण का भी प्रावधान है।

[7] Portuguese Civil Code

[8] Hindu Succession Act

[9] Indian Succession Act

[10] Special Marriage Act

UCC के पक्ष में तर्क	UCC के खिलाफ तर्क
• **इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं।** राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत **अनुच्छेद 44** में UCC का प्रावधान किया गया है। • UCC के लागू होने से **पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा** जा सकेगा। यहां पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है, जहां धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती हैं। • **UCC से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।** UCC धार्मिक और सामुदायिक विभाजनों को समाप्त करके **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी।** • **इसके लागू होने से लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।** UCC को लागू करके कुछ धार्मिक वैयक्तिक (पर्सनल) कानूनों में व्याप्त लैंगिक रूप से **भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त** किया जा सकेगा। इससे लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। • **UCC से कानूनों का सरलीकरण संभव हो पाएगा।** UCC विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि से संबंधित **जटिल कानूनों को सरल** बनाएगा। • विकसित होते समाज के साथ तालमेल बिठाने तथा समावेशिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए **आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप मौजूदा कानूनों में सुधार करना चाहिए।**	• **विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा:** UCC को लागू करने से देश के **विविध समुदायों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान कमजोर** हो सकती है। ध्यातव्य है कि **धार्मिक स्वतंत्रता** से जुड़े प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 25** में उल्लिखित हैं। • **समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव:** प्रत्येक समुदाय की कुछ ऐसी विशिष्ट परंपराएं, रीति-रिवाज और धार्मिक कानून होते हैं, जिन्हें वे संरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए, सभी समुदायों की **सहमति व समझौते के बिना UCC लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा** हो सकती है। • **संघीय ढांचे के बारे में चिंताओं को बढ़ावा देता है:** कई विशेषज्ञों के अनुसार UCC, राज्यों की विधायी क्षमता का अतिक्रमण कर सकता है। इस अतिक्रमण के कारण, UCC के प्रवर्तन से संविधान की **अनुसूची 7 की प्रविष्टि 5** के तहत सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

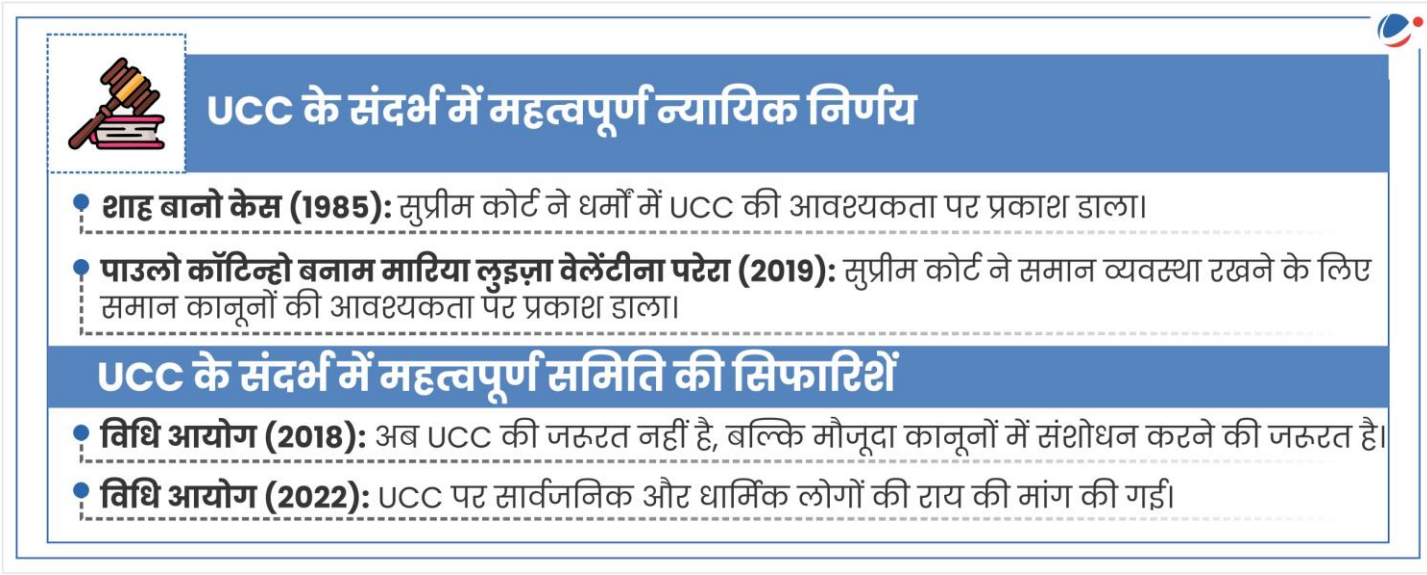

आगे की राह

- **आम सहमति हासिल करना:** सरकार को लोगों का समर्थन हासिल करने एवं उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए UCC के संदर्भ में धार्मिक नेताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए।
- **एक-एक करके समस्याओं को हल करने का प्रयास करना[11]:** उदाहरण के लिए- विवाह की आयु में संशोधन करना, यह धार्मिक ढांचे के भीतर आंतरिक सुधार को बढ़ावा दे सकता है।
- **वर्तमान में लागू वैयक्तिक कानूनों (Personal laws) की समीक्षा करना:** सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए UCC को न्याय, समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसके लिए मौजूदा वैयक्तिक कानूनों की समीक्षा करना आवश्यक है।

[11] Piecemeal approach

1.7. लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग (Ladakh demand Sixth Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लद्दाख को भारतीय संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत **जनजातीय क्षेत्र** के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

छठी अनुसूची के प्रावधान

- ये प्रावधान इन **चार राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा** और **मिजोरम)** के राज्यपालों को अपने-अपने राज्य में **स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)**[12] और **स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें (ARCs)**[13] गठित करने का अधिकार देते हैं।
- **छठी अनुसूची ने ADCs और ARCs को "विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक" शक्तियां** प्रदान की है।

छठी अनुसूची में शामिल होने पर लद्दाख को मिलने वाले लाभ

- **स्थानीय मुद्दों का समाधान करना:** ADCs से लद्दाख के विशेष मुद्दों (जैसे- पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन प्रबंधन और सतत विकास पद्धतियों) का समाधान किया जा सकता है।
- **परंपराओं के संरक्षण के लिए उपाय:** लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों को मान्यता मिलेगी। साथ ही, उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित भी किया जाएगा।
- **संसाधन प्रबंधन:** ADCs का **अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर खनिज संसाधनों** पर अधिक नियंत्रण होगा। इससे वे उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगी।
- **रोजगार के अवसर:** लद्दाख के लोगों के लिए **सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाया** जा सकेगा। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों (बालती, बेडा, द्रोपका आदि) के **भूमि संबंधी और वन अधिकारों की रक्षा** करेगी तथा उन्हें अलगाव से बचाएगी।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने से जुड़े मुद्दे

- **वित्तीय व्यवहार्यता:** स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना और संचालन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **अंतर-सामुदायिक गतिशीलता:** छठी अनुसूची के दायरे में लेह में बहुसंख्यक बौद्ध और कारगिल में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायों के हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सरोकार:** लद्दाख की संवेदनशील सीमावर्ती अवस्थिति इस चिंता को जन्म देती है कि यदि लद्दाख को अधिक स्वायत्तता दी गई, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लद्दाख व केंद्र के बीच समन्वय में जटिलता आ सकती है।

निष्कर्ष

लद्दाख के प्रतिनिधियों, राजनेताओं और केंद्र सरकार को शामिल करते हुए आपसी संवाद शुरू करना महत्वपूर्ण है। लद्दाख के विकास की कुंजी एक ऐसा समाधान खोजने में निहित है, जो व्यापक राष्ट्रीय ढांचे पर विचार करते हुए लद्दाख की विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं का सम्मान करता हो। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए खुला संचार और अन्य विकल्प तलाशने की जरूरत है।

[12] Autonomous District Councils

[13] Autonomous Regional Councils

1.8. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिहार सरकार ने जाति आधारित कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है।

नौवीं अनुसूची के बारे में

- **नौवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के ऐसे कानूनों की सूची** दी गई है, जिन्हें **न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती है। इसे **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 31B** सम्मिलित करके संविधान में जोड़ा गया था।
- **अनुच्छेद 31B प्रकृति में पूर्वप्रभावी (Retrospective) है।** वर्तमान में, इस **अनुसूची में 284 अधिनियम/ कानून** शामिल हैं। इनमें से अधिकतर कृषि और भूमि कानूनों से संबंधित हैं।

नौवीं अनुसूची की आलोचना

- **यह मूल अधिकारों के विरुद्ध है:** नौवीं अनुसूची **केंद्रीय और राज्य कानूनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।**
- **यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध है:** यह अदालतों को अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति से वंचित करती है।
  - **एल. चंद्र कुमार वाद (1997)** में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कि **न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की अनिवार्य विशेषता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति** अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित हैं।
- **इसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है:** संविधान में नौवीं अनुसूची को शामिल करने का **प्राथमिक उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक जांच और सुधार में देरी से बचाना** था। हालांकि, समय के साथ, इसमें ऐसे विषय शामिल किए गए जिनका संबंध **भूमि सुधारों,** मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSPs) **से नहीं रहा है।**
- **यह राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का साधन बन गया है:** उदाहरण के लिए- **तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून** भी नौवीं अनुसूची में शामिल है।

नौवीं अनुसूची से संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **वामन राव बनाम भारत संघ वाद, 1981:** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 24 अप्रैल, 1973 से पहले किए गए संशोधन वैध हैं। यह **फैसला केशवानंद भारती के निर्णय और मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास के अनुरूप** था।
- **आई. आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद, 2007:** नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस वाद में निर्णय दिया था कि **नौवीं अनुसूची** को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसे **संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती** दी जा सकती है।

निष्कर्ष

संविधान में शामिल किए जाने के समय, नौवीं अनुसूची को भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक साधन माना गया था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रावधान महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऐसे कानून प्रासंगिक एवं जरूरी बने रहें। साथ ही, पुराने या असंगत कानूनों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

1.9. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला आरक्षण अधिनियम तथा दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच जनसंख्या असमानता ने **वर्ष 2026 के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के अपेक्षित परिसीमन या पुनर्निर्धारण** को लेकर एक तीव्र एवं गंभीर बहस शुरू कर दी है।

परिसीमन के बारे में

- परिसीमन वस्तुतः जनसंख्या में बदलाव के अनुसार **लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य** है।
- परिसीमन का कार्य **एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय यथा परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा संपन्न** किया जाता है।
- भारत में **वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002** में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।
- वर्ष 2002 में, **84वें संविधान संशोधन द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को वर्ष 2026 तक रोक** दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, **परिसीमन आयोग लोक सभा की कुल सीटों की संख्या नहीं बढ़ा सका था।**

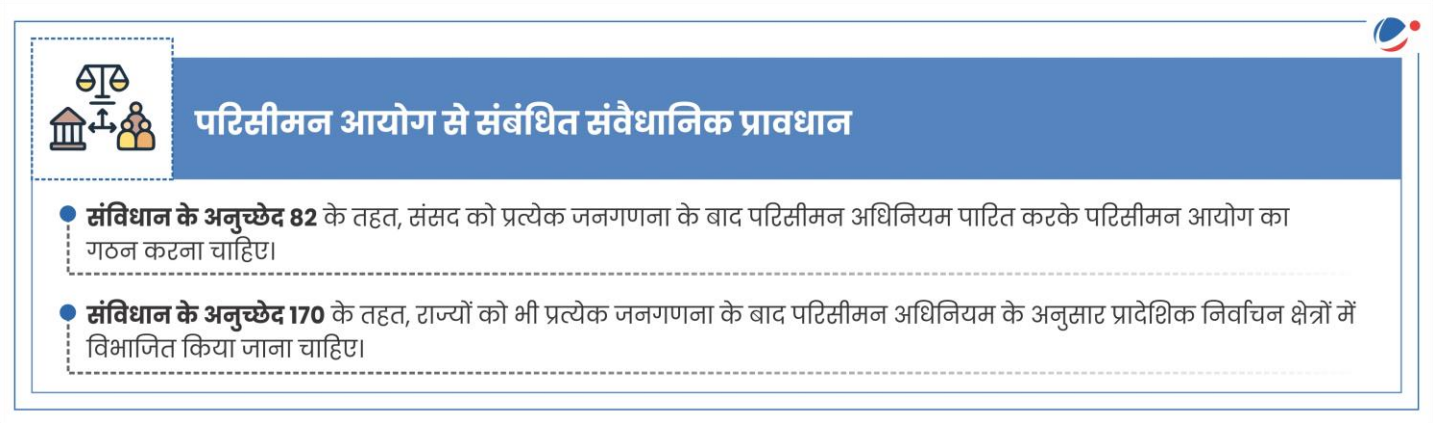

परिसीमन आयोग के बारे में

- परिसीमन आयोग **समान जनसंख्या समूहों के लिए समान प्रतिनिधित्व एवं भौगोलिक क्षेत्रों का निष्पक्ष विभाजन** करता है। इस प्रकार किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ लेने से रोका जाता है।
- परिसीमन आयोग की **नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है** और यह ECI के साथ मिलकर काम करता है। **आयोग में तीन पदेन सदस्य होते हैं:**
  - अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश,
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या CEC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, एवं
  - संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त।
- परिसीमन आयोग के **निर्णय कानून के समान होते हैं। इसके निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।**

असमान प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होने वाली समस्याएं

- **जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के प्रभाव/ मत में कमी:** दक्षिण भारत के राज्य, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है, राष्ट्रीय स्तर के नीति-निर्माण में उनकी भूमिका कम होती जा रही है।
- **कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में असंतोष:** जिन राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी हो रही है, वहां की जनता में असंतोष की भावना पैदा होने लगी है।
- **'एक नागरिक एक वोट' सिद्धांत को कमजोर करना:** उदाहरण के लिए- उत्तर प्रदेश में एक सांसद औसतन 2.53 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिलनाडु में एक सांसद 1.84 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधित्व में मात्रात्मक गिरावट को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष

परिसीमन का कार्य प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाना चाहिए, ताकि बहुत व्यापक परिवर्तन न करने पड़े और प्रत्येक मतदाता के वोट का मूल्य कमोबेश स्थिर बना रहे। परिसीमन के कार्य से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस पर आम सहमति जरूरी है। इन समस्याओं में असमान प्रतिनिधित्व और प्रभावित आबादी में असंतोष शामिल है।

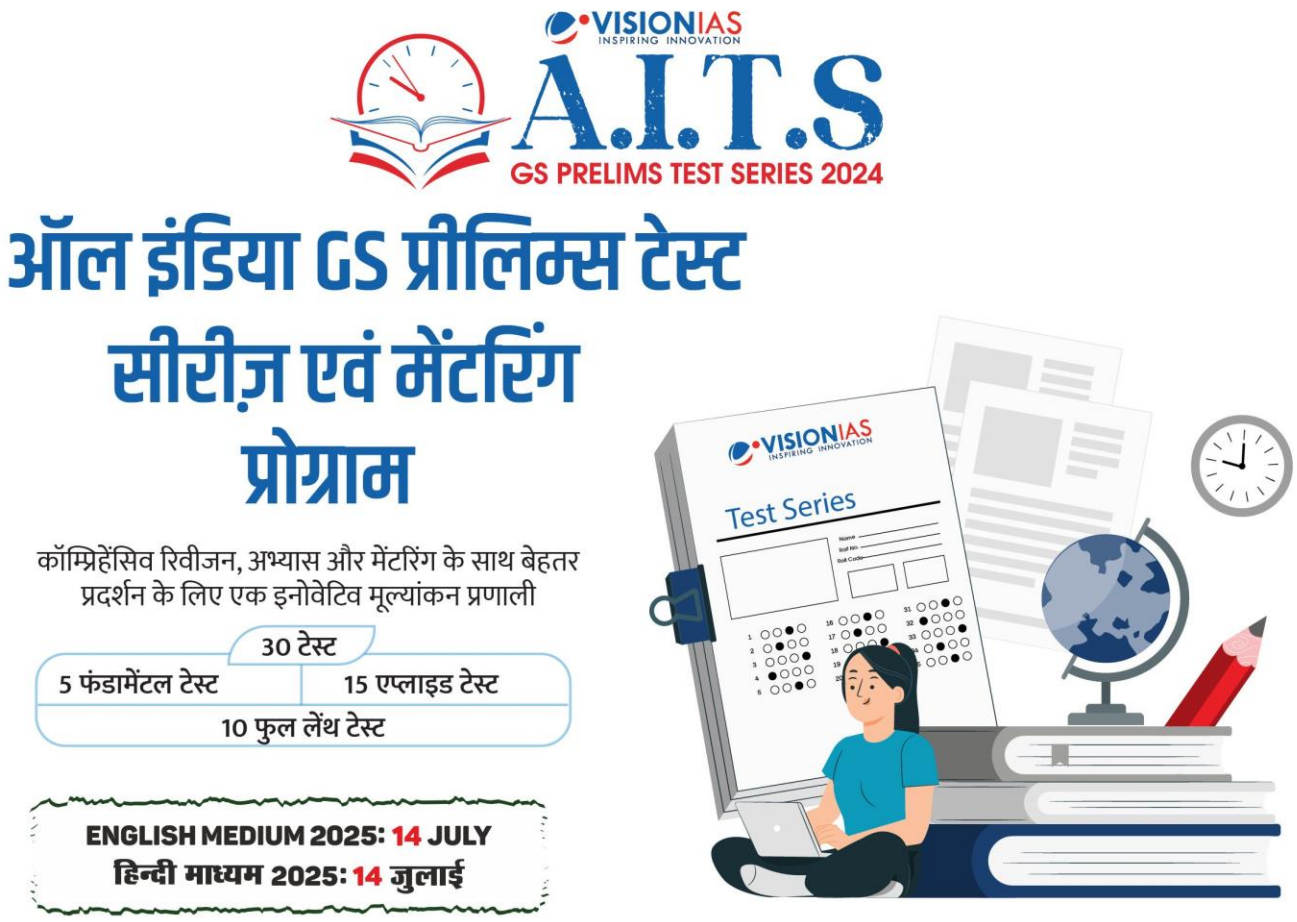

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

2. संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure)

2.1. संघवाद: एक नज़र में (Federalism at Glance)

संघवाद

संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। **भारत का संघवाद असममित प्रकृति का है।**

प्रमुख विशेषताएँ

- एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए **संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर सहमति आवश्यक है।**
- राजस्व के निर्दिष्ट स्रोतों के साथ प्रत्येक की **वित्तीय स्वायत्तता।**
- एकता और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देने के **दोहरे उद्देश्य।**
- अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
- प्रत्येक स्तर का संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अस्तित्व और अधिकार।

भारत में संघवाद का विकास

- **भारत सरकार अधिनियम, 1935** ने संघीय योजना की परिकल्पना की और पहली बार भारत में संघीय अवधारणा की शुरुआत की।
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एकता के अभाव और अलगाववादी प्रवृत्तियों के आगे बढ़ने के डर के कारण देश की आजादी के समय भारत में पूरी तरह से संघीय राजनीतिक व्यवस्था बनाने से परहेज किया।
- **स्वतंत्रता के बाद भारत में संघवाद कई चरणों में विकसित हुआ है:**
  - **पहला चरण- एक दलीय संघवाद (1952-1967):** अपने-अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के सह-अस्तित्व के साथ संघवाद का सहमतिपूर्ण मॉडल।
  - **दूसरा चरण- दमनकारी संघवाद (1967-1989):** कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र और विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के बीच संघर्षपूर्ण संघीय भावना।
  - **तीसरा चरण- बहुदलीय संघवाद (1989-2014):** कई क्षेत्रीय दलों के उदय से राजनीति में गठबंधन के युग की शुरुआत हुई।
  - **चौथा चरण- एक दल के नेतृत्व वाले संघवाद की वापसी:** वर्ष 2014 से मौजूदा समय तक।

ऐसे रुझान जो कमजोर संघवाद को प्रदर्शित करते हैं

- **केंद्रीकरण की अधिक प्रवृत्तियां:**
  - संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विभाजन में तकरार।
  - कृषि कानून पारित करने के संबंध में आपत्तियां।
- **बढ़ती क्षेत्रवादी मांगें:**
  - बढ़ती क्षेत्रीय पहचानों की अलगाववादी प्रवृत्तियों में परिणति। जैसे- अलग ग्रेटर नागालिम की माँग।
- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग बहस का विषय रहा है।
- **राजकोषीय संबंध: GST लागू होने से इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया है।**

ऐसे रुझान जो प्रतिसंतुलन प्रदर्शित करते हैं

- राज्यों के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसाधनों के वितरण को निष्पक्ष और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
- नीति आयोग और जी.एस.टी. परिषद के निर्माण के कारण संघीय चरित्र में वृद्धि।

संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार

- **प्रसिद्ध सरकारिया और पुंछी आयोग सहित अन्य आयोगों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को लागू करके राज्यपाल के कार्यालय को मजबूत करना।**
  - राज्यपाल का पद गैर-राजनीतिक होना चाहिए और उसकी पदच्युति की शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिए;
  - अंतर-राज्य परिषद के अधिदेश का सलाह और सिफारिशों से परे विस्तार करना चाहिए;
  - विधायिका से कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा वीटो के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए;
  - जब केंद्र कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करता है, तो राज्यों को शामिल करना उचित होगा आदि।
- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों के वितरण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
- राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच आपसी विश्वास को प्रभावित करने के लिए नीति आयोग तथा अंतर-राज्य परिषद जैसे संघीय सेतुकारी संस्थानों का प्रभावी उपयोग।
- राज्य और स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु उनके लिए अधिक धन अंतरण का प्रावधान करना।

 © Vision IAS

2.1.1. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्त्व को रेखांकित किया है।

सहकारी संघवाद के बारे में

- सहकारी संघवाद **संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट** करता है। इस ढांचे के तहत दोनों राष्ट्रीय विकास को सर्वोपरि रखते हुए एक-दूसरे से सहयोग करते हुए मिलकर काम करते हैं। साथ ही, यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से ऊपर नहीं है।
  - सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां **सरकारी कार्यों को मिलकर पूरा करेंगी, न कि अलग-अलग।**
- **नीति/ NITI (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग** भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - नीति आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में सहयोग-आधारित नीति-निर्माण, केंद्र-राज्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन देना और निगरानी एवं मूल्यांकन करना शामिल है।
- **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक प्रावधान:**
  - **7वीं अनुसूची:** इसमें **संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची** दी गई है।
  - **अनुच्छेद 312:** यह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है।
  - **अनुच्छेद 263:** इसमें केंद्र व राज्यों के साझा हितों पर चर्चा करने हेतु अंतर-राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है।
  - **अनुच्छेद 280:** इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है।

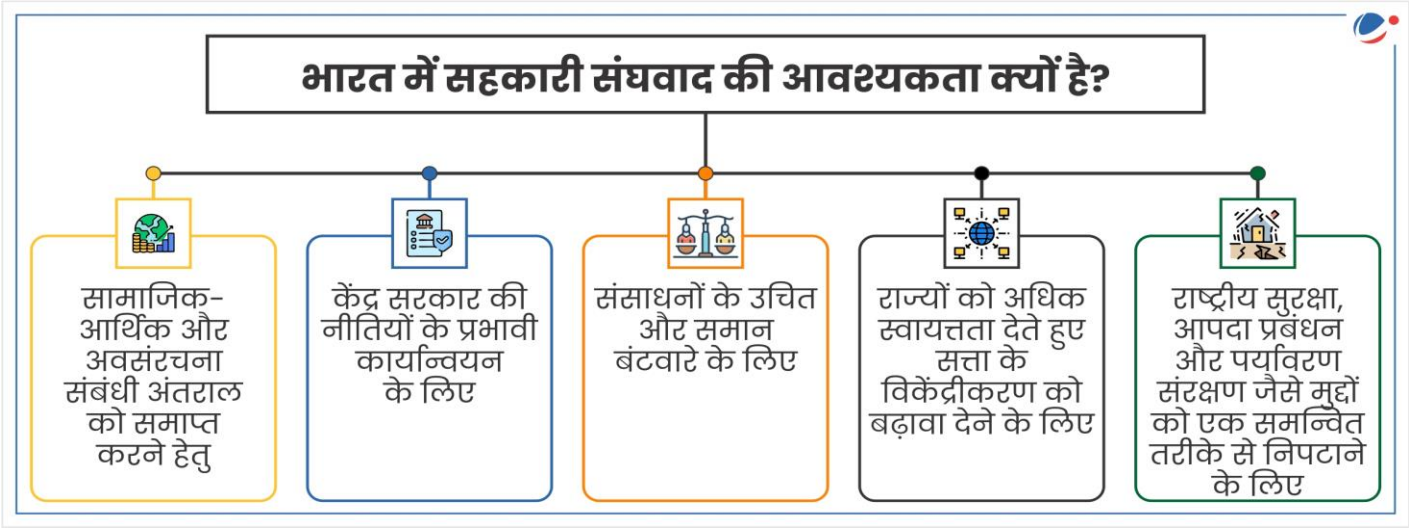

भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद **केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% (13वें वित्त आयोग) से बढ़ाकर 41% कर दिया** गया है।
- **राज्यों को** अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर **अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता है।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन** किया गया है। **फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 142 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 66 योजनाओं में पुनर्गठित** किया गया है।
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत **वित्तीय क्षेत्रक के बेलआउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित** किया गया है।

भारत में सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां:

- **सत्ता का अत्यधिक-केंद्रीकरण:** उदाहरण के लिए- कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग केंद्र द्वारा प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा करने और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने हेतु किया गया था।
- **अंतर्राज्यीय जल विवाद:** उदाहरण के लिए- **कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद।**
- **विविधता:** भारत की विविधता अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण हेतु एक अनुकूलित दृष्टिकोण (Customized Approach) की मांग करती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहयोग और भी कठिन बन जाता है।
- **राज्य के मामलों में हस्तक्षेप:** उदाहरण के लिए- नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न हालिया विवाद ने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया था। हालांकि ये कानून अब रद्द हो चुके हैं।

भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- **आवश्यक बदलाव:** अंतर-राज्यीय परिषद के संरचनात्मक और कार्यात्मक दायरे का विस्तार करना चाहिए, ताकि वह अर्द्ध-न्यायिक 'सहयोगात्मक परिषद' के रूप में कार्य कर सके।
- **संवैधानिक स्थिति:** सहकारी संघवाद में मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए नीति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए।
- **वित्तीय आवंटन:** अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों की एक संतुलित, पारदर्शी एवं सभी की सहमति आधारित प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए वित्तीय आवंटन की सिफारिश करने हेतु एक स्थायी वित्त आयोग का गठन करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को साझा करना:** भूमि, श्रम जैसे विवादास्पद मुद्दों पर राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को साझा करना चाहिए। उदाहरण के लिए- भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने हेतु कर्नाटक की **'भूमि'** परियोजना को आदर्श के रूप में अपनाना चाहिए।

2.1.2. राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

राजकोषीय संघवाद के बारे में

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में **संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों** द्वारा साझाकरण ही **राजकोषीय संघवाद** है।
- राजकोषीय संघवाद को अक्सर निम्नलिखित **तीन व्यापक सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है:**
  - **राजकोषीय मामलों में समानता (Fiscal Equivalency):** इसके लिए यह आवश्यक है कि **हर सार्वजनिक सेवा के लिए एक अलग क्षेत्राधिकार (संस्था आदि) हो।** इसमें उस सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का समूह शामिल होना चाहिए।
  - **विकेंद्रीकरण प्रमेय (Decentralization theorem):** इस सिद्धांत के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवा से **सीधे जुड़े लोगों की निकटतम सरकार** द्वारा इसे प्रदान करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरल शब्दों में, प्रत्येक सार्वजनिक सेवा को न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाली सरकार (या क्षेत्राधिकार) द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सरकार ही ऐसी सेवाओं के लाभों और लागतों को वहन करती है।
  - **समनुषंगिता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity):** इस सिद्धांत के अनुसार, सभी कार्य शासन के निचले स्तर पर नागरिकों की निकटतम सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। उन्हें ऊपरी स्तर पर केवल तभी पूरा किया जाना चाहिए, जब स्थानीय सरकार कार्य करने में असमर्थ हो। इसमें पदानुक्रम पर विशेष बल दिया जाता है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े विवाद या मुद्दे

- **राज्यों पर उधार/ ऋण लेने की सीमा:** केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों द्वारा ऋण/ उधार लेने की सीमा को उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर सीमित** कर दिया है। यह सीमा **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के आधार पर आरोपित की गई है।
- **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (Vertical fiscal imbalance):** कर की दरों को बढ़ाने की शक्ति काफी हद तक केंद्र सरकार के पास है (जैसे- आयकर, CGST, सीमा शुल्क, विदेशी लेन-देन पर कर, प्राकृतिक संसाधनों से आय आदि)। दूसरी ओर, GST लागू होने के बाद राज्य सरकारें केवल वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग पर कर लगा सकती हैं (SGST)।
- **विकासात्मक व्यय (Developmental expenditure) का बोझ:** GDP के अनुपात के रूप में, सभी राज्य सरकारों का संयुक्त विकासात्मक व्यय **2004-05 में 8.8%** था, जो 2021-22 में बढ़कर **12.5%** हो गया था।
- **उपकर (Cess) से प्राप्त राजस्व को राज्यों के साथ साझा न करना:** 2017-18 और 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख **उपकरों और अधिभारों (Surcharges) के संग्रह में 133% की वृद्धि** हुई है। यह राशि **कुल करों का लगभग 25%** है, लेकिन इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया गया है।
- **सहायता अनुदान में कमी:** 2015-16 में राज्यों को 1,95,000 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान मिला था, जो 2023-24 में कम होकर 1,65,000 करोड़ रुपये हो गया था।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निर्माण में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि, ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार बहुत कम यानी आंशिक वित्त-पोषण करती है, जबकि अधिकतर हिस्से का वित्त-पोषण राज्यों को करना पड़ता है।

आगे की राह

- **16वें वित्त आयोग की भूमिका:** जनसांख्यिकीय संक्रमण, आंतरिक एवं बाह्य प्रवासन, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट जैसे **राज्य-विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए 16वें वित्त आयोग के साथ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है।** इससे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा।
- **बजटेतर उधारियों (Off-budget borrowings) की समीक्षा:** संघ और राज्यों, दोनों की बजट से इतर उधार लेने की व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- **क्षैतिज (Horizontal) असंतुलन को दूर करना:** राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में न रखते हुए राज्यों को निश्चित व न्यूनतम वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण जरूरी है, लेकिन समृद्ध राज्यों को भी कर अंतरण में न्यूनतम हिस्सेदारी की गारंटी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, निर्धन राज्यों को भी कर अंतरण के लिए एक सीमा तय की जानी चाहिए।
- **भारत में राजकोषीय संघवाद का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्यों, दोनों को **स्वायत्त** होना चाहिए। किसी को भी अपने वित्त के लिए **एक-दूसरे पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए;**
  - केंद्र और राज्यों, दोनों को अपने वैध खर्चों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त धनराशि/ कर जुटाने में सक्षम होना चाहिए;**
  - यदि व्यय में वृद्धि हो रही है, तो **आय बढ़ाने पर ध्यान** दिया जाना चाहिए आदि।

2.1.3. विशेष श्रेणी का दर्जा (Special Category Status: SCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2024 के लोक सभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से 'विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे (SCS)' की मांग उठाई जा सकती है।

SCS के बारे में

- SCS **केंद्र सरकार** द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है, जो किसी तरह के **भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना** कर रहे होते हैं।
  - पहली बार SCS की शुरुआत **1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश** पर की गई थी।
  - SCS राज्यों को **गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के आधार पर अनुदान प्राप्त** होता है।
- **संविधान किसी भी राज्य को SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं** करता है।
  - हालांकि, भारत के **संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371, 371A से 371H और 371J)** किए गए हैं।
- **14वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुसार **अब किसी भी राज्य को SCS प्रदान नहीं** किया जाना चाहिए। इसके बाद से **किसी भी नए राज्य को SCS नहीं** दिया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त-पोषण पैटर्न इन राज्यों के **मुख्यमंत्रियों के उप-समूहों की सिफारिशों पर आधारित है न कि उनके SCS दर्जे पर।**

विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे से संबंधित लाभ

- **वित्त-पोषण:** SCS राज्यों के मामले में, **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के वित्त-पोषण के लिए **केंद्र एवं राज्य सरकारों को क्रमशः 90:10 के अनुपात** में वित्त प्रदान करना होता है। **सामान्य श्रेणी** के राज्यों के मामले में यह अनुपात **60:40 या 80:20** है।
- **खर्च नहीं किए गए फंड की निरंतरता:** खर्च न किए गए धन के मामले में, SCS राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें यह राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है।

- **प्रोत्साहन:** SCS राज्यों को नए उद्योग स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए **उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर पर भी महत्वपूर्ण रियायत** मिलती है।

SCS के विचार से जुड़ी चिंताएं

- **SCS प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का अभाव:** उदाहरण के लिए- सीमावर्ती व हिमालयी राज्य होने के कारण **उत्तराखंड** को SCS प्रदान किया गया था। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को अधिकांश विकास संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड से पिछड़ा होने के बावजूद भी इस दर्जे से वंचित कर दिया गया था।
- **अंतर्राज्यीय असमानताएं:** कुछ राज्यों को SCS देने से अंतर्राज्यीय असमानताओं को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, असंतुलित आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं बन सकती हैं।
- **राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन:** ऋण-स्वैपिंग और ऋण-राहत योजनाएं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को उनकी ऋण भुगतान क्षमता से अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। परिणामस्वरूप, राज्यों की दीर्घकालिक देयताएं सृजित होती हैं।
  - उदाहरण के लिए- जम्मू और कश्मीर में GSDP के प्रतिशत के रूप में बकाया गारंटी 20% और हिमाचल प्रदेश में 10% है।
- **राजकोषीय बोझ:** SCS श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान केंद्र सरकार करती है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र के संसाधनों पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है।

आगे की राह

- **SCS राज्यों की केंद्रीय सहायता पर निर्भरता कम करना:** इसके लिए स्थानीय उद्योगों, अवसंरचना निर्माण तथा अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।
- **SCS प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों की समीक्षा करना:** उदाहरण के लिए- **SCS को संशोधित** किया जा सकता है। इससे इसमें राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ कम संसाधन आधार आदि को भी शामिल किया जा सकेगा।
- **राज्यों के बीच सहयोग एवं ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना:** चुनौतियों का समाधान करने तथा **सहकारी संघवाद को और अधिक मजबूत बनाना।**

2.2. एस. आर. बोम्मई निर्णय (1994) (S.R. Bommai Judgement: 1994)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ द्वारा दिए गए **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (UOI) वाद, 1994 निर्णय के 30 वर्ष पूरे** हुए।

एस. आर. बोम्मई वाद में उठे मुख्य प्रश्न

- पहला, क्या **राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायसंगत** (न्यायिक समीक्षा के अधीन) थी?
- दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत **राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा और सीमाएं** क्या हैं?
  - संविधान इस बात पर मौन है कि **संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है।** इस कारण इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
- तीसरा, यदि **संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अवैध ठहरा दे, तो इसके क्या परिणाम होंगे?**

बोम्मई निर्णय और निर्धारित किए गए प्रमुख सिद्धांत:

न्यायिक समीक्षा	• सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर्याप्त आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। • जिन **तथ्यों** के आधार पर राष्ट्रपति को यह **समाधान** होता है कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, कोर्ट उन तथ्यों की **जांच** कर सकता है। • यदि उद्घोषणा **दुर्भावनापूर्ण** है या पूरी तरह से **अप्रासंगिक या असंगत आधार** पर बेस्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट उस उद्घोषणा को **रद्द** कर सकता है।
राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं	• राष्ट्रपति द्वारा **अपनी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होने के बाद ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।** • तब तक राष्ट्रपति विधान सभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करके ही विधान सभा को निलंबित कर सकता है।

राष्ट्रपति शासन के अमान्य होने के परिणाम	• संबंधित राज्य की **मंत्रिपरिषद और विधान सभा दोनों को बहाल** किया जाना चाहिए। • उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान किए गए **कार्यों, पारित आदेशों और कानूनों की वैधता अप्रभावित** रहेगी।
अन्य प्रमुख टिप्पणियां	• सत्तारूढ़ दल को प्राप्त समर्थन का निर्धारण करने में **शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) की सर्वोच्चता निर्धारित की गई।** • अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल तभी उचित है **जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, न कि प्रशासनिक तंत्र।** • **सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988)** के आधार पर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध किया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग कहां उचित या अनुचित हो सकता है। ○ **उचित उपयोग का उदाहरण:** यदि केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है (अनुच्छेद 365)। ○ **अनुचित उपयोग का उदाहरण:** यदि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अपने राज्य के शासनात्मक कार्यों में संशोधन या सुधार करने संबंधी पूर्व चेतावनी दिए बिना सीधे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसमें उस स्थिति को शामिल नहीं किया गया है जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की अति आवश्यकता हो। • **पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद** हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं और ये संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा हैं।

एस.आर. बोम्मई निर्णय के प्रभाव

- **अनुच्छेद 356 का कम उपयोग: जनवरी, 1950 से मार्च, 1994 के बीच देश** में राष्ट्रपति शासन **100 बार यानी वर्ष में औसतन 2.5 बार** लगाया गया था। जबकि, **1995 से 2021** के बीच **केवल 29 बार** ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- **संघवाद को मजबूत करना:** इस निर्णय ने **अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा को राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को कम** किए बिना न्यायोचित ठहराया। इस प्रकार **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कम किए बिना देश के संघवाद को मजबूत किया।**

निष्कर्ष

1994 के बाद से बोम्मई मामले को कई बार दोहराया गया। इससे यह देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक उद्धृत/ दोहराने वाले फैसलों में से एक बन गया था। जैसे-जैसे देश में केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलता और शासन में पंथनिरपेक्षता की भूमिका बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे एस. आर. बोम्मई मामले में स्थापित सिद्धांत संघवाद और बहुलवाद के संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं।

2.3. अंतर्राज्यीय जल विवाद: एक नज़र में (Inter-State Water Dispute at a Glance)

अंतर्राज्यीय जल विवाद (Interstate Water Dispute)

अंतर्राज्यीय (नदी) जल विवाद (ISWDs) भारतीय संघवाद के समक्ष सबसे विवादास्पद मुद्दे के रूप में लगातार चुनौती पैदा करता रहा है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए उत्तरदायी कारक

नदी के जल तक समान पहुंच न होना	जल की बढ़ती मांग	धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) के कारण जल की मांग में वृद्धि	एकीकृत नदी घाटी दृष्टिकोण का अभाव	जल के उपयोग संबंधी अधिकारों पर स्पष्टता का अभाव
उदाहरण के लिए, **कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी** जल विवाद।	भारत में 2025 और 2050 में जल की कुल मांग क्रमशः **22% एवं 32% तक बढ़ने का अनुमान है।** इससे विवाद बढ़ने की संभावना है।	जल की बढ़ती मांग विवाद को जन्म देती है, जैसा कि **तीस्ता और सतलुज यमुना लिंक (SYL) नदी घाटियों** में देखा गया है।	**महानदी नदी बेसिन** में अकुशल जल प्रबंधन के कारण विवाद और भी बदतर हो गए हैं।	**आंध्र प्रदेश ने श्रीशैलम जलाशय से तेलंगाना** द्वारा जल के उपयोग पर आपत्ति जताई है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए तंत्र

संविधान की सातवीं अनुसूची	अनुच्छेद 262	राष्ट्रीय जल नीति 2012
जल **(प्रविष्टि 17)** राज्य सूची का विषय है तथा संघ सरकार की संवैधानिक भूमिका केवल अंतर-राज्यीय जल **(प्रविष्टि 56, संघ सूची)** के मामले में है।	संसद के पास अंतर्राज्यीय जल विवादों (ISWDs) के निर्णय के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इस प्राधिकार के तहत दो कानून बनाए गए हैं: **नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और ISWD अधिनियम 1956** (2002 में संशोधित)।	जल की अभावग्रस्तता, वितरण संबंधी असमानताओं का समाधान करना और **जल संसाधनों की एकीकृत योजना को लागू करना।**

अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटान से जुड़ी चुनौतियां

- **विवाद निपटान में देरी: उदाहरण के लिए-** गोदावरी जल विवाद अधिकरण को अपना निर्णय देने में 11 वर्षों का समय लगा था।
- **अस्पष्टता: अनुच्छेद 262** सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है। हालांकि, अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है। इससे अधिकरण के आदेशों के कार्यान्वयन में अस्पष्टता उत्पन्न होती है।
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण का अभाव:** भारत में अधिकरणों में मुख्य रूप से न्यायपालिका के सदस्य होते हैं। इस कारण, पारिस्थितिकी विशेषज्ञों के इनपुट की कमी के कारण कई बार आदेशों के लागू होने पर पारिस्थितिकी क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **विवादों का राजनीतिकरण:** कुछ राजनीतिक दल अंतर्राज्यीय जल विवादों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी उपयोग करते हैं।

आगे की राह

- **सहकारिता को बढ़ावा:** विचार-विमर्श प्रक्रियाओं में राज्यों के अधिक समेकन और सहकारी संघवाद को मजबूत करने की भी आवश्यकता है।
- **बेसिन दृष्टिकोण:** पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन, नदी पारिस्थितिकी-तंत्र के संरक्षण, मानव उपयोग के लिए जल-आपूर्ति और मांग का संतुलन तथा नदी जल के प्रभावी प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण:** जल प्रबंधन बोर्ड की संस्थागत संरचना में अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों (जैसे कि पर्यावरणविद्, भूगोलवेत्ता आदि) को शामिल किया जाना चाहिए।
- **जल नीति:** उचित तथा न्यायसंगत आधार पर जल विवादों को सुलझाने के लिए कुछ मापदंडों को जल नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
  - इन मापदंडों में प्रत्येक राज्य में नदी बेसिन अपवाह क्षेत्र की सीमा; प्रत्येक राज्य द्वारा नदी बेसिन में जल का योगदान; नदी बेसिन क्षेत्र में जलवायु तथा इस पर आश्रित जनसंख्या; प्रत्येक राज्य में शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का विस्तार आदि शामिल हैं।

2.4. राज्यपाल की भूमिका (Role of Governor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **केरल, तमिलनाडु और पंजाब सरकार ने लंबित विधेयकों को लेकर अपने-अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट** का रुख किया है।

राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **विधेयकों के संबंध में विकल्प:** संविधान के **अनुच्छेद 200** के तहत राज्य की विधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है।
- **राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना:** ऐसे मामले में विधेयक आरक्षित करना **अनिवार्य** है, जहां राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त, **यदि विधेयक निम्नलिखित प्रकृति का हो तो राज्यपाल उसे भी आरक्षित कर सकता है:**
  - जो अधिकारातीत (Ultra-vires) अर्थात् संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो;
  - राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का विरोध करता हो;
  - देश के व्यापक हित के खिलाफ हो;
  - अत्यधिक राष्ट्रीय महत्त्व का हो; तथा
  - संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
- **विवेकाधीन शक्तियां: अनुच्छेद 163** में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल **मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य** करने के लिए बाध्य है। हालांकि, कुछ मामलों में राज्यपाल अपने **विवेक से कार्य** कर सकता है।

राज्यपाल की भूमिका से संबंधित मुद्दे

- **लंबित निर्णय:** कानूनों और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर सहमति में देरी से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तथा संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है।
- **प्रशासनिक अकुशलता:** विशेष रूप से जहां राजनीतिक मतभेद हो, वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव, कभी-कभी प्रशासनिक निर्णयों और नियुक्तियों में गतिरोध का कारण बन सकता है।
- **न्यायपालिका पर बोझ:** राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग या उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाले विवाद नियमित रूप से कानूनी चुनौतियों और व्याख्याओं को उत्पन्न करते हैं। इससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका पर कार्यभार और बढ़ जाता है।

राज्यपाल के पद के संदर्भ में कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- **शमशेर सिंह वाद (1974):** सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधान-मंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, तो **उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी हो जाता है।**
- **नबाम रेबिया वाद (2016):** इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो **उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।**
- **पंजाब राज्य वाद (2023):** यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है, तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा।
- **तमिलनाडु राज्यपाल वाद (2023):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधान-मंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब **राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है।**

आगे की राह - अलग-अलग आयोगों की सिफारिशें

- **सरकारिया आयोग:**
  - केवल संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन (संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होने) जैसे दुर्लभ मामलों के तहत ही राज्यपाल को अपनी **विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** रखना चाहिए।
  - राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधित **राज्य के बाहर का व्यक्ति** होना चाहिए और जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होना चाहिए।
  - राज्यपाल को **केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।** उसे केवल इस आधार पर पद से नहीं हटाया जाना चाहिए कि केंद्र की नई सरकार अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना चाहती है।
- **पुंछी आयोग:**
  - राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयक के संबंध में **छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।**
  - राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे **स्वतंत्र रहें और किसी भी राजनीतिक विचार से तटस्थ होकर** कार्य करें।
  - राज्यपाल का **कार्यकाल पांच वर्ष** के लिए निश्चित होना चाहिए। साथ ही, उसे राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित **संकल्प** के माध्यम से ही हटाया जाना चाहिए।
- **वेंकटचलैया आयोग:** राज्यपाल को **राज्य के दैनिक प्रशासन में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य** करना चाहिए।

2.5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) ACT 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है। GNCTD (संशोधन) अधिनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रतिस्थापित करता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA):** इस अधिनियम में **NCCSA** के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य **सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों पर दिल्ली के L-G को सिफारिशें** करना है।
  - NCCSA में **अध्यक्ष के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री** तथा सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार का **प्रधान गृह सचिव** और दिल्ली सरकार का **मुख्य सचिव** होगा।
- **NCCSA की कार्यप्रणाली:** इस प्राधिकरण के सभी निर्णय **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत** के आधार पर लिए जाएंगे।
- **L-G की शक्तियां:** ऐसे मामले, जिनमें L-G पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है, निम्नलिखित हैं:
  - ऐसे मामले जो **दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से बाहर** हैं, किंतु उन्हें L-G को सौंपा गया है, या
  - ऐसे मामले, जिनमें **L-G** को कानून द्वारा **अपने विवेक से कार्य** करना होता है, ऐसे मामले जहां L-G को **कोई न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता** होती है।
- **L-G को प्रमुखता:** यह कानून L-G के **विवेकाधिकार का विस्तार** करता है। इसके तहत वह **NCCSA की सिफारिशों को स्वीकार** कर सकता है या उन्हें **पुनर्विचार** के लिए वापस भेज सकता है।
  - L-G और NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में, L-G का निर्णय अंतिम होगा।
- **मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान:** कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से **उन मामलों को L-G की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत** करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं-
  - दिल्ली में शांति व्यवस्था,
  - दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध,
  - विधान सभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन, तथा
  - ऐसे मामले जिन पर L-G को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है।

इस अधिनियम से संबंधित प्रमुख समस्याएं

- **केंद्र सरकार को शक्तियां:** यह कानून केंद्र सरकार को **दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर नियंत्रण प्रदान** करता है। यह **NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ वाद, 2023** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है।
  - NCSSA की बैठक मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बिना भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि कोरम अथवा गणपूर्ति की संख्या मात्र **दो सदस्य** ही निर्धारित की गई है।
- **जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला: NCSSA को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर अधिकार प्रदान करने से जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला खंडित हो सकती है।**
  - सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेही की त्रिस्तरीय संरचना पर टिकी है:
    - सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं,
    - मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, और
    - विधायिका की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति होती है।
- **सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन:** विभागीय सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना विशिष्ट मामलों को सीधे L-G, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाएंगे।
- **L-G के विवेकाधिकार में वृद्धि:** अनुच्छेद 239AA के अनुसार, L-G जिन मामलों में अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है उन्हें छोड़कर, अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करेगा।
- **विवादास्पद मामलों के संबंध में स्पष्टता न होना:** इस कानून में उन मामलों को L-G के संज्ञान में लाने का प्रावधान किया गया है, जिनके कारण GNCTD और केंद्र सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, इस कानून में उन विवादास्पद मामलों को परिभाषित नहीं किया गया है।

दिल्ली की शासन व्यवस्था में चुनौतियां

- **अस्पष्ट स्थिति: अनुच्छेद 239 के साथ अनुच्छेद 1 को पढ़ने पर** यह स्पष्ट होता है कि UTs पूर्णतया राष्ट्रपति द्वारा शासित होंगे। हालांकि, दिल्ली की विशेष स्थिति प्रशासनिक प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा करती है।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति:** राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अलग-अलग संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि दिल्ली में स्थित हैं।
- **राष्ट्रीय प्रतिष्ठा:** दिल्ली के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। इससे **राष्ट्रीय गौरव, देश की छवि, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के प्रभावित होने** की संभावना होती है।
- **निर्णय लेने में देरी:** L-G और निर्वाचित सरकार के बीच असहमति के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। इससे **शासन में अक्षमताएं और अनिश्चितताएं** पैदा होती हैं।

आगे की राह

- **अलग-अलग मॉडल:** अन्य देशों में **राजधानी शहरों के प्रशासन के लिए अलग-अलग मॉडल** मौजूद हैं। दिल्ली के लिए एक मॉडल अपनाने हेतु इनका अध्ययन किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **संघीय जिले (Federal district) के रूप में राजधानी-** अबुजा, ब्राजीलिया, कैनबरा, वाशिंगटन डी.सी. आदि। इन शहरों में संघीय नियंत्रण का अलग-अलग स्तर देखा जा सकता है।
  - **शहर-राज्य के रूप में राजधानी-** बर्लिन, ब्रसेल्स, ब्यूनस आयर्स आदि। यहां सिटी गवर्नमेंट (नगरीय प्रशासन) राज्य के कार्य भी करता है।
- **निर्णयन का विकेंद्रीकरण:** ऑस्ट्रेलिया में **सिडनी महानगरीय क्षेत्र** को 31 स्थानीय सरकारों में विभाजित किया गया है, जिनमें राज्य सरकार समन्वयक की भूमिका निभाती है।

- **कार्यक्षेत्र का सीमांकन:** केंद्र सरकार के कार्यालयों को केंद्रीय प्रशासन के अधीन किया जा सकता है, जबकि शेष NCT को दिल्ली राज्य के कार्यक्षेत्र के अधीन रहने दिया जा सकता है।
- **प्रवर्तनकारी शक्तियां:** नगरपालिकाओं को सिविल अनुपालन के लिए प्रवर्तनकारी शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जिनका प्रयोग **सामुदायिक पुलिस अधिकारियों** के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस आपराधिक मामलों का निपटान कर सकती है।

2.6. एक राष्ट्र एक भाषा (One Nation One Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर-राज्यीय संचार या संवाद में **अंग्रेजी की बजाय हिंदी को भाषा के रूप में प्रयोग** करने का आग्रह किया है।

हिंदी भाषा के बारे में

- हिंदी, **भारतीय-यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो-आर्यन शाखा से संबंधित है।** हिंदी की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय भाषा **संस्कृत से हुई** है।
- वर्ष 1949 में, **संविधान सभा ने अंग्रेजी के साथ हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा**[14] के रूप में अपनाया।
- वर्ष 1950 में, भारत के संविधान के **अनुच्छेद 343** के तहत **देवनागरी लिपि में हिंदी** को भारत की राजभाषा (Official language of India) के रूप में स्वीकार किया गया।
- वर्ष 1963 में, **राजभाषा अधिनियम**[15] **पारित किया गया**। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आधिकारिक संचार (Official Communication) के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जा सकता है।
- 2011 की **भाषाई जनगणना** के अनुसार, हिंदी भारत में सबसे अधिक (**52.8 करोड़ व्यक्ति** या **आबादी का 43.6%**) बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली और मराठी का स्थान आता है।

एक राष्ट्र एक भाषा की आवश्यकता क्यों?	एक राष्ट्र एक भाषा से संबंधित मुद्दे
• **भाईचारे की भावना:** यह दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को एकजुट करता है। साथ ही, इससे एवं उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की खाई को कम भी किया जा सकता है। • **प्रशासनिक कार्यकुशलता:** एक भाषा लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को समझने में भाषा संबंधी बाधा का समाधान कर सकती है। • **सेवाओं के वितरण में सुधार:** उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य देखभाल में भाषा संबंधी बाधा गलत उपचार का कारण बन सकती है। इसलिए एक भाषा ऐसे मुद्दे समाधान कर सकती है एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। • **धन और समय की बचत:** एक भाषा होने से सार्वजनिक दस्तावेजों को न तो अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करना पड़ेगा, न ही बाहर से अनुवाद संबंधी सेवाएं लेनी पड़ेगी।	• **विविधता के विरुद्ध:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 19,569 मातृ भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार एक भाषा को थोपना विविधता के सिद्धांत के विरुद्ध है। • **संघीय मुद्दा:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लोगों ने संचार के लिए हिंदी को पहली पसंद के रूप में चुना था। • **बहुलतावादी समाज:** यह विचार कि एक भाषा एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह उपनिवेशवाद के प्रभाव को उजागर करती है। साथ ही, यह **भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप नहीं है** क्योंकि भारत हमेशा से एक बहुभाषी समाज रहा है। • **अलगाववादी प्रवृत्ति:** उदाहरण के लिए- **पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू को थोपना** एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण था।

[14] Official Language of Union of India

[15] Official Languages Act

• **सहयोग को बढ़ावा: इससे समझ और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।** साथ ही, यह विचारों, मूल्यों और आस्था के संचार को सुविधाजनक बनाती है।	• **आर्थिक प्रभाव:** इससे प्रवास धीमा होगा, पूंजी प्रवाह में कमी आएगी और क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा। • **अल्पसंख्यक भाषा को खतरा:** उदाहरण के लिए- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, **बो भाषा को बोलने वाले अंतिम बोआ की मृत्यु से** लगभग 70,000 वर्षों के इतिहास वाली **बो भाषा विलुप्त हो गई।**

निष्कर्ष

सर्वसम्मति से पूरे भारत में एक भाषा होने से भाईचारे की भावना मजबूत होगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, आदि। हालांकि, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होगा। इसलिए, 'एक राष्ट्र एक भाषा' को लागू करते समय राज्य सरकारों को स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने; प्राचीन भाषाओं को संरक्षित करने और भाषाई विविधता का सम्मान करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना एवं कार्य-प्रणाली (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning)

3.1. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में **सात-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन** किया है। यह पीठ **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998) में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार** करेगी। गौरतलब है कि नरसिम्हा राव मामले ने भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों की सीमाओं पर बहस छेड़ दी थी।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में

- संसदीय विशेषाधिकार **विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है। इनके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कुछ कृत्यों या दिए गए बयानों के लिए सिविल या दाण्डिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है।**
- अब तक न तो संसद और न ही किसी राज्य विधान-मंडल ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों को परिभाषित करता हो।

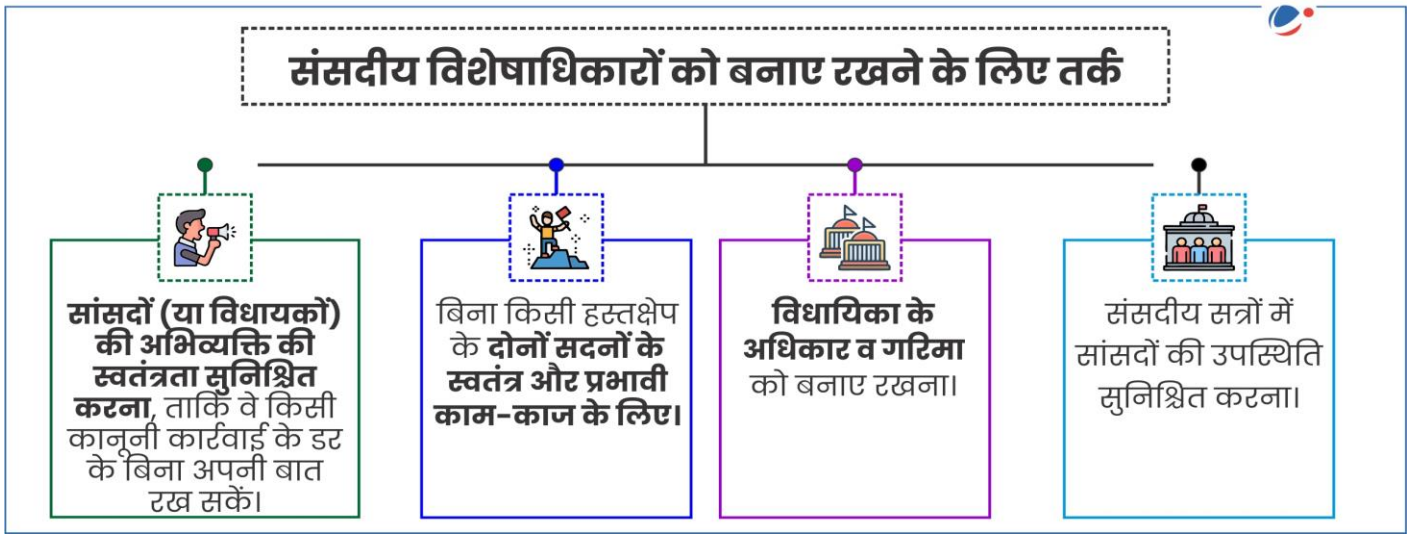

वे कौन-से प्रावधान हैं, जो सांसदों/ विधायकों को अभियोजन (Prosecution) से छूट प्रदान करते हैं?

- **संसद/ राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों और उसके सदस्यों** तथा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार (**अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194**)।
- **कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार {अनुच्छेद 105(2), अनुच्छेद 194(2)}।**
- **अनुच्छेद 105(2)** के अनुसार, **"संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।"**
  - यह स्वतंत्रता **संविधान के प्रावधानों** तथा संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है, जैसा कि संविधान के **अनुच्छेद 118** में प्रावधान किया गया है।
  - हालांकि, **अनुच्छेद 121** सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के **न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।**
- **गिरफ्तारी पर रोक:** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी **कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं** किया जाएगा।

- हालांकि, यह विशेषाधिकार **दीवानी मामलों तक ही सीमित** है। किसी संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा, **किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई से कोई छूट प्राप्त नहीं है।**
- **प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकार:** संसद को किसी भी दाण्डिक आरोप या अपराध के लिए किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

- **अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार:** सदन के सदस्यों को **गैर-सदस्यों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने की शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है।** सदन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकार आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त, **अनुच्छेद 122** के प्रावधानों के अनुसार, **न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं** कर सकती है।

संसदीय विशेषाधिकारों में सुधार की आवश्यकता क्यों?

- **निरीक्षण का अभाव:** सदन के सदस्यों को उनके विशेषाधिकारों का व्यक्तिगत या आधिकारिक लाभ/ हित के लिए दुरुपयोग करने से रोकने हेतु किसी भी स्पष्ट तंत्र का अभाव है।
- **प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध:** विशेषाधिकार नियमों का उल्लंघन वस्तुतः **कानून निर्माताओं (राजनेताओं) को अपने ही मामलों का न्याय करने की अनुमति देता है।**
- **संहिताबद्ध विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति सदन को यह निर्धारित करने की असीमित शक्ति प्रदान करती है** कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कब और कैसे होता है।
- **विशेषाधिकार सांसदों को अभियोजन** से बचाते हैं, क्योंकि जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो दीवानी मामले शुरू नहीं किए जा सकते हैं।
- **संसद तथा विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा शक्तियों और अधिकारों का दुरुपयोग:** इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

आगे की राह

कानून निर्माताओं को रक्षा प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि, संविधानवाद सुनिश्चित करने के लिए **विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करना आदि के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।** इसके अलावा, संसद अपने सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी के लिए **विशिष्ट कानून बनाकर स्पष्ट सीमाएं स्थापित कर सकती है।**

3.1.1. विधि-निर्माताओं का निष्कासन (Expulsion of Lawmakers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17वीं लोक सभा में एक सदस्य को **"अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण (Gratification) स्वीकार" करने के आरोप में सदन से निष्कासित** कर दिया गया था।

भारत में विधि-निर्माताओं का निष्कासन

भारत में किसी सांसद का निष्कासन संवैधानिक और कानूनी (सदन के नियम) आधार पर हो सकता है। जहां **सदन के नियमों** में सांसदों के निलंबन का प्रावधान है, वहीं इन नियमों के जरिए **उन्हें निष्कासित** भी किया जा सकता है।

- **निष्कासन का संवैधानिक आधार:** संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 122** के प्रावधानों के अनुसार, **न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं** कर सकती है। न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप भी किया है, उदाहरण के लिए-
    - **राजा रामपाल वाद (2007)** में न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह कार्यवाहियां न्यायिक जांच के दायरे में आती हैं।
- **सांसदों के निलंबन एवं निष्कासन का कानूनी आधार:**
  - सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए **सदन का पीठासीन अधिकारी** (लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा सभापति) किसी भी सदस्य को **सदन से बाहर जाने का आदेश** दे सकता है।
  - कदाचार के गंभीर मामलों में, सदन किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है **"ताकि सदन से ऐसे लोगों को हटाया जा सके जो सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।"**

संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता

- **संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 102 निम्नलिखित कुछ शर्तों के तहत सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है-**
  - यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन **कोई लाभ का पद** धारण करता है;
  - यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है आदि।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्यता के मानदंड:**
  - यदि किसी व्यक्ति को **किसी अपराध के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा** दी जाती है तो वह अयोग्य हो जाएगा।
  - यदि कोई सांसद **चुनावी अपराधों या चुनावों में भ्रष्ट आचरण का दोषी** पाया जाता है।
- **दसवीं अनुसूची (52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान का भाग बनाया गया):**
  - संविधान में यह भी उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति **दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है**, तो उसे संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि निष्कासन और अयोग्यता एक समान नहीं हैं। अयोग्यता के तहत संसद का कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि निष्कासन के तहत वह चुनाव लड़ सकता है।

भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में निष्कासन की प्रक्रिया की तुलना

आधार	भारत में निष्कासन की प्रक्रिया	अमेरिका में निष्कासन की प्रक्रिया
ऐसा आचरण जिसके लिए निष्कासित किया जा सकता है	**विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर तथा सदन की अवमानना/ प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की अवहेलना करने पर।**	**अमेरिकी कांग्रेस** यह निर्धारित कर सकती है कि कौन-से आचरण के लिए निष्कासित किया जा सकता है
आवश्यक बहुमत	प्रत्येक सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए **साधारण बहुमत की आवश्यकता** होती है।	प्रस्ताव पारित करने के लिए **सदन में दो-तिहाई बहुमत** की आवश्यकता पड़ती है।
एथिक्स कमेटी	निष्कासन के लिए हमेशा एथिक्स कमेटी का **शामिल होना आवश्यक नहीं है।**	इसके लिए **एथिक्स कमेटी की सिफारिश आवश्यक** है।
अयोग्यताएं/ निरर्हताएं	अभी तक **कुल 17 सांसदों को निष्कासित** किया गया है। यह बताता है कि निष्कासन अपेक्षाकृत एक **सरल प्रक्रिया** है।	अभी तक **हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के केवल 6 सदस्यों को ही निष्कासित** किया गया है। यह बताता है कि निष्कासन अपेक्षाकृत एक **जटिल प्रक्रिया** है।

3.1.2. अमेरिका और भारत में महाभियोग (Impeachment in US and India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्तमान राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है।

अमेरिका और भारत में महाभियोग प्रक्रियाओं के बीच तुलना

विषय	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
किन पर महाभियोग चलाया जा सकता है	**राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी सिविल अधिकारियों** पर महाभियोग चलाया जा सकता है।	केवल **राष्ट्रपति** पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संविधान के **अनुच्छेद 61** के तहत महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
महाभियोग का आधार	राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार के मामलों के आधार पर।	**संविधान के अतिक्रमण के आधार पर।**
प्रक्रिया	• **आरोप का प्रस्ताव:** हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य इस हेतु संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। • **मतदान:** संकल्प पारित होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। • **महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी:** संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश।	• **आरोप का संकल्प:** संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग के लिए आरोप लगाने वाला संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कम-से-कम **14 दिन की लिखित सूचना और उस पर सदन के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर** आवश्यक हैं। • **मतदान:** संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम **दो-तिहाई बहुमत** से पारित होना आवश्यक है। ○ जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, उस सदन में संकल्प पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां संकल्प पर मतदान से पहले आरोपों की जांच की जाती है। वहां राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। इस सदन में भी संकल्प को कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित करना आवश्यक है। • **महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी:** संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी।
परिणाम	• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग संकल्प का पारित होना **अभियोग (Indictment) को स्वीकार करने** जैसा है। इससे राष्ट्रपति पद से नहीं हटता। निचले सदन में महाभियोग की मंजूरी के बाद, **उच्च सदन 'सीनेट' की एक अदालत की तरह बैठक** बुलाई जाती है। • राष्ट्रपति को केवल तभी उसके पद से हटाया जा सकता है, जब सुनवाई के बाद **सीनेट के दो-तिहाई सदस्य महाभियोग के पक्ष में मतदान** करें। • हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने **एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग को मंजूरी** दी थी। हालांकि, इनमें से किसी को भी राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाया गया।	• दोनों सदनों से महाभियोग संकल्प पारित होने के बाद **राष्ट्रपति को पद से हटाया** जाता है। • भारत में अभी तक **किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से पद से नहीं हटाया** गया है।

3.2. संसदीय कार्य-प्रणाली (Parliamentary Functioning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17वीं लोक सभा की कुल 274 बैठकें संपन्न हुई थीं। इसके विपरीत, 16 वीं लोक सभा की कुल 331 बैठकें संपन्न हुई थीं।

संसदीय कार्य-प्रणाली की घटती प्रभावशीलता के हालिया उदाहरण

- **विधेयकों की जांच/ संवीक्षा में कमी:** 17वीं लोक सभा में 222 में से 45 विधेयक ऐसे थे, जिन्हें उनके सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले दिन ही पारित कर दिया गया था (ADR रिपोर्ट)। उदाहरण के लिए- **संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023** का पारित किया जाना।
- **विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजना:** इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। **17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयकों** को ही विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। इसके अलावा, **16वीं लोक सभा में केवल 28% विधेयकों** को ही विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था।
- **सांसदों की उपस्थिति में गिरावट:** 17वीं लोक सभा के दौरान सांसदों की उपस्थिति दर **79%** थी। इसके विपरीत, 16वीं लोक सभा के दौरान सांसदों की उपस्थिति दर **81%** थी।

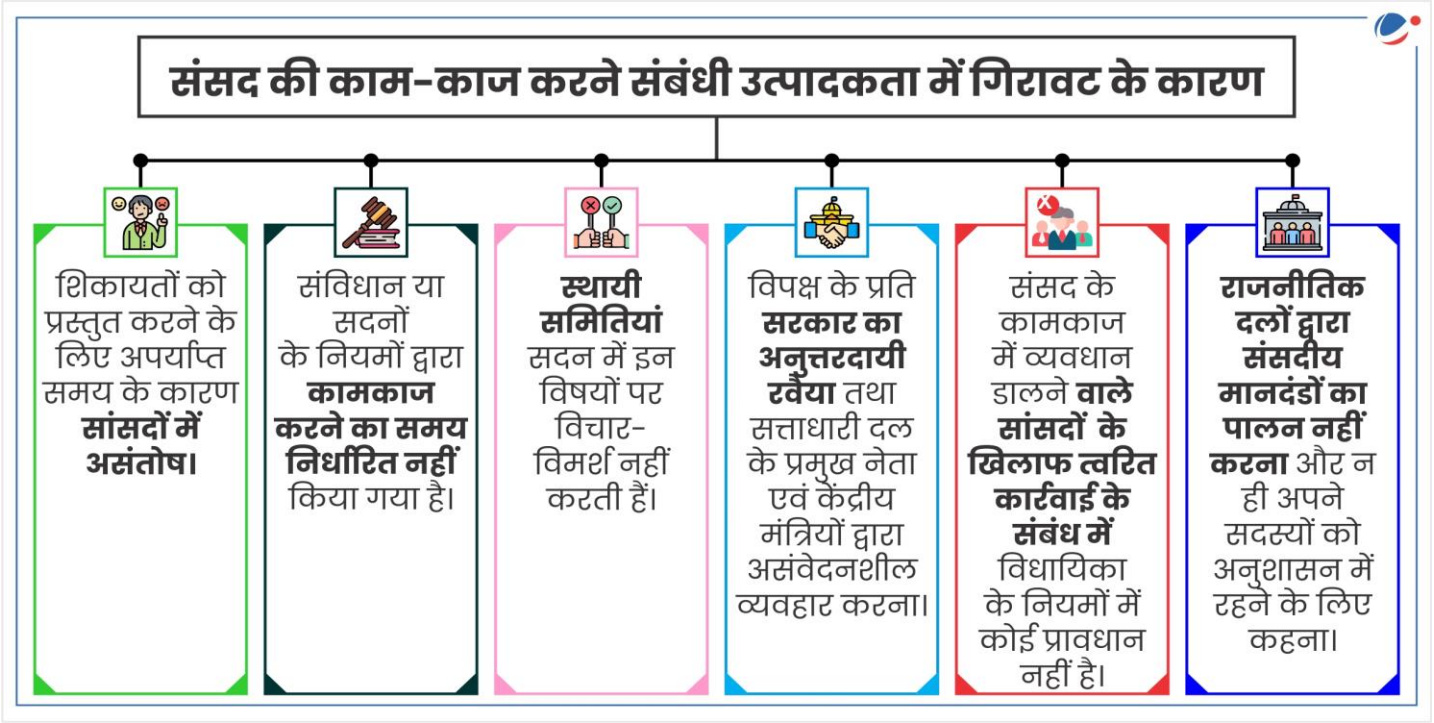

संसद की उत्पादकता को सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **लोकतंत्र में केंद्रीय भूमिका:** लोकतंत्र में संसद की केंद्रीय भूमिका होती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह सरकार के काम पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है।
- **प्रस्तावित कानूनों की जांच करना:** संसद का कार्य सभी प्रस्तावित कानूनों की विस्तार से जांच करना होता है। साथ ही, संसद का कार्य ऐसे कानूनों में किए गए प्रावधानों की बारीकियों और उद्देश्यों को भी समझना होता है। इस आधार पर संसद इन कानूनों पर आगे की कार्यवाही करती है।
- **संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना:** सदन का मुख्य कार्य संविधान द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करना होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद 3D अर्थात् **विचार-विमर्श (Debate), चर्चा (Discussion) और मंत्रणा (Deliberation) जैसे सिद्धांतों का प्रभावी** ढंग से पालन करे।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना: अनुच्छेद 75** में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

संसदीय उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

- **बैठकों की संख्या बढ़ाना:** सदन की बैठक के संबंध में **NCRWC**[16] ने सिफारिश की है कि लोक सभा और राज्य सभा में बैठकों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 120 और 100 निर्धारित की जानी चाहिए।
- **संसद सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता:** संसदीय समितियों को संस्थागत रूप से तकनीकी विषयों के बारे में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे समितियां **तकनीकी और जटिल नीतिगत मुद्दों की जांच करने में सक्षम हो पाएंगी।**
- **समिति को विधेयक भेजना:** समितियों द्वारा सभी विधेयकों और बजटों की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। साथ ही, समिति के विशेषज्ञ सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि जटिल विषयों पर उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।
- **उत्तरदायी विपक्ष:** विपक्ष के सदस्यों को तर्कसंगत और सकारात्मक सुझावों पर आधारित प्रश्न पूछ कर, आपत्ति जताकर और सुझाव देकर अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

3.3. अध्यक्ष का पद (Office of Speaker)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **श्री ओम बिरला को 18वीं लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में फिर से निर्वाचित** किया गया है।

लोक सभा का अध्यक्ष कौन होता है?

- लोक सभा का अध्यक्ष, **लोक सभा और उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख** होता है। यह **अनुच्छेद 93** के तहत एक संवैधानिक पद है।
- वह लोक सभा के **सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक** होता है।
  - वह सदन के कार्य-संचालन और इसकी कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखता है।
- वह सदन के काम-काज से संबंधित प्रावधानों का अंतिम **व्याख्याता (Interpreter) और मध्यस्थ/ विवाचक (Arbiter)** होता है।

अध्यक्ष के कार्यों से जुड़े मुद्दे

- **दल-बदल विरोधी कानून के तहत भूमिका:** उदाहरण के लिए- वर्ष 2020 में मणिपुर विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका लगभग तीन वर्षों से लंबित थी।
  - **नबाम रेबिया वाद (2016):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का नोटिस दिया गया है, तो उसे विधायकों / सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
- **धन विधेयक की घोषणा पर:** उदाहरण के लिए- आधार विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का लोक सभा अध्यक्ष का फैसला।
- **पूर्वाग्रह और पक्षपात के आरोप**: उदाहरण के लिए- वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधान सभा के विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में एक दल के सदस्यों को विरोध प्रदर्शन के दौरान सदन से सामूहिक रूप से बाहर निकाल दिया गया था।
- **पक्षपात के आरोप:** ब्रिटेन में, अध्यक्ष निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दल की सदस्यता छोड़ देता है। भारत में इस परंपरा का पालन नहीं किया जाता, जिससे अध्यक्ष की निष्पक्षता प्रभावित होती है।

[16] National Commission to Review the Working of the Constitution/ संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग

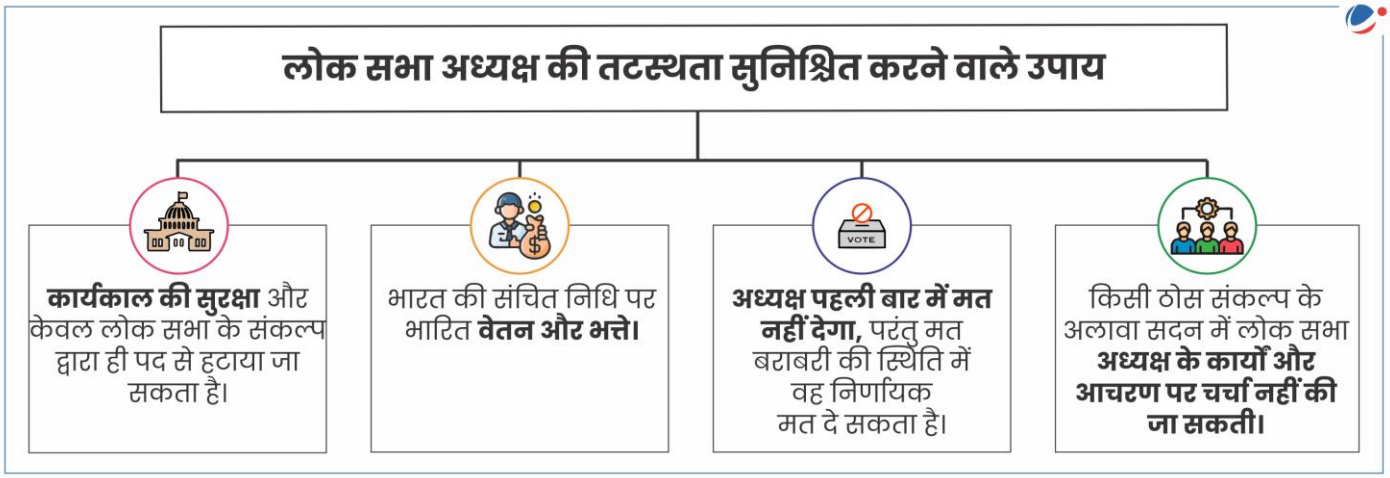

अध्यक्ष के पद में सुधार के लिए सुझाव

- **दल-बदल विरोधी कानून में अध्यक्ष की भूमिका कम करना:** कीशम मेघचंद्र सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा तंत्र (जहां अयोग्यता संबंधी याचिकाएं अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं) को एक स्थायी अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- **ब्रिटेन के मॉडल का पालन करना:** ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, राजनीतिक दल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव के दौरान अध्यक्ष का विरोध करने से बचते हैं।
- **प्रदर्शन के आधार पर निरंतरता:** पेज कमेटी (जिसकी अध्यक्षता वी.एस. पेज ने की थी) ने सिफारिश की थी कि यदि अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता और दक्षता प्रदर्शित करता है, तो उसे अगली लोक सभा में बने रहने की अनुमति दी जाए।
- **राजनीतिक पद पर प्रतिबंध:** यह प्रस्तावित किया गया है कि कुछ अपवादों के साथ अध्यक्ष की भविष्य में किसी भी राजनीतिक पद पर नियुक्ति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उसे आजीवन पेंशन प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

एक जागरूक संसद एक सुचारू रूप से कार्यशील लोकतंत्र की नींव बनाती है। संसद के पीठासीन अधिकारी इस संस्था की प्रभावशीलता को सुरक्षित रखने की कुंजी हैं। **इस प्रकार, अध्यक्ष के पद में निर्णय लेने में निष्पक्षता, न्यायोचितता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।**

3.4. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law: ADL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

दल-बदल रोधी कानून क्या है?

- दल-बदल रोधी कानून एक विधायी ढांचा है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव के बाद राजनीतिक दल बदलने या अपने दल के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने से रोकना है।
  - इसे **1985 में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में अधिनियमित** किया गया था।
- **दल-बदल कानून पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:**
  - राष्ट्रमंडल देशों में से **23 देशों** में दल-बदल विरोधी कानून विद्यमान हैं।
  - **ब्रिटेन की संसद** में, किसी एक दल का सदस्य किसी **अन्य दल में जाने के लिए स्वतंत्र है।** उसे किसी भी प्रकार के निरर्हता कानून का भय नहीं होता है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया** में विधि निर्माताओं के दल बदलने पर कोई रोक नहीं है।

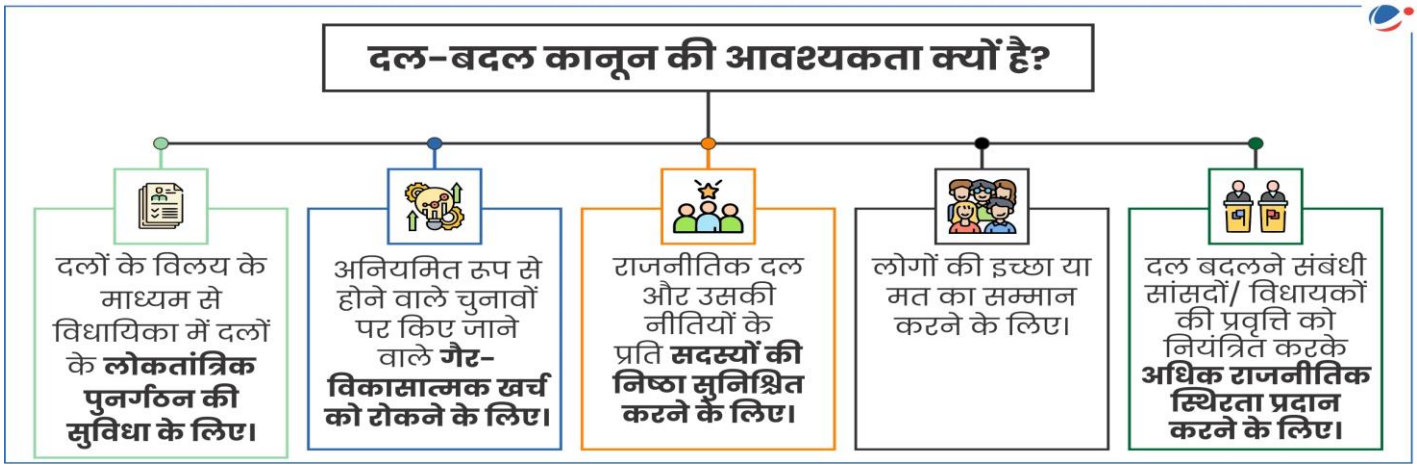

दल-बदल विरोधी कानून में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **पीठासीन अधिकारी को व्यापक शक्ति:** पीठासीन अधिकारी को दल बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामले पर निर्णय लेने के लिए व्यापक और पूर्ण शक्तियां दी गई हैं।
- **अस्थिरता रोकने में असमर्थ:** इसके कारण, जहां एक तरफ मौजूदा सरकारें गिर जाती हैं, तो वहीं दल छोड़ने से शासन व्यवस्था में बाधा भी पैदा हो सकती है।
- **दल से निकाले जाने पर निरर्हता का नियम लागू नहीं होता है:** इस कानून में स्वेच्छा से दल बदलने के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, किसी राजनीतिक दल से किसी सदस्य को निकाले जाने को लेकर इसमें कोई प्रावधान नहीं है। अपने दल से एक बार निकाले जाने के बाद, ऐसे सदस्य सदन में स्वतंत्र रहते हैं और उनके पास दूसरे दलों में शामिल होने का विकल्प रहता है।
- **राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं:** यह केवल विधि निर्माताओं को दल बदलने के लिए दंडित करता है।
- **विलय के प्रावधान से संबंधित समस्या:** इसमें दल-बदल का आधार किसी कारण को न मानकर, सदस्यों की संख्या को माना गया है, जो अतार्किक प्रतीत होता है।
- **प्रतिनिधिक सरकार को बनाए रखने हेतु:** दल-बदल विरोधी कानून के चलते सदन के सदस्य कई मुद्दों पर अपनी पार्टी के विचार से असहमत होने पर भी पार्टी लाइन के खिलाफ अपना मत नहीं रख पाते हैं। इससे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। इन सबसे अंततः निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी प्रभावित होती है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **दल-बदल की परिभाषा को सीमित व स्पष्ट करना:** दल-बदल को इस तरह से परिभाषित किया जाए कि विधायकों/ सांसदों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और अपनी राय व्यक्त करने में कोई परेशानी न हो।
- **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग** ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- **दलों का आंतरिक लोकतंत्र:** इससे अप्रत्यक्ष रूप से सभी की राय को महत्त्व दिया जा सकेगा, चाहे वह दल का छोटा कार्यकर्ता ही क्यों न हो।
- **आचार समिति की भागीदारी:** जैसा कि कैश फॉर क्वेरी घोटाले में किया गया था। इससे विधि-निर्माताओं की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
- **अधिक स्पष्टता लाना:** किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए, कानून में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि **'स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने' का क्या अर्थ है।**

3.5. प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां, **मूल कानून (Parent Act)** द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह **अधिकारातीत (Ultra Vires)** है और उन्हें प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से **कार्यकारी प्राधिकरण को कानून बनाने के लिए मूल कानून (प्राथमिक विधान) द्वारा शक्तियां प्रदान** की जाती हैं। ये कानून उस मूल कानून की आवश्यकताओं को लागू करने और प्रशासित करने के लिए बनाए जाते हैं।
- **प्रत्यायोजित विधान के उद्देश्य:**
  - यह सरकार को संसद द्वारा नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना कानून बनाने में सक्षम बनाता है।
  - संसद पर दबाव को कम करना।
  - **अधिक जटिल हो रहे आधुनिक प्रशासन को सरल बनाना:** कुछ विशेष और उपयुक्त अवसरों पर नए सुधारों को अपनाने तथा अलग-अलग प्राधिकरणों को अधिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **निम्नलिखित परिस्थितियों में एक प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) अमान्य होगा:**
  - यदि **मौलिक अधिकारों या भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन** किया गया है।
  - यदि नियम/ विनियम **मूल अधिनियम के प्रावधानों के दायरे से बाहर** हैं या मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
  - यदि कार्यपालिका के पास उक्त नियम या विनियम को बनाने की **विधायी क्षमता** नहीं थी।
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि विधायिका अपने **"अनिवार्य विधायी कार्यों"** को कार्यपालिका (Executive Branch) को नहीं सौंप सकती है।

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित मुद्दे

- प्रत्यायोजित विधान की **व्यापक जांच नहीं** हो पाती है।
- **नियमों और विनियमों को अधिसूचित करने की संख्या बहुत अधिक है:** उदाहरण के लिए- कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने के बाद से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने इस अधिनियम के तहत **56 नियमों** को अधिसूचित किया है। साथ ही, MCA ने **181 सर्कुलर** जारी किए हैं।
- **लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध:** प्रत्यायोजित विधान के चलते कार्यपालिका से जुड़े लोग नियम बनाने के कार्य में शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्यायोजित विधान में **राजनीतिक हितों** के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **कार्यपालिका द्वारा शासन करने की शक्तियों का दुरुपयोग:** खराब नियम अनिवार्य रूप से मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं। इससे न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि होगी।
- **कार्यों का अतिव्यापन (Overlapping of the Function):** उदाहरण के लिए- प्रत्यायोजित विधान में शामिल अधिकारियों को कानून में संशोधन करने का कार्य मिलता है, जो विधि निर्माताओं का कार्य है।

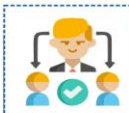

प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **केरल राज्य विद्युत बोर्ड वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों सहित किसी **प्रत्यायोजित विधान** के जरिए उस संसदीय कानून को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह शक्ति प्राप्त करता है, बल्कि इसे मूल कानून का पूरक होना चाहिए।
- **विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (विमुद्रीकरण संबंधी वाद), 2016: सुप्रीम कोर्ट** ने विमुद्रीकरण पर **केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए** प्रत्यायोजित विधान की वैधता को यथावत रखा।
- **डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य वाद (1959):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद 312** प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है।

आगे की राह

- **सांसदों और समितियों के बीच समन्वय:** यदि किसी सांसद द्वारा अधीनस्थ विधान को विशेष आधार पर विश्लेषण के लिए सदन के किसी समिति के पास भेजा जाता है, तो अनिवार्य रूप से इस पर कार्य शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद समयबद्ध तरीके से इसके बारे में सदन को सूचित किया जाना चाहिए।
- **संसदीय प्रक्रियाओं में संशोधन:** संसद की प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विधायिका के सदस्य प्रत्येक नियम की पुष्टि कर सकें।
- **अतिरिक्त कार्य समितियां:** अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति के तहत **अतिरिक्त कार्य समितियों** का गठन किया जाना चाहिए। इनमें संसद के तहत आने वाले सभी नियमों का व्यापक अध्ययन करने में मदद करने के लिए कानून और नीति-निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **नियमों का मसौदा तैयार करने में देरी:** किसी अधिनियम के निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख से छः महीनों तक नियमों का मसौदा तैयार नहीं होने पर **देरी के कारणों** का समिति के सामने उल्लेख किया जाना चाहिए।

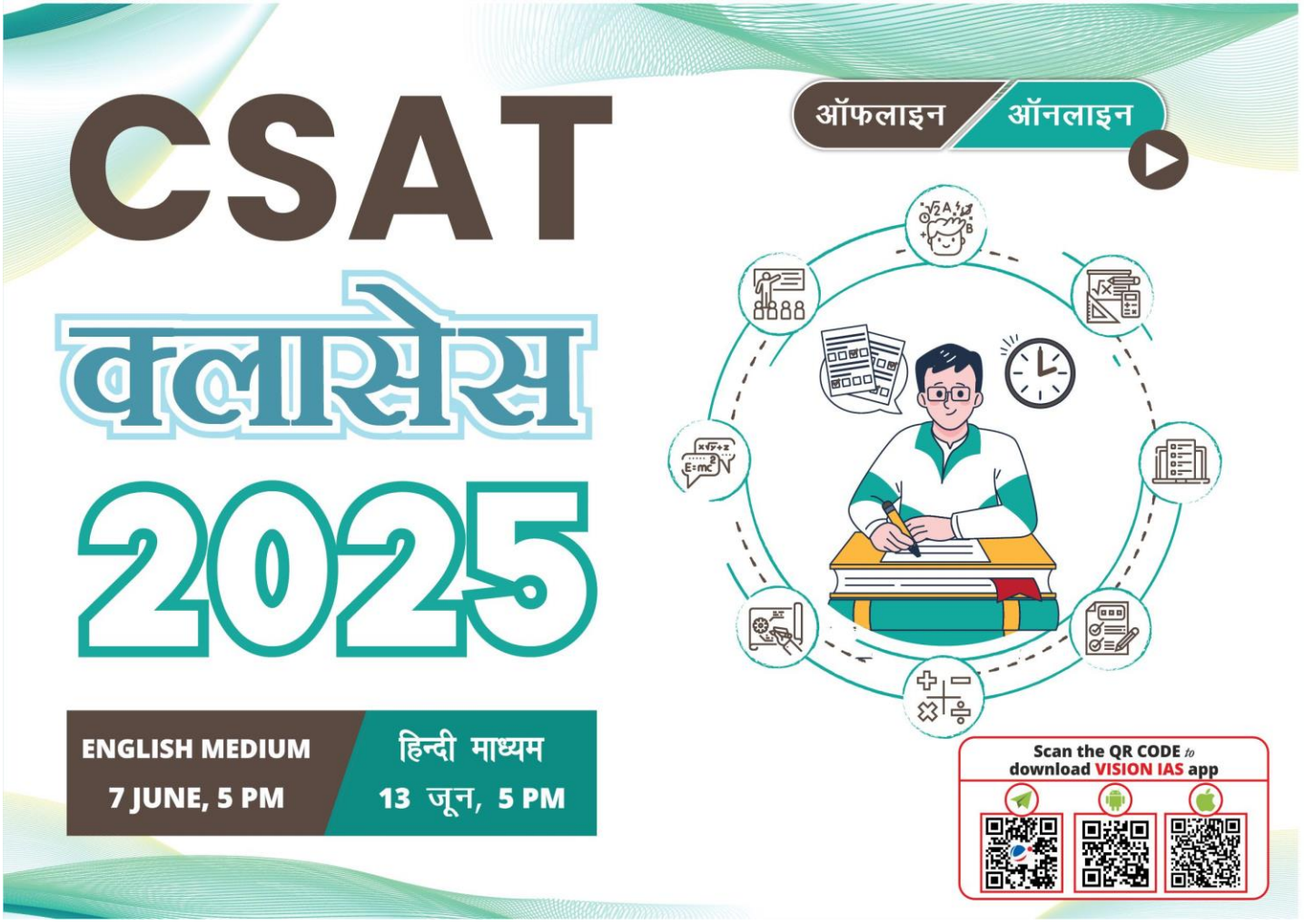

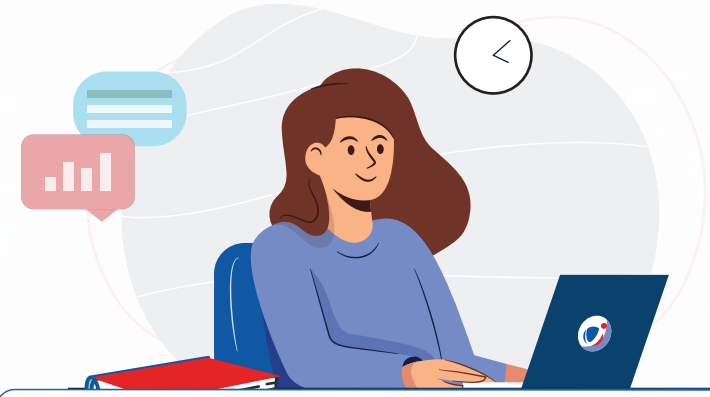

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. न्यायिक और अन्य अर्द्ध-न्यायिक निकायों की संरचना एवं कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and other Quasi-Judicial Bodies)

4.1. भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष: एक नज़र में (75 Years of the Supreme Court of India at a glance)

भारत का सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत **सर्वोच्च न्यायिक निकाय** है। यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।
- **संविधान के अनुच्छेद 124(1)** के अनुसार, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होगा। अन्य न्यायाधीशों की संख्या सात से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित न करे।
  - वर्तमान में, **सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश** (कुल 34 न्यायाधीश) हैं।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124 से 147** में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषता

अपील का सर्वोच्च न्यायालय	सलाहकारी अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 143)	संघ और राज्य/ राज्यों के मध्य तथा अलग-अलग राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है (अनुच्छेद 131)	जनहित याचिका (PIL)	सुप्रीम कोर्ट रिट तथा आदेश जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। (अनुच्छेद 32)	न्यायिक समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **लंबित मामलों की बहुत अधिक संख्या:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, अकेले सुप्रीम कोर्ट में 85,000 से अधिक मामले लंबित हैं।
- **न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम:** यह बहस नीति निर्धारण और शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की उचित भूमिका के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
- **अंकल जज सिंड्रोम:** भारत के विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में संभावित पक्षपात (Favouritism) के बारे में चिंता प्रकट की गई थी। इससे न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।
- **न्यायपालिका-कार्यपालिका संघर्ष:** न्यायिक नियुक्तियों में देरी; न्याय का अधिकरणवाद; कोविड-19 के दौरान कार्यपालिका की सार्वजनिक आलोचना आदि न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच मौजूद मतभेद को प्रकट करते हैं।
- **जनता की धारणा और विश्वास:** पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे को लेकर न्यायपालिका के प्रति जनता की धारणा बहुत सकारात्मक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में शुरू की गई तकनीकी पहलें

- **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:** इसके तहत वास्तविक समय में केस की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि के लिए 7 प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं।
- **वर्चुअल कोर्ट:** ये भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर केस के निर्णय को सक्षम करते हैं।
- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG):** यह प्रणाली लंबित मामलों की निगरानी करती है और उन्हें कम करती है।
- **नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसज (NSTEP):** यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन (Summons) भेजने और जारी करने की सुविधा प्रदान करती है।

आगे की राह

- **न्यायिक सुधार:** न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अवसंरचना में सुधार और रिक्तियों को तुरंत भरने जैसे न्यायिक सुधारों को लागू करना चाहिए। इससे लंबित मामलों के संचित कार्यभार को कम करने और समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लानी चाहिए और निर्णयों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए। इससे न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाना:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका, कार्यपालिका या सरकार की अन्य शाखाओं के अनुचित प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त है।
- **केस प्रबंधन और तकनीक:** केस प्रबंधन प्रणाली को लागू करने और ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वर्चुअल हियरिंग के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इससे संचित कार्यभार को कम करने तथा दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

4.2. आपराधिक न्याय प्रणाली: एक नज़र में (Criminal Justice System at a Glance)

आपराधिक न्याय प्रणाली

अपराध की रोकथाम, जांच, अभियोजन, दंड और सुधार से निपटने एवं कमजोर वर्गों की रक्षा करने में औपचारिक एजेंसियों की संरचना, कार्य और निर्णय या प्रक्रियाओं को आपराधिक न्याय प्रणाली कहा जाता है। इसमें निवारण (Deterrence), प्रतिकार (Retribution), अशक्तता (Incapacitation), पुनर्वास (Rehabilitation) और क्षतिपूर्ति (Reparation) जैसे दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्यों हैं?

- **औपनिवेशिक छाप को हटाना:** आधुनिक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप कानूनों को अपडेट करना।
- **दोषसिद्धि की कम दर:** NCRB 2022 के अनुसार दोषसिद्धि की दर हत्या के मामले में (43.8%), बलात्कार के मामले में (27.4%) है।
- **न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा करना:** सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं।
- **जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की कम संख्या:** प्रति 10 लाख की आबादी पर 21 न्यायाधीश।
- **आधुनिक तकनीक:** साक्ष्य प्रबंधन, भंडारण आदि को शामिल करना।
- **प्रत्यर्पण के मामले में कम सफलता।**
- **मानव संसाधन की कमी:** प्रति एक लाख आबादी पर 192 पुलिस (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह 222 होना चाहिए)।

उठाए गए कदम

- **तीन नए आपराधिक कानून:**
  1. भारतीय न्याय संहिता
  2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
  3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- **गवाह संरक्षण योजना, 2018**
- **फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना**
- **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम (CPA), 2022**
- **राज्यों से सर्वोत्तम अभ्यास: राजस्थान की खुली जेल प्रणाली**

आगे की राह

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006):
  - राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए **राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना।**
  - न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल के साथ **योग्यता के आधार पर DGP की नियुक्ति करना।**
  - स्थानांतरण, पदस्थापना, पदोन्नति और वेतन के प्रबंधन के लिए **पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करना।**
  - केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना करना।**
- **अभियोजकों की स्वतंत्रता में वृद्धि: प्रत्येक राज्य में एक मजबूत, परिचालनात्मक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र अभियोजन विभाग की स्थापना करना।**
- **मलिमथ समिति की सिफारिशें**
  - **राइट टू साइलेंस या मौन रहने का अधिकार:** आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination) के लिए अनुच्छेद 20(3) में संशोधन करना।
  - **अभियुक्त के अधिकार (Rights of accused):** जागरूकता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में संहिता की अनुसूची प्रकाशित करना।
  - गवाहों के **मृत्यु पूर्व बयान**, इकबालिया बयान (Confessions) और ऑडियो/ वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किए गए के बयानों को अधिकृत किया जाना चाहिए।
  - **लोक अभियोजन:** प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सहायक लोक अभियोजकों और अभियोजकों की नियुक्ति करनी चाहिए।

4.2.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश के तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। ये तीन नए कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

4.2.1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

उद्देश्य

इसे **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860** के स्थान पर लाया गया है। गौरतलब है कि IPC, 1860 में कई पुराने और अप्रासंगिक प्रावधान थे।

पृष्ठभूमि

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 से पहले:** भारतीय दाण्डिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम/ कानून शामिल थे।
- **IPC, 1860 के लागू होने के बाद:** विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में **महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड** आदि विषयों पर **IPC में संशोधन करने की सिफारिश** की गई थी।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान

- **सामुदायिक सेवा:** छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है।
- **महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध:** 18 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। इसके लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। पहले 16 वर्ष से कम उम्र को नाबालिग माना गया था।
  - इसमें छल-कपट/ धोखे से या झूठे वादे करके **किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध** माना गया है।
- **राजद्रोह (Sedition):** इस संहिता में **राजद्रोह (IPC की धारा 124A)** से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु **दंड का प्रावधान** करता है:
  - **अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों** को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना,
  - **अलगाववादी गतिविधियों** से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या
  - **भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।**
- **आतंकवाद:** इस संहिता में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की **एकता, अखंडता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना अथवा भारत या किसी अन्य देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के बीच भय पैदा** करना है।
- **संगठित अपराध:** यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है:
  - निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे- अपहरण, जबरन वसूली, और साइबर अपराध आदि;
  - अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध।

संभावित प्रभाव

- **व्यक्ति-निष्ठ व्याख्या (Subjective interpretation):** "आपराधिक गतिविधि" की अस्पष्ट परिभाषाएं उनके अनुचित प्रयोग का कारण बन सकती हैं। साथ ही, ये वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने भी का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए-
  - **"विध्वंसक गतिविधियों"** में किसी भी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती है, या
  - संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोगों को उकसाना या डराना जैसी चीजों को "आतंकवादी कृत्य" में शामिल किया गया है।
- **पुलिस की विवेकाधीन शक्तियां:** स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में नए कानूनों या UAPA जैसे मौजूदा कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के बीच चयन करने के मामले में पुलिस की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि हुई है। इससे असंगत आवेदन और निष्पक्षता एवं जवाबदेही के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं।
- **मौजूदा मुकदमों में विलंब:** यद्यपि यह विधेयक लंबित कार्यवाहियों और मुकदमों पर लागू नहीं होता है, लेकिन न्यायालयों पर इनकी **व्याख्या करने का अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है।** इसके परिणामस्वरूप अपराधों की वास्तविक सुनवाई में विलंब होगा।

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना है। वहीं लगभग 160 साल पहले बनी IPC को एक औपनिवेशिक सरकार ने तैयार किया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना नहीं, बल्कि दंडित करना था।

4.2.1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

उद्देश्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित** किया गया है। **CrPC** में भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution) और जमानत (Bail) की प्रक्रिया** संबंधी प्रावधान किए गए थे।

पृष्ठभूमि

- **उत्पत्ति:** CrPC को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन **1861** में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद **1872 और 1882** में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।
  - इसमें **कई संशोधन** किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन **1898, 1923 और 1955** में किए गए थे।
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में, इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप **CrPC, 1973** का निर्माण किया गया था।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान

- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जाएगा।
  - यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए **कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
    - **यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है।**
      - ✓ **मृत्युदंड व आजीवन कारावास** की सजा वाले अपराधों पर, और
      - ✓ ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ **एक से अधिक अपराधों** में कार्यवाही लंबित है।

- **मेडिकल जांच:** इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों, जैसे- बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है।
- **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिनके लिए कम-से-कम **सात वर्ष** के कारावास के दंड का प्रावधान है।
  - यदि किसी राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह दूसरे राज्य की इस सुविधा का इस्तेमाल करेगा।

- **हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप (फिंगरप्रिंट):** यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं।
- **कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा:** यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय-सीमा निर्धारित करती है। जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय-सीमा का निर्धारण करती है।

निष्कर्ष

फॉरेंसिक साइंस को शामिल करने तथा पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से 'त्वरित न्याय' की अवधारणा साकार होगी।

4.2.1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)

उद्देश्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित** किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी/ सिविल और फौजदारी/ दाण्डिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि

- **उत्पत्ति:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम को **1872** में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य **साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित** करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है।
  - विगत वर्षों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं। इनमें सबसे हालिया संशोधन वर्ष 2000 में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्यता** प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष 2013 में भी **बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधान जोड़ने** के लिए संशोधन किया गया था।
- **प्राथमिक मुद्दा:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई **प्रौद्योगिकीय उन्नति के अनुरूप नहीं** है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान

- **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा।
- इसके तहत **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया** गया है, ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा ई-मेल, सर्वर लॉग आदि में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके।
- **दस्तावेजी साक्ष्य:** इसमें कहा गया है कि **लेखों, मानचित्रों और व्यंगात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज** माना जाएगा।
- **मौखिक साक्ष्य:** मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
- **संयुक्त सुनवाई (Joint trials):** कानून में ये बताया गया है कि अगर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और उनमें से एक आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देता है, तो भी बाकी आरोपियों का संयुक्त मुकदमा (एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का मुकदमा) चलाया जाएगा।
  - संयुक्त सुनवाई में, यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा, दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है, तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई सुनवाई ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती है, जो भगौड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा।

संभावित प्रभाव

- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होगी:** इससे त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि के मामलों में कमी आ सकती है। साथ ही, मामलों की जांच में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।
- **निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:** इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनमें संग्रहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच के कारण निजता के उल्लंघन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष

ये तीनों नए कानून वास्तव में दाण्डिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशीकरण से मुक्त करने और दाण्डिक कार्यवाहियों में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं। नए दाण्डिक कानूनों की नियमित निगरानी और समय-समय पर समीक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क भी दाण्डिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

4.2.2. जेल सुधार (Prison Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मामलों पर संसदीय समिति ने **"जेलों की स्थिति, अवसंरचना और सुधार[17]"** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भारत में जेलों का प्रशासन

- **जेल और उनमें बंद कैदी, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय हैं।**
- हालांकि, **आपराधिक न्याय प्रणाली** में इस विषय की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय **गृह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता** प्रदान करता रहा है।

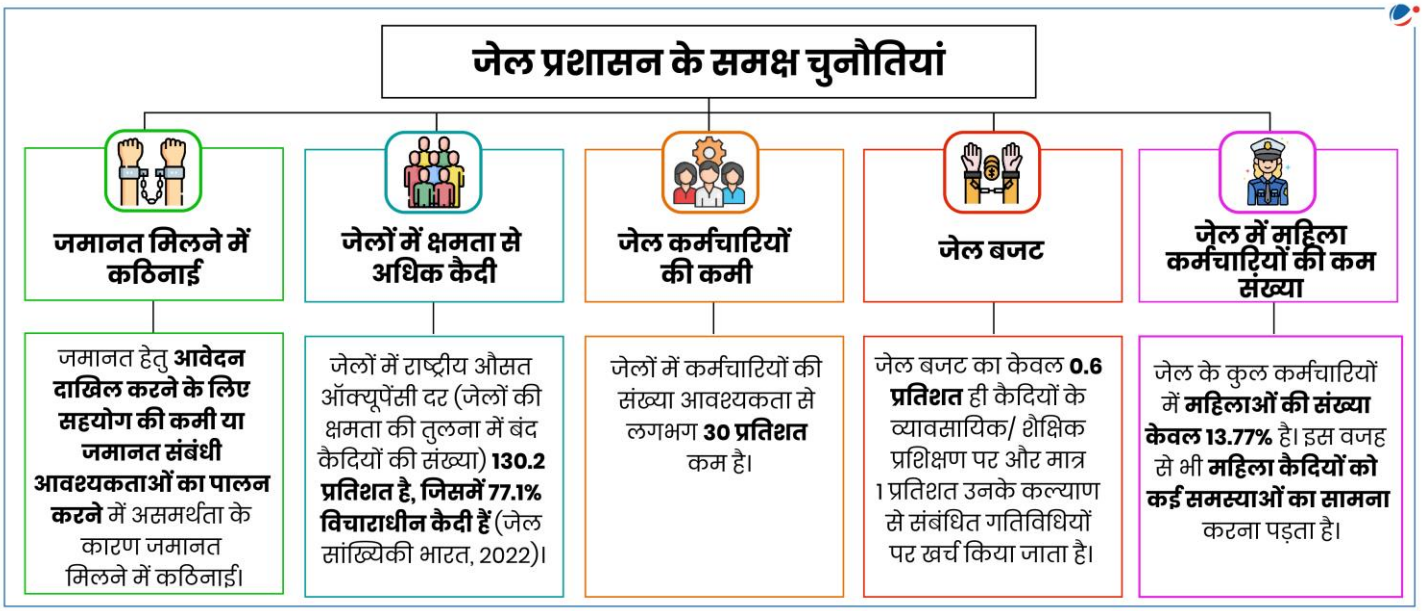

जेल सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मॉडल जेल नियमावली, 2016:** इस नियमावली का उद्देश्य पूरे देश में जेलों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित कानूनों, नियमों एवं विनियमों में बुनियादी एकरूपता लाना है।
- **आदर्श जेल और सुधारक सेवा अधिनियम, 2023** ने **जेल अधिनियम (1894)** की जगह ली है। साथ ही, इस कानून में **प्रिजनर्स एक्ट 1900** और **प्रिजनर्स ट्रांसफर एक्ट 1950** के प्रासंगिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
- **ई-जेल परियोजना** ने जेल प्रबंधन में दक्षता को बढ़ाया है।
- **जेल आधुनिकीकरण योजना** के तहत जेलों में बुनियादी ढांचे और अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है।

आगे की राह

- **गृह मामलों पर संसदीय समिति की सिफारिशें**
  - केंद्रीय बजट 2023 में घोषित **"गरीब कैदियों के लिए सहायता कार्यक्रम"** का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
  - **जमानत पर छूटे कैदियों की निगरानी करने के लिए तकनीक का उपयोग** किया जाना चाहिए। इसके लिए **ट्रैक किए जा सकने वाले ब्रेसलेट** जैसे उपकरणों की मदद ली जा सकती है।
  - औपनिवेशिक काल की जेलों की विरासत और स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए उनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। इनमें **पर्यटन को प्रोत्साहित करके राजस्व अर्जित** किया जा सकता है।

[17] Prison conditions, Infrastructure and Reforms

- **राज्य सरकारें** कैदियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन हेतु **जेल विकास कोष** का गठन कर सकती हैं।

- **मुल्ला समिति:** भारत सरकार ने 1980 में **न्यायमूर्ति ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति का गठन** किया था। मुल्ला समिति की कुछ **प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:**
  - जेल कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें अलग-अलग कैडर में संगठित किया जाना चाहिए। **भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा** नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है।
  - **सजा समाप्त होने के बाद देखभाल (After-care), पुनर्वास और प्रोबेशन** जेल सेवाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
  - प्रेस और अन्य लोगों को समय-समय पर जेलों व संबद्ध सुधार संस्थानों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **विचाराधीन कैदियों को जेलों में कम-से-कम समय तक रखा जाना चाहिए** और उन्हें दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए।

4.3. भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunal System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि **अधिकरण सरकार को नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दे सकते।** कोर्ट ने अपनी टिपण्णी में यह भी कहा कि नीति निर्माण न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अधिकरण प्रणाली के बारे में

- **प्रकृति:** अधिकरण **अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय** होते हैं।
- **उद्देश्य:** इनका उद्देश्य **न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम** करना है। इसके अलावा, अधिकरणों में **तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ** भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है।
- **अधिकरणों की संरचना:** पारंपरिक अदालतों के विपरीत, **अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ विशेषज्ञ सदस्य (यानी तकनीकी सदस्य) भी नियुक्त** किए जाते है।
- **क्षेत्राधिकार:** प्रत्येक अधिकरण को उसकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए **विशिष्ट क्षेत्राधिकार** दिया गया है।
  - **कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है।** इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं।
- **अपील:** सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जाती है। हालांकि, कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी।
  - **चंद्र कुमार वाद (1997)** में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट की **खंडपीठ में अपील करने की अनुमति** प्रदान की थी।
- वर्तमान में, अधिकरणों को **हाई कोर्ट के विकल्प और हाई कोर्ट के अधीनस्थ,** दोनों के रूप में स्थापित किया गया है।
- 1976 में, **42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323A और 323B** को भारत के संविधान में जोड़ा गया था।

भारत में अधिकरण प्रणाली से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 323A:** यह **संसद को** लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए **प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।** संसद केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अधिकरणों का गठन कर सकती है।
- **अनुच्छेद 323B:** इसके तहत अन्य विषयों **(जैसे- कराधान, भूमि सुधार आदि) के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन विषयों के लिए** संसद या राज्य विधान-मंडल **कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकते हैं।**
  - **2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था** कि **अनुच्छेद 323B** के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं हैं। राज्य **विधान-मंडल** संविधान की **सातवीं अनुसूची** में उल्लिखित उनके अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर **अधिकरण का गठन कर सकते हैं।**

अधिकरणों का महत्त्व

- **विशेषज्ञता:** अधिकरणों में मामलों का निपटारा **प्रासंगिक कानूनी और तकनीकी मुद्दों की गहरी समझ** रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इससे **न्यायिक विशेषज्ञता** सुनिश्चित होती है।
- **शीघ्र समाधान:** यह व्यवस्था उन क्षेत्रों यथा- **सेवा मामले, कर विवाद, पर्यावरणीय मुद्दे आदि** के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां समय पर निर्णय देना जरूरी होता है।
- **पहुंच: भौगोलिक रूप से** अधिकरणों और इनकी पीठों को देश भर में स्थापित किया गया है।
- **सेवा मामलों में दक्षता:** केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)[18] जैसे **प्रशासनिक अधिकरण, सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा-संबंधी मामलों का निपटान शीघ्रता** से करते हैं।

अधिकरणों के संबंध में चिंताएं

- **स्वतंत्रता का अभाव:** 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति** के लिए बनी **चयन समितियों** में न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्यों की कमी **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** का उल्लंघन है।
- **लंबित मामले:** उदाहरण के लिए- मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में 7,500 से अधिक मामले लंबित हैं।
- **कार्यकाल की अवधि:** 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुनर्नियुक्ति जैसे प्रावधानों सहित अधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल कम अवधि का होता है, जो न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव और नियंत्रण में वृद्धि करता है।
- **क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन (Overlapping):** अधिकरणों की स्थापना से नियमित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और संभावित संघर्ष पैदा होते हैं।
- **तकनीकी सदस्यों के संबंध में चिंताएं:** कुछ अधिकरणों में, **तकनीकी सदस्यों में कानूनी योग्यता का अभाव** होता है।

आगे की राह

- **अधिकरणों का प्रशासन:** कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति (2015) ने भारत में सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)**[19] नामक एक स्वतंत्र निकाय के निर्माण की सिफारिश की थी।
  - 2020 में, शीर्ष न्यायालय ने अधिकरणों में नियुक्तियों के साथ-साथ इनके कामकाज और प्रशासन की निगरानी के लिए NTC के गठन पर भी बल दिया था।
- **समय पर नियुक्तियां:** मामलों को निपटाने में होने वाली देरी को रोकने और संचित कार्यभार को कम करने के लिए अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी स्पष्ट सीमाएं:** नियमित अदालतों के अतिव्यापन और विरोधाभासी फैसलों से बचने के लिए प्रत्येक अधिकरण के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया जाना चाहिए।

4.4. न्यायिक सुधार (Judicial Reforms)

4.4.1. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने **न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार** कर दिया है।

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली

- **संवैधानिक अधिदेश:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124** के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजनार्थ परामर्श करना आवश्यक समझे, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।
  - जबकि **उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति (अनुच्छेद 217 के तहत)** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा।

[18] Central Administrative Tribunal

[19] National Tribunals Commission

- **कॉलेजियम प्रणाली** वह माध्यम है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है या स्थानांतरण किया जाता है।
    - सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की **अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** करते हैं और इसमें शीर्ष न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- **न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली श्री जजेज केस के साथ विकसित हुई है। इन मामलों में 1981 से लेकर 1998 तक सुनवाई हुई थी।**

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति/ कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित समस्याएं

- **न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति:** यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच **'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत'** तथा एक अंग द्वारा दूसरे अंग पर **'नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत'** के खिलाफ है। गौरतलब है कि ये दोनों सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
- **पारदर्शिता का अभाव: प्रचलित नियुक्ति प्रणाली में औपचारिकता और पारदर्शिता का अभाव है।** इसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कई आशंकाएं पैदा होती है।
- **प्रशासनिक चुनौती: मौजूदा समय में संभावित रूप से नियुक्त होने वाले किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत और व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए एक अलग सचिवालय या खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला तंत्र उपलब्ध नहीं है।** इसके कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने का प्रशासनिक कार्य काफी बोझिल हो जाता है।
- **प्रतिभा की अनदेखी: सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।** इससे कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ता की उपेक्षा हो जाती है।

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- **खोज-सह-मूल्यांकन समिति (SEC):** कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित **खोज-सह-मूल्यांकन समिति (SEC)** का गठन करना ।
    - SECs का काम **योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार** करना होगा, जिससे संबंधित कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाएगी।
- **वस्तुनिष्ठ पात्रता मानदंड: प्रदर्शन और उपयुक्तता के परीक्षण के लिए योग्यता संबंधी मानदंड निष्पक्ष** रूप से तैयार किए जाने चाहिए तथा इन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- **समावेशी चयन प्रक्रिया: न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष** होनी चाहिए। ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया में अन्य दो शाखाओं यानी कार्यपालिका और विधायिका को शामिल करने से ही संभव है।
    - विधि आयोग के अनुसार, **संसद को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की प्रमुखता बहाल करने के लिए एक कानून पारित** करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक नियुक्तियां करने में कार्यपालिका की भी भूमिका हो।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के निर्णयों को सार्वजनिक करने से न्यायिक नियुक्तियों से जुड़ी गोपनीयता की संस्कृति कम** हो जाएगी।

4.4.1.1. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service: AIJS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संविधान दिवस समारोह** के दौरान भारत की राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा** (AIJS)[20] गठित करने की बात कही है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के बारे में

यह **न्यायपालिका में सुधार** की एक पहल है। इसका उद्देश्य **सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना है।** UPSC केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करता है और कार्यपालिका को सफल उम्मीदवारों की सूची भेजता है। इसी प्रकार AIJS अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की भर्ती करेगा और सफल उम्मीदवारों की सूची राज्यों को भेजेगा।

- **AIJS की स्थापना: केंद्रीकृत न्यायिक सेवा का विचार पहली बार विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट** में प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1958 में प्रकाशित इस रिपोर्ट का शीर्षक **"न्यायिक प्रशासन का सुधार[21]"** था।
- **संवैधानिकता: यह अधिकार 42वें संवैधानिक संशोधन, 1976 के तहत अनुच्छेद 312 (1) में संशोधन करके दिया गया है।**
- **AIJS पर न्यायपालिका की राय:**
  - वर्ष 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ** मामले में केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया था।
  - 1996 में, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग[1] ने AIJS के गठन पर विचार करते हुए इसकी सिफारिश भी की थी। इस आयोग को **न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग** के रूप में भी जाना जाता है।
  - **वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और एक "केंद्रीय चयन प्रणाली[22]" पर विचार करने के लिए कहा।**
- **संसदीय दृष्टिकोण:** 2006 में **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट** प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया गया था और एक मसौदा विधेयक तैयार** किया गया था।

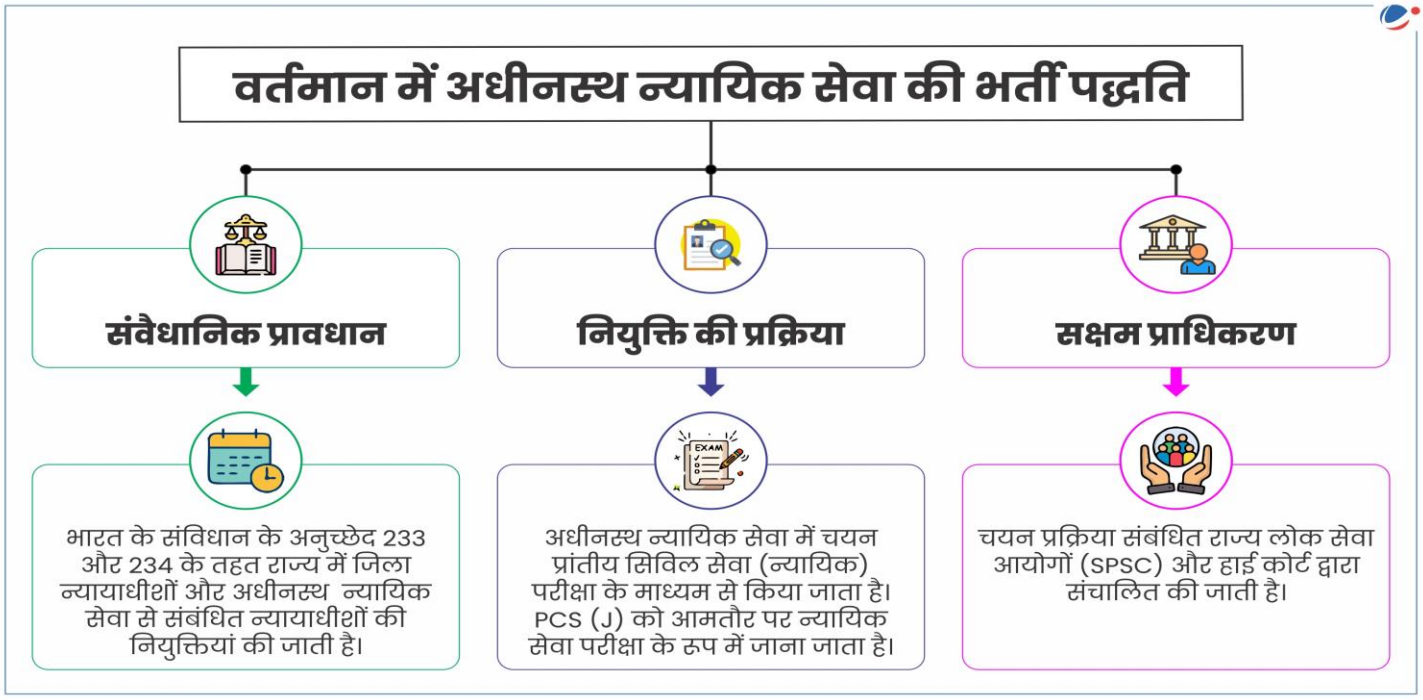

[20] All-India Judicial Services

[21] Reform of Judicial Administration

[22] Central Selection Mechanism

AIJS की आवश्यकता क्यों है?

- **लंबित मामलों में कमी:** केवल **केरल और पंजाब** ही हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय दोनों स्तरों पर 100% या उससे अधिक की मामला निपटान दर हासिल कर सके हैं। इसके परिणामस्वरूप **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस में सुधार** हुआ है।
- **न्यायिक रिक्तियों का समाधान:** देश भर के हाई कोर्ट्स में **25% से अधिक सीटें रिक्त हैं।**
- **योग्य कानूनी प्रतिभा:** एक उचित **अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली** के माध्यम से चयनित योग्य कानूनी प्रतिभा को न्यायपालिका में शामिल करना जरूरी है। ज्ञातव्य है कि **विधि आयोग ने अपनी 116वीं रिपोर्ट** में अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली का उल्लेख किया है।
- **सामाजिक समावेशिता:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार चयन प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे समाज के हाशिए पर रहे और वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की कमी के मुद्दे का समाधान किया जा सकेगा।
- **AIJS से न्यायपालिका की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा।**

AIJS गठित करने से जुड़े मुद्दे

- **संरचनात्मक मुद्दे:** उदाहरण के लिए- राज्यों में अवसंरचना और वेतन व पारिश्रमिक में भिन्नता संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं।
  - संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का विचार था कि **AIJS मौजूदा प्रणाली (2002 में प्रचलित) का बेहतर विकल्प नहीं होगा।**
- **करियर में अनिश्चितता:** शुरुआती दौर में छात्रों को AIJS में पदोन्नति और करियर ग्रोथ को लेकर संदेह हो सकता है।
- **स्थानीय भाषा संबंधी बाधा:** ऐसी बाधा अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित करती है।
- प्राय: कुछ मामलों में **राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स के बीच मतभेद** देखा जाता है।

AIJS को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आगे की राह

- **पायलट प्रोजेक्ट:** AIJS की प्रभावशीलता और व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए चुनिंदा राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है।
- **हितधारकों से परामर्श:** व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को डिजाइन करने में राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स से परामर्श करना चाहिए।
- **स्थानीय भाषा संबंधी मुद्दे:** भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा शामिल करनी चाहिए।
- **फीडबैक और सुधार:** दक्षतापूर्ण प्रणाली संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी-तंत्र स्थापित करना चाहिए।

4.4.2. सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें (Regional Benches of Supreme Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति** ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की आवश्यकता क्यों है?

- **न्याय तक पहुंच:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों से दूर-दराज के उन लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी, जो दिल्ली आने में असमर्थ होते हैं या जिन्हें बहुत अधिक परिवहन लागत का सामना करना पड़ता है। इससे सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित होगी, जो **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत एक मौलिक अधिकार भी है।
  - **संविधान का अनुच्छेद 39A:** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि-
    - विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सभी के लिए समान अवसर की तर्ज पर न्याय सुलभ हो।
    - आर्थिक व किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए।
    - उपयुक्त कानून या योजना द्वारा या किसी अन्य तरीके से नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था हो।
- **भौगोलिक भेदभाव को कम करने के लिए:** उदाहरण के लिए- भाषा संबंधी बाधा, वकील करने में समस्या, यात्रा एवं दिल्ली में रहने की उच्च लागत, आदि।
- आम आदमी के लिए **मुकदमेबाजी की लागत को कम कर** सकती हैं।

- **क्षमता वृद्धि:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों के स्थायी रूप से गठन से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बेहतर होगा।
- **सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जुड़ा संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के **अनुच्छेद 130** में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट **दिल्ली** में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा, जिसे या जिन्हें **भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति से समय-समय पर निर्धारित** करे।

क्षेत्रीय पीठों के गठन में चुनौतियां

- **सुप्रीम कोर्ट की ओर से विरोध:** सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता रहा है।
- **सुप्रीम कोर्ट का एकात्मक चरित्र प्रभावित होगा:** एक से अधिक क्षेत्रीय पीठों के कारण सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को लेकर विचार अलग-अलग हो सकते हैं। इससे वादियों का समय और धन, दोनों अधिक लग सकता है।
- **मुकदमेबाजी में वृद्धि:** क्षेत्रीय पीठों के कारण परस्पर विरोधी मिसालें बढ़ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है।
- **सुप्रीम कोर्ट की पोज़िशन घट सकती है:** सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों द्वारा केवल अपीलीय मामलों पर निर्णय लेने से सुप्रीम कोर्ट की पोज़िशन घट सकती है।
- **मामलों का वर्गीकरण:** किसी मामले को संवैधानिक महत्त्व के रूप में पहचानना और वर्गीकृत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह निर्धारित करने की अनन्य शक्ति हो सकती है कि किस मामले को संवैधानिक महत्त्व के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

आगे की राह

- **सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों पर विधि आयोग की सिफारिशें**
  - **विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट (1984):** सुप्रीम कोर्ट में दो विभाग (Division) होने चाहिए, अर्थात् संवैधानिक विभाग (Constitutional Division) और कानूनी विभाग (Legal Division)।
  - **विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009):** नई पीठों की स्थापना हेतु अनुशंसा,
    - **दिल्ली में संविधान पीठ** की स्थापना की जानी चाहिए; तथा
    - उत्तरी क्षेत्र के लिए **दिल्ली** में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए **चेन्नई/ हैदराबाद** में, पूर्वी क्षेत्र के लिए **कोलकाता** में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए **मुंबई** में सुप्रीम कोर्ट की चार **अपीलीय पीठें** स्थापित की जानी चाहिए।
- **हाइब्रिड/ वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना:** वर्चुअल कोर्ट मामलों के त्वरित निपटान में मदद कर सकता है, मुकदमेबाजी की लागत को कम कर सकता है और न्याय तक पहुंच में भौगोलिक बाधाओं को दूर कर सकता है।
- **अन्य देशों में प्रचलित न्याय व्यवस्था से सीखना:** जैसे फ्रांस एक ऐसी प्रणाली लागू करता है, जिसमें अपील की एक अलग अदालत और कैसेशन (Cassation) की एक अलग अदालत शामिल हैं।
  - **कैसेशन** अपील का ही एक रूप है। हालांकि, इसमें केवल मामले के संदर्भ में कानून के प्रश्न पर गौर किया जाता है, न कि मामले के तथ्यों पर।
- **अलग न्यायालय हेतु संविधान संशोधन:** सरकार सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को संवैधानिक और अपीलीय में विभाजित करने के लिए संविधान संशोधन की संभावना तलाश सकती है।
- **न्यायिक सुधारों को सुगम बनाना:** उदाहरण के लिए- सभी स्तरों पर न्यायपालिका की दक्षता में सुधार के लिए न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, न्यायपालिका से संबंधित अवसंरचनाओं में सुधार करना चाहिए, न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए आदि।

4.4.3. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (Fast Track Special Courts: FTSCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FTSCs योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) योजना के बारे में

- FTSCs योजना एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। इस योजना को **2019** में लॉन्च किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत **न्याय विभाग** करता है।
  - इस योजना में **केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त-पोषण निर्भया फंड** से किया जाता है। ज्ञातव्य है कि निर्भया फंड का उद्देश्य **देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना** है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के बारे में

- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) **विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें** हैं। ये बलात्कार के साथ-साथ 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं।
- **दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018** FTSCs के गठन का आधार बना है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में **बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडों का प्रावधान** किया गया है।
- **एकीकरण:** FTSCs **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** से जुड़े हुए हैं।
- **परिचालन:** 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **414 विशिष्ट POCSO अदालतों सहित कुल 761 FTSCs** गठित किए गए हैं। इन अदालतों ने **1.95 लाख से अधिक मामलों का निपटान** किया है।

आगे की राह

- **FTSCs की संख्या में वृद्धि**: न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के अलावा, **महानगरीय और दूर-दराज के गैर-महानगरीय क्षेत्रों पर भी समान ध्यान दिया जाना चाहिए।**
- **निगरानी और मूल्यांकन:** एक बार स्थापित किए जाने के बाद, **स्पेशल कोर्ट्स के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए समय-समय पर उनकी निगरानी एवं मूल्यांकन** किया जाना चाहिए।
- **चयन और प्रशिक्षण: न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों का चयन उनकी मनोवृत्ति, ज्ञान और कौशल** के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें विशेष **संवेदीकरण प्रशिक्षण** भी दिया जाना चाहिए।
- **सहयोग तंत्र: अन्य अदालती एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग के लिए तंत्र विकसित** किया जाना चाहिए।
- **पीड़ित समर्थन सेवाएं: पीड़ित सहायता सेवाओं के लिए व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।** इन सेवाओं में दुभाषियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ितों की सुरक्षा आदि को शामिल किया जा सकता है। इससे उन्हें सुरक्षा में गवाही देने में सक्षम बनाया जा सकेगा और उन्हें किसी सदमे में जाने से बचाया जा सकेगा।

4.5. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उड़ीसा उच्च न्यायालय** ने राज्य की न्यायपालिका के प्रदर्शन पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ऐसी **रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला** यह **देश का पहला न्यायालय** है।

न्यायिक जवाबदेही के बारे में

- **न्यायिक जवाबदेही:** इसका आशय संवैधानिक या कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार और निर्णयों के लिए न्यायाधीशों तथा न्यायालयों को व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से उत्तरदायी बनाने से है।

- यह निर्णय देने की प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करती है। साथ ही, इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास मज़बूत होता है, आदि।
- संविधान **शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत** का पालन करता है, जहां प्रत्येक अंग का आचरण निरीक्षण और संतुलन के अधीन होता है।
  - न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक और संविधान की व्याख्याकार होती है। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव से मुक्त रखना अनिवार्य होता है।
  - अनुच्छेद 235 के तहत, संविधान **अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' का प्रावधान करता है।** यह **अधीनस्थ न्यायपालिका पर जवाबदेहिता को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र** के प्रावधान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

न्यायिक जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियां

- **कॉलेजियम प्रणाली:** न्यायाधीशों द्वारा अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रथा न्यायाधीशों के बीच शक्ति के संकेंद्रण की ओर ले जाती है; भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देती है; और जांच एवं संतुलन को कमजोर करती है।
- **आंतरिक कार्यप्रणाली:** न्यायपालिका की केस आवंटन, नियुक्तियों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की अपारदर्शी प्रक्रिया अनौपचारिक एवं अक्षम है।
- **सूचना विषमता:** न्यायपालिका को RTI अधिनियम से काफी हद तक छूट प्राप्त है। यह सूचना तक पहुंच को सीमित करती है और जवाबदेही में बाधा डालती है।
- **न्यायिक अतिक्रमण:** न्यायिक सक्रियता अधिकारों की रक्षा करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा NJAC अधिनियम को रद्द करने जैसे विधायी अतिक्रमण के उदाहरण शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही

- **न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence):** इसका आशय **राज्य के अन्य अंगों जैसे कार्यपालिका और विधायिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाने** से है। साथ ही, इसमें निष्पक्ष और ईमानदारी से न्याय करने की न्यायपालिका की शक्ति भी शामिल है।
  - **न्यायिक स्वतंत्रता को उजागर करने वाले प्रावधानों** में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - कार्यकाल की सुरक्षा,
    - संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं करना,
    - **सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर रोक।**
- दोनों शब्द इस अर्थ में परस्पर जुड़े हुए हैं कि **"अत्यधिक स्वतंत्रता से जवाबदेही" तथा "अत्यधिक जवाबदेही से स्वतंत्रता" प्रभावित हो सकती है।** इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
  - निम्नलिखित के माध्यम से न्यायपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाकर इस संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है:
    - संसद द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान के माध्यम से,
    - अपीलों के लिए प्रावधान करके,
    - न्यायालयों के आदेशों की जाँच और समीक्षा करके,
- न्यायाधीशों के लिए नैतिक आचार संहिता के माध्यम से आदि।

न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **आंतरिक स्तर पर प्रयास (In-house procedure):** न्यायाधीशों के विरुद्ध **दुर्व्यवहार या कदाचार के किसी भी आरोप की जांच** के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया मौजूद है। इसके तहत जांच करने का कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।
- **न्यायिक जवाबदेही विधेयक, 2023:** न्यायिक मानक निर्धारित करने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा शिकायतों की जांच के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** इसके तहत कानूनी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया और किसी भी मामले के पूरे जीवन चक्र की निगरानी करना संभव हो पाया।
  - **कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS)[23]:** यह एक **वेब-आधारित एप्लिकेशन है।** इसका उद्देश्य भारत की केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से निगरानी करना है।

[23] Legal Information Management & Briefing System

निष्कर्ष

न्यायाधीशों के लिए एक अधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए। साथ ही, इसे कानून द्वारा लागू भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की तरह ही **काम-काज और दक्षता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट** को भी प्रकाशित करना चाहिए। इससे न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

4.6. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): एक नज़र में {Alternative Dispute Resolution (ADR) at a Glance}

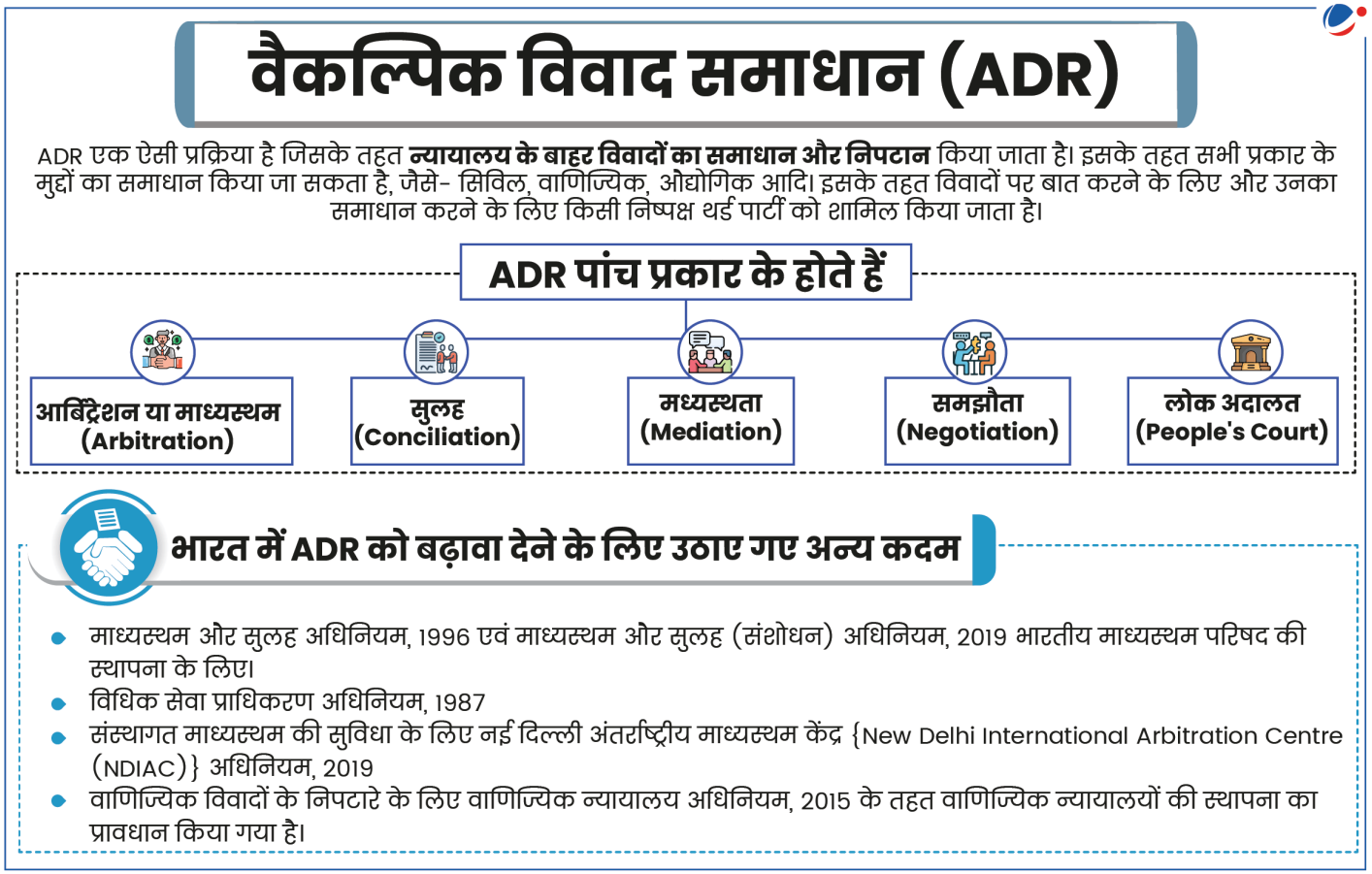

4.6.1. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के दोनों सदनों से पारित **मध्यस्थता विधेयक, 2023** को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के एक अधिमान्य तरीके के रूप में बढ़ावा देना है।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के बारे में

- **मध्यस्थता को परिभाषित करता है:** मध्यस्थता (मध्यकता) एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसमें **मध्यस्थता, मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो।**
  - इसके तहत, संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के **सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने** का प्रयास करते हैं। इस **तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ** कहा जाता है।
- **मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता:** संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें।

- **मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद:** केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। **इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:**
  - नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद,
  - दांडिक (क्रिमिनल) अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद,
  - तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आदि।
- **मध्यस्थता किए जाने की समय-सीमा:** इसे **120 दिनों** के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस समय-सीमा को **पक्षों की सहमति से 60 दिनों** तक बढ़ाया जा सकता है।
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना:** यह परिषद मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए विनियम बनाएगी।
- **मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है:** यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को **MCI द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन** के रूप में परिभाषित करता है।
- **प्रवर्तनीयता:** मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही **बाध्यकारी और प्रवर्तनीय** होंगे।
  - मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण limpersonation) और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद** के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

मध्यस्थता अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

- **समर्पित अधिनियम का अभाव:** वर्तमान में मध्यस्थता के अलग-अलग पहलुओं को विनियमित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है।
- **न्यायालय के बोझ में कमी:** विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार अलग-अलग न्यायालयों में 5.02 करोड़ मामले लंबित हैं। इस संख्या को कम करने के लिए मध्यस्थता विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **सौहार्दपूर्ण समाधान:** मध्यस्थता विवाद के अलग-अलग पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में सहयोग करता है। साथ ही, यह भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद की संभावना को भी कम करता है।
- **सिंगापुर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता को पूरा करना:** यह **मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन**[24] के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के भी अनुरूप है। इस कन्वेंशन को **मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन** भी कहा जाता है।
- **मध्यस्थता की लागत में कमी करना:** यह विधेयक ऑनलाइन मध्यस्थता की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इससे वादियों की यात्रा संबंधी लागत में कमी हो सकती है।
- **समय की बचत:** न्यायालयों की तुलना में लोग कम समय में अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।

अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **ऑनलाइन मध्यस्थता:** नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के केवल 55% लोगों को इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त है और केवल 27% के पास ही इसके लिए आवश्यक उपकरण हैं।
- **पूर्व-अनुमोदन:** मध्यस्थता परिषद को अपने आवश्यक कार्यों से संबंधित नियम जारी करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - इससे **हितों के टकराव** में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वाद सरकार से संबंधित है, अर्थात सरकार देश में सबसे बड़ी वादी है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुद्दा:** यह भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले निपटान समझौतों को लागू करने का प्रावधान नहीं करता है।
- **यह गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में कोई दंड/ दायित्व निर्धारित नहीं करता है।**

आगे की राह

- **सरकार से संबंधित विवादों को शामिल करना:** स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार से संबंधित विवादों को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।
- **गोपनीयता संबंधी समझौता:** किसी मध्यस्थता की शुरुआत के साथ ही गोपनीयता के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए एक औपचारिक समझौता भी किया जाना चाहिए।
  - साथ ही, **गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में दंड/ दायित्व का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।**
- **मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों की सूची से कुछ विवादों को हटाना:** मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता के माध्यम से ही अधिकतम विवादों का निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए इस सूची में विवादों की संख्या को कम किए जाने की आवश्यकता है।

[24] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation

4.7. निःशुल्क विधिक सेवा: एक नज़र में (Free Legal Aid at a Glance)

निःशुल्क कानूनी सहायता (FREE LEGAL AID)

निःशुल्क कानूनी सहायता उन गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए **सिविल एवं आपराधिक मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाओं का प्रावधान है,** जो किसी मामले या कानूनी कार्यवाही के संचालन के लिए वकील की सेवाएं वहन करने में असमर्थ हैं।

भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 14** में यह प्रावधान है कि राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 22(1):** डिटेन किए गए या जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के **वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता लेने का कानूनी प्रावधान है।**
- **अनुच्छेद 39A** समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है एवं सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।

निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता क्यों है?

- सभी लोगों तक न्याय की पहुंच को बढ़ावा देना।
- **लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करना-** 4,34,302 विचाराधीन कैदी (जेल सांख्यिकी भारत-2022)।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और मानवाधिकारों की रक्षा करना।
- **गलत दोषसिद्धि को रोकना।**

निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा/ NALSA) की स्थापना की गयी है।
- **भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice in India/ दिशा) योजना** (2021-2026)।
- **न्याय बंधु प्लेटफॉर्म:** यह प्रो बोनो एडवोकेट्स (जनता के कल्याण से जुड़े वकील) और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, यह कानून के छात्रों, अधिवक्ताओं और लॉ स्कूलों के बीच प्रो बोनो संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।
- **टेली-लॉ सेवा:** टेली/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को वकीलों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है।
- **कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (Legal Aid Defence Counsel System: LADCS):** यह पहल देश भर के 676 जिलों में पूर्णकालिक वकीलों को शामिल करके आपराधिक मामलों में कुशल कानूनी सहायता सुनिश्चित करती है।
- **न्याय मित्र कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर 15 साल पुराने लंबित मामलों के निपटान की सुविधा प्रदान की जाती है।

4.7.1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) (National Legal Services Authority: NALSA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय स्थायी समिति ने **"विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्य-प्रणाली की समीक्षा[25]"** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

[25] Review of the working of Legal aid under the Legal Services Authorities Act, 1987

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा/ NALSA) क्या है?

- यह **कानूनी सहायता संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख** करता है। साथ ही, पूरे भारत में **कानूनी सहायता संबंधी गतिविधियों की निगरानी** करता है।
- **नालसा के तहत निम्नलिखित को कानूनी सहायता पहल की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है:**
  - राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण;
  - तालुका/ सब-डिविजनल कानूनी सेवा समिति; तथा
  - उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समितियां।
- **नालसा का मुख्य सिद्धांत:** यह सुनिश्चित करना है कि देश में **गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध हों, जिससे उन्हें न्याय तक पहुंच** प्राप्त हो।
- **कानूनी सहायता का दायरा:** इसके तहत मिलने वाली कानूनी सहायता **न्यायालयों, अधिकरणों और न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाले अन्य निकायों** में मान्य होती है।
- **वित्त-पोषण: केंद्र सरकार नालसा को वार्षिक रूप से धनराशि** आवंटित करती है। इस राशि को फिर राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को वितरित किया जाता है।
- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत आने वाले कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - महिलाएं और बच्चे;
  - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य;
  - औद्योगिक कामगार;
  - दिव्यांग व्यक्ति;
  - हिरासत में लिया गया व्यक्ति;
  - मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति;

नालसा के कार्य

- **कानूनी सहायता और मदद:** इसमें वकील हायर करके देना, प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना, ड्राफ्टिंग और अनुवाद सहित दस्तावेज तैयार करना तथा कार्यवाही में कानूनी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाना शामिल है।
- **जनहित याचिकाओं में भागीदारी: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4(d)** के तहत हाशिए पर रहे लोगों की ओर से **सामाजिक न्याय के लिए जनहित याचिकाओं में भागीदारी सुनिश्चित** करना।
  - उदाहरण के लिए- **वृंदावन में परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं/ विधवाओं के मौलिक अधिकारों के संरक्षण** के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना, **ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण** के लिए याचिका दायर करना।
  - उल्लेखनीय है कि **नालसा बनाम भारत संघ (2014) वाद में ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर** के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
- **लोक अदालतें और मध्यस्थता:** इनका उद्देश्य कानूनी विवादों को तेजी से और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना है, जिससे नियमित न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम हो सके।
- **पीड़ित को मुआवजा: "यौन उत्पीड़न/ अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं/ उत्तरजीवियों (Survivors) के लिए मुआवजा योजना"** जैसी योजनाओं के माध्यम से नालसा का उद्देश्य उन महिलाओं को मुआवजा और सहायता प्रदान करना है, जो यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों की पीड़ित या उत्तरजीवी हैं।

रिपोर्ट में पहचाने गए मुद्दे और मुख्य सिफारिशें

मुद्दे	सिफारिशें/ टिप्पणियां
• **जागरूकता और कानूनी शिक्षा की कमी:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (2019) के अनुसार, 1995 से केवल 15 मिलियन लोगों ने ही कानूनी सहायता का उपयोग किया है, जबकि देश की संपूर्ण आबादी के 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।	• कानूनी शिक्षा के लिए **व्यापक मास मीडिया अभियान** शुरू किया जाना चाहिए। • नालसा को **कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों की सहायता करने को प्राथमिकता** देनी चाहिए। साथ ही, लंबे समय तक हिरासत में रखने और जमानत मिलने में आने वाली चुनौतियों के मामलों का अध्ययन करना चाहिए।
• **बजटीय बाधाएं और आवंटन: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2019** के अनुसार, 2017-18 के लिए भारत का कानूनी सहायता खर्च प्रति व्यक्ति 0.75 पैसे सालाना था।	• न्याय संबंधी अंतर को पाटने के लिए NALSA को **सहायता अनुदान में पर्याप्त वृद्धि** की जानी चाहिए।

• **वकीलों और मुआवजे की भूमिका:** शुल्क की सीमा (Fee Caps) होने के कारण वकील निःशुल्क पैरवी करने से बचते हैं और 1,500 से 7,500 रुपये तक का मामूली मानदेय (Honorarium) प्राप्त करते हैं।	• वकीलों को **वार्षिक निःशुल्क पैरवी में संलग्न होने का आदेश** देना चाहिए। • जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निःशुल्क सेवाओं के लिए **वरिष्ठ अधिवक्ता पैनल** बनाना चाहिए। • न्यायिक करियर में उन्नति के लिए **वकीलों के निःशुल्क योगदान को मान्यता देने हेतु योग्यता प्रमाण-पत्र दिए जाने चाहिए।**
• **लोक अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियां:** इनमें सीमित शक्तियां और प्रक्रियात्मक बाधाएं, पक्षकारों को समय पर उपस्थित होने के लिए बाध्य करने में असमर्थता तथा अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, निर्णय में अक्सर देरी होती है।	• लोक अदालतों को **पर्याप्त शक्तियों व संसाधनों, उचित प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे, कार्यबल और आधुनिक तकनीक** के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। इससे वे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकेंगी तथा शीघ्र निर्णय पारित कर सकेंगी।
• **पैरा-लीगल वालंटियर्स (PLVs) का कम उपयोग**	• **PLVs को व्यापक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए**, तथा संसाधन और उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। • जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और प्रेरणा बढ़ाने के लिए PLVs के योगदान की सराहना करनी चाहिए।
• **कर्मचारियों की कमी और अधूरी रिक्तियां:** दिसंबर, 2022 तक, नालसा अपने स्वीकृत 34 पदों में से केवल 20 स्टाफ सदस्यों के साथ काम कर रहा था।	• रिक्तियों के संचय को रोकने के लिए **रिक्त पदों को तुरंत और लगातार भरना चाहिए।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

5. भारत में चुनाव (Elections in India)

5.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023** को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है।

अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

इस अधिनियम ने **निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्यों का संचालन) अधिनियम, 1991** की जगह ली है।

- **उद्देश्य: यह अधिनियम निम्नलिखित को विनियमित करेगा:**
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)[26] और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs)[27] की नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि; तथा
  - चुनाव आयोग के कार्यों के संचालन की प्रक्रिया।
- **चयन समिति:** CEC और अन्य ECs की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर **राष्ट्रपति** द्वारा की जाएगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
  - **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री,
  - **सदस्य:** प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोक सभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।
- **खोज समिति:** यह समिति CEC और अन्य ECs के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु **पांच व्यक्तियों** के नामों की एक सूची तैयार करेगी।
  - इस समिति की **अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री** द्वारा की जाएगी। इसमें **दो अन्य सदस्य होंगे,** जो केंद्र सरकार में **सचिव स्तर** के रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए।
- **CEC और अन्य ECs के लिए पात्रता मानदंड:** यह अधिनियम CEC और अन्य ECs के रूप में नियुक्ति के लिए **निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को निर्दिष्ट करता है-**
  - ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के **सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है,**
  - वह **व्यक्ति ईमानदार** होना चाहिए। साथ ही, **उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान व अनुभव होना चाहिए।**
- **वेतन, पदावधि एवं पुनर्नियुक्ति:**
  - **वेतन:** CEC और अन्य ECs को **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान** वेतन दिया जाएगा।
  - **पदावधि:** CEC और अन्य ECs पद ग्रहण करने की तिथि से **छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
  - **पुनर्नियुक्ति:** CEC और अन्य ECs **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होंगे।
- **पद से हटाना और त्याग-पत्र:** CEC को हटाने की प्रक्रिया **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने** की प्रक्रिया के **समान** ही होगी। इसके अलावा, **CEC की सिफारिश के बिना अन्य ECs को पद से नहीं हटाया** जा सकता।
  - CEC और कोई भी EC **राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा** दे सकते हैं।

अधिनियम से जुड़ी चिंताएं

- **चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:** वर्तमान में चयन समिति में अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार के होते हैं, जो ECI की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है।
  - इस अधिनियम में **भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर करने का प्रावधान** किया गया है। इस प्रकार यह **अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को पलटने का प्रयास करता है।

[26] Chief Election Commissioner

[27] Election Commissioners

- **चयन समिति में रिक्त पद:** लोक सभा भंग होने पर लोक सभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त हो सकता है। ऐसे मामले में, चयन समिति में अनन्य रूप से प्रधान मंत्री और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
- **खोज समिति की भूमिका को सीमित करना:** इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि चयन समिति, खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किए बिना CEC/ ECs के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।
- **पात्रता मानदंड को सीमित करना:** इस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए CEC और ECs के लिए पात्रता मानदंड को सीमित किया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम इन पदों के लिए अन्य योग्य व्यक्तियों को बाहर कर सकता है।
- **CEC और अन्य ECs को पद से हटाने में असमानता:** इस अधिनियम में **CEC और ECs** को पद से हटाने संबंधी असमानता को यथावत बनाए रखा गया है।
- **सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रावधान:** 1991 के अधिनियम के समान ही इस अधिनियम में भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद या कार्यालय में CEC और ECs की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आगे की राह

- **चयन समिति की संतुलित संरचना:** चुनाव सुधार पर **गोस्वामी समिति (1990) और 255वें विधि आयोग** की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि-
  - CEC और अन्य ECs को चुनने के लिए चयन समिति में **प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश** शामिल होने चाहिए।
- **सेवानिवृत्ति के बाद: गोस्वामी समिति (1990)** ने यह भी सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद CEC और ECs को राज्यपाल के पद सहित सरकार के तहत किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।
- **प्रशासनिक स्वतंत्रता:** गोस्वामी समिति और निर्वाचन आयोग ने आयोग के काम-काज के लिए एक अलग सचिवालय के गठन की भी सिफारिश की है।
- **ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा: 255वें विधि आयोग** की रिपोर्ट के अनुसार, ECs को पद से हटाने की प्रक्रिया को CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान करने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 324(5)** में संशोधन किया जाना चाहिए।

5.2. चुनाव सुधार: एक नज़र में (Electoral Reforms at Glance)

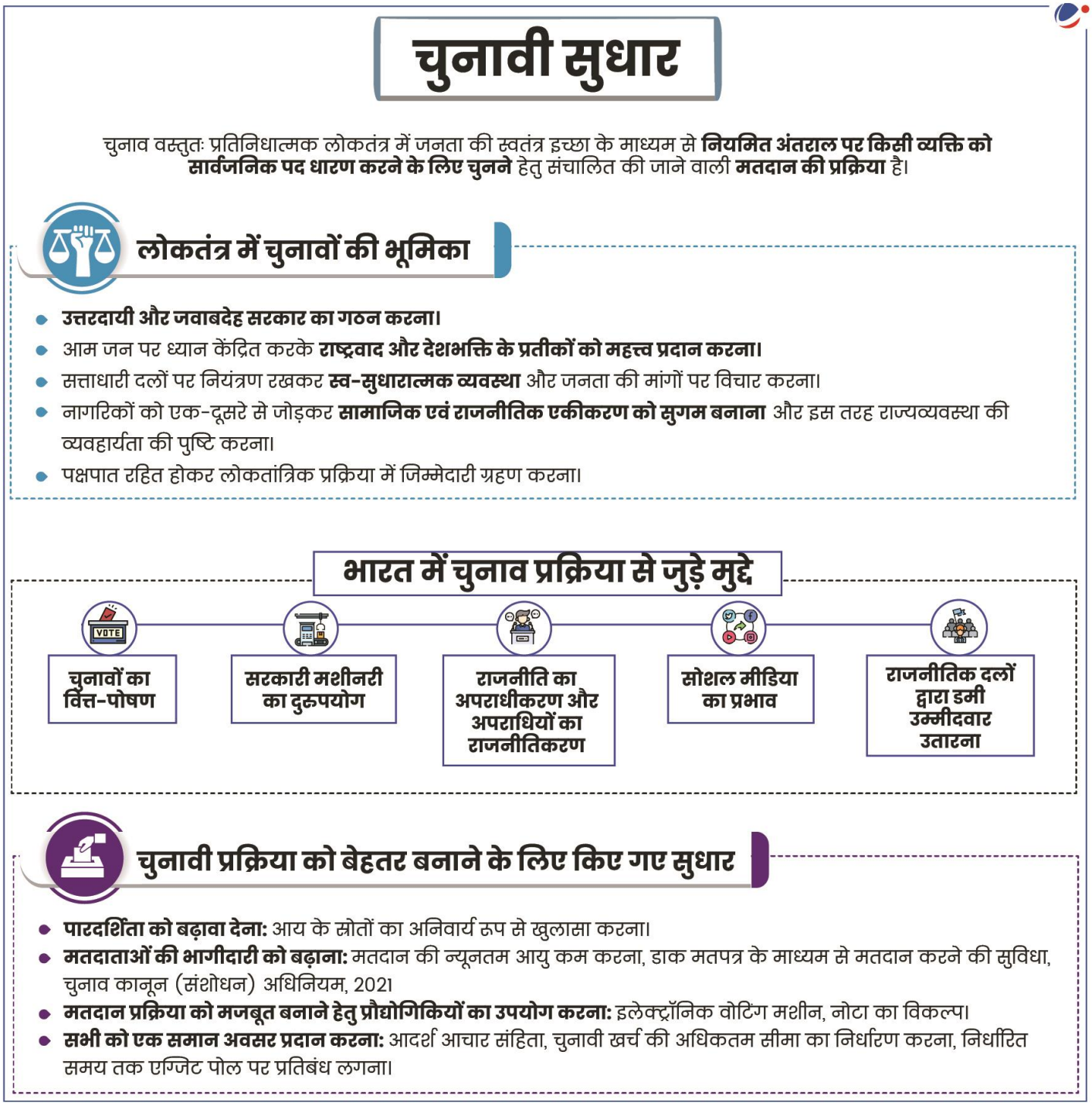

5.2.1. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति (HLC)[28] ने **राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप** दी है, जिसमें एक साथ चुनाव कराने के संबंध में सिफारिशें की गई हैं।

[28] High-Level Committee

एक साथ चुनाव के बारे में

- भारत में इसका आशय **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ** संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।
- एक साथ चुनाव कराने का आशय यह नहीं है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**

एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी:** आम चुनाव के साथ-साथ राज्य विधान सभा और स्थानीय निकायों के चुनावों में शिक्षकों, सुरक्षा कर्मियों आदि की बार-बार तैनाती की जाती है। इससे प्रशासन सहित अन्य कार्य बाधित होते हैं। एक साथ चुनाव कराए जाने से बार-बार तैनाती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- **विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा:** चुनाव आचार संहिता के बार-बार लागू होने से चुनाव वाले क्षेत्रों/ राज्य में विकास कार्य रुक जाते हैं।
- **चुनावी खर्च में कमी होगी:** उदाहरण के लिए- 2024 के आम चुनावों में केंद्र सरकार का 5000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल व्यय हुआ था।
- **मतदान प्रतिशत में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- 1999 में आम चुनावों के साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने से मतदान प्रतिशत में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं और समिति द्वारा की गई सिफारिशें

मुद्दे/ समस्याएं	समिति का अवलोकन/ सिफारिशें
एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी **कानूनी चुनौतियां**	• **इस चुनौती से निपटने के लिए दो चरणों वाली व्यवस्था को अपनाना:** ○ पहले चरण में **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ** कराने पर विचार किया जाना चाहिए। ▪ इसके लिए, एक **संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए संविधान के **अनुच्छेद 83** (संसद के सदनों की अवधि) और **अनुच्छेद 172** (राज्य विधान मंडल की अवधि) में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, संविधान में **अनुच्छेद 82A** को भी जोड़ा जाएगा। ○ दूसरे चरण में **नगर-पालिका और पंचायत चुनाव भी लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के चुनावों के सौ दिनों के भीतर** कराने पर विचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक और **संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया जाएगा। ▪ उपर्युक्त व्यवस्था के लिए संविधान में **अनुच्छेद 324A को शामिल** करना होगा। हालांकि, इसके लिए **राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता** होगी। संविधान के **अनुच्छेद 325** में संशोधन किया जाएगा। **एकल मतदाता सूची और मतदाता के एकल फोटो पहचान-पत्र** को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया जाएगा।

त्रिशंकु संसद/ विधान सभा एवं समय से पहले विघटन संबंधी मुद्दे	• **लोक सभा** में त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी **स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव** कराए जाने चाहिए। हालांकि, ये चुनाव केवल भंग लोक सभा के **शेष कार्यकाल के लिए** ही होने चाहिए। इसी प्रकार, **राज्यों के मामले में,** राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता, तब तक **उनका कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी** रहेगा।
राज्यों के चुनावों में बदलाव करने से **राज्यों के अधिकारों का हनन होगा**	• रिपोर्ट में संविधान के **अनुच्छेद 327** का उल्लेख करके इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद **संसद को, संसद के प्रत्येक सदन और राज्य विधान-मंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान** करने का अधिकार देता है।
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में ताल-मेल (Synchronisation) बिठाना	• समिति ने प्रस्ताव दिया है कि **भारत का राष्ट्रपति** आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तारीख पर **एक अधिसूचना जारी** करे। इस अधिसूचना को चुनाव के समय में तालमेल बिठाने के लिए एक निर्धारित तिथि के रूप में तय किया जाना चाहिए। • सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक **कार्यान्वयन समूह का गठन** किया जाना चाहिए।
EVMs व VVPATs सहित लॉजिस्टिक्स और श्रमबल से संबंधित मुद्दे	• **भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवस्था करने के लिए एक योजना बनाई है।** • निर्वाचन आयोग **उपकरणों की खरीद के लिए पहले से अनुमान** लगा सकता है, जैसे- **EVMs एवं VVPATs,** मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करना, आदि।

निष्कर्ष

'उच्च-स्तरीय समिति' का गठन भारत में चुनावों को एक साथ कराने पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार करने को दर्शाता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' हेतु व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ पारदर्शी एवं समावेशी संवाद के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इन हितधारकों में कानूनी विशेषज्ञ, राज्य सरकारें और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

5.2.2. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर इसे **असंवैधानिक** करार दिया है। चुनाव के लिए चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नज़र

मुख्य प्रश्न	सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
क्या राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले स्वैच्छिक योगदान या दान की जानकारी न देना **सूचना के अधिकार का उल्लंघन है?**	• चुनावी बॉण्ड योजना में यह पता नहीं चल पाता है कि **किसने किस दल को दान** दिया है। अतः चुनावी बॉण्ड्स **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन** करते हैं। इस प्रकार, यह योजना **असंवैधानिक** है। • तदनुसार, **वित्त अधिनियम, 2017** के जरिए चुनावी बॉण्ड्स के माध्यम से दान की अनुमति देने के लिए **आयकर (IT) अधिनियम, 1961; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** और **कंपनी अधिनियम, 2013** में संशोधन किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन संशोधनों को **असंवैधानिक** करार दिया है।
क्या कंपनी अधिनियम में संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग की व्यवस्था **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है?**	• राजनीतिक दलों को **असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग देने की अनुमति** देने के लिए **कंपनी अधिनियम में किया गया संशोधन** मनमाना है और यह संविधान के **अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** है। • कोर्ट ने **संशोधन द्वारा चुनावों में अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव की स्थिति पर बल दिया,** जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

निर्णय से संबंधित अन्य प्रमुख बिंदु

- **काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना आनुपातिक रूप से (Proportionally) उचित नहीं: प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट** के आधार पर शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया कि "सरकार ने सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार (चंदा देने वाले के नाम को गोपनीय रखना यानी निजता का अधिकार)" और "राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित मतदाताओं के सूचना के अधिकार" के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिकारों को आंशिक तौर पर सीमित करने वाले तरीके को नहीं अपनाया।
- **राजनीतिक जुड़ाव की गोपनीयता का अधिकार[29]:** यह अधिकार केवल राजनीतिक समर्थन के सच्चे उद्देश्य से दिए चंदे तक ही सीमित है। हालांकि, निजता के इस अधिकार में उन राजनीतिक चंदों को शामिल नहीं किया जा सकता है, जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए जा सकते हैं।

चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताएं

- **अत्यधिक चुनावी खर्च:** सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में **लगभग 55,000-60,000 करोड़ रुपये** खर्च किए गए थे। इसकी तुलना में 2024 के लोक सभा चुनाव में **करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये खर्च** किए गए थे।
- **सभी के लिए समान स्थिति का न होना:** अधिक चुनावी खर्च छोटे राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनावों में भागीदारी को गैर-प्रतिस्पर्धी बना देता है।
- **नकद लेन-देन में वृद्धि:** भारत में बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग नकद लेन-देन के रूप में की जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को **20,000 रुपये से कम** के सभी दान या चंदे को उजागर **नहीं** करना पड़ता है।
- **कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों का गठजोड़** बढ़ रहा है।

चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम

- **खर्च की सीमा:** भारत के चुनाव आयोग ने **लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र** के मामले में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए **75 लाख से 95 लाख रुपये और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के मामले में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए **28 लाख से 40 लाख रुपये** की चुनावी खर्च सीमा निर्धारित की है।
- **चुनाव खर्च निगरानी तंत्र:** इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावों के दौरान धनबल के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने हेतु अपनाया गया था।
- **व्यय पर्यवेक्षक:** यह किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी व्यय की निगरानी में लगे सभी कर्मियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करता है।

आगे की राह

- **चुनावों का राज्य द्वारा वित्त-पोषण (स्टेट फंडिंग) किया जाना: इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)** जैसी अलग-अलग समितियों ने आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने हेतु चुनावों की राज्य द्वारा फंडिंग का समर्थन किया है।
- **राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाना:**
  - चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सभी दानदाताओं का विवरण RTI के तहत सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रावधान **नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान** जैसे देशों में किया गया है।
- **प्रकटीकरण के लिए पहल करना:** दलों को सभी प्रकार के दान (20,000 रुपये से अधिक और इससे कम) और सदस्यता शुल्क आदि के भुगतान के तरीकों को आयकर विभाग एवं ECI के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपनी ऑडिट रिपोर्ट की 'अनुसूचियों' में घोषित करना चाहिए।
- **कर छूट:**
  - ECI ने सिफारिश की है कि कर छूट केवल उन राजनीतिक दलों को ही दी जानी चाहिए, जो लोक सभा/ विधान सभा चुनाव लड़ते हैं और सीटें जीतते हैं।
  - गौरतलब है कि ECI ने यह भी सिफारिश की है कि **2,000 रुपये से अधिक का दान/ चंदा देने वाले सभी दानदाताओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में** रखा जाना चाहिए।

[29] Right to privacy of political affiliations

5.2.3. चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम पात्रता आयु कम करना (Lowering Minimum Age to Contest Polls)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसदीय स्थायी समिति ने सिफ़ारिश की है कि लोक सभा और विधान सभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए, जो भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है।

पात्रता आयु कम करने की जरूरत क्यों है: विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, क्योंकि वे अपने हमउम्र लोगों की आवाज उठा सकते हैं, युवाओं से जुड़ी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं, और राजनीतिक दिशा को बदल सकते हैं। साथ ही, सरकार में शामिल होकर या बाहर रहकर सरकारी परिचर्चाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

वर्तमान प्रावधान

- **वर्तमान में चुनाव लड़ने की आयु:**
  - **लोक सभा** (अनुच्छेद 84) और **विधान सभा** (अनुच्छेद 173) के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **25 वर्ष** है।
  - **राज्य सभा (अनुच्छेद 84)** और **विधान परिषद** (अनुच्छेद 173) के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **30 वर्ष** है।

संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **लोक सभा में केवल 2.2 प्रतिशत सांसदों की ही आयु 30 वर्ष से कम है।**
- **भारत में मतदान की न्यूनतम आयु (18 वर्ष) और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु (25 वर्ष)** के बीच समानता नहीं है। इसके कारण, राजनीतिक क्षेत्र में भारत की युवा आबादी की भागीदारी कम है।
- ECI के अनुसार, 18 वर्ष के युवाओं से इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की अपेक्षा करना सही नहीं है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र

- **विधान सभा** चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम आयु को **कम करने का सुझाव** दिया गया है।
  - चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को कम करने से युवाओं को लोकतंत्र में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा।
- **नागरिक शिक्षा:** युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने हेतु **व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम**[30] को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **सहयोगात्मक प्रयास: निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु** सरकारों, राजनीतिक दलों और युवा संगठनों को **मिलकर कार्य** करना चाहिए।

5.2.4. राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र (Internal Party Democracy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चुनाव आयोग ने भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के बारे में

- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र** से **दल की संरचना के भीतर निर्णय लेने** और विचार-विमर्श में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तर एवं तरीके का बोध होता है।
- इससे यह **सुनिश्चित करने में मदद** मिलती है कि दल बेहतर नीतियां और राजनीतिक कार्यक्रम तैयार कर सकें।
- **भारत के संविधान** में राजनीतिक दलों के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने वाला कोई **स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।**
  - केवल **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A) राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य** बनाती है।

[30] Comprehensive civic education programs

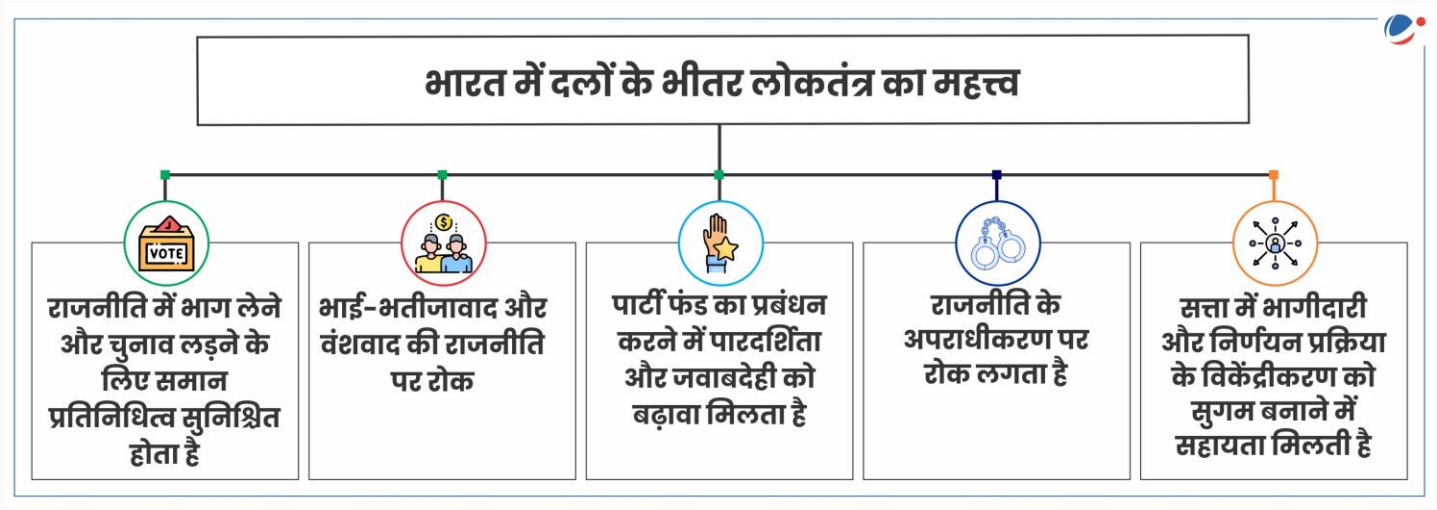

दल के भीतर लोकतंत्र स्थापित करने से संबंधित चुनौतियां

- **चुनाव आयोग के पास अपर्याप्त शक्ति:** भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के पास **राजनीतिक दलों के काम-काज को विनियमित करने की शक्ति नहीं है।** 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान एवं अन्य' 2002 वाद में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि **निर्वाचन आयोग, दल के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है।**
- **कानूनी प्रावधान का अभाव:** राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव को अनिवार्य बनाने का कोई कानूनी आधार मौजूद नहीं है।
- **दल-बदल विरोधी कानून का सख्त होना:** दल-बदल विरोधी कानून सांसदों/ विधायकों को पार्टी व्हिप के आदेशों से बांधता है। यह सदन के भीतर किसी मुद्दे पर व्यक्तिगत स्तर पर मतदान को हतोत्साहित करता है।
- **परिवारवादी, जातिवाद और धर्म आधारित दलों द्वारा विरोध:** अधिकांश दल खुले तौर पर जातिवाद या धर्म पर आधारित हैं तथा उनका वित्तपोषण भी संदेहास्पद एवं अपारदर्शी है।
- **दलीय नेतृत्व में अभिजात्यवाद:** राजनीतिक दलों का नेतृत्व अक्सर एक आंतरिक समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। इससे दलों के भीतर अभिजात्यवाद को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह

- **संवैधानिक दर्जा देना:** राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। **उदाहरण के लिए:** जर्मनी में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके कानून के अनुसार, उनका आंतरिक संगठन **लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।**
- **संगठनात्मक चुनाव:** कानून द्वारा दलों के भीतर सभी स्तरों पर नियमित आंतरिक चुनाव अनिवार्य किए जाने चाहिए तथा दल पदाधिकारियों के लिए कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए।
- **राजनीतिक दलों के भीतर जिम्मेदार निकाय:** यूनाइटेड किंगडम में, कंजर्वेटिव पार्टी की एक केंद्रीय परिषद और एक कार्यकारी समिति होती है, जिनकी वार्षिक बैठकों **में अध्यक्ष, चेयरमैन और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।**
- **भारत के चुनाव आयोग को सशक्त बनाना:** चुनाव आयोग को नियमों का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- **राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए राज्य/ सरकार द्वारा फंड देना:** इससे राजनीतिक दलों के बीच समानता सुनिश्चित होगी और उनमें जवाबदेही की भावना आएगी।
- **समितियों आदि के सुझावों को लागू करना:**
  - सरकार द्वारा गठित कई समितियों ने देश में राजनीतिक दलों के पारदर्शी तरीके से कार्य करने का प्रबल समर्थन किया है। इन समितियों में **दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति** शामिल हैं।
  - **राजनीतिक दल (पंजीकरण और कार्यप्रणाली का विनियमन) विधेयक, 2011 का प्रारूप** केंद्रीय कानून मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
    - इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के **संविधान, कामकाज, वित्त पोषण, खातों और लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों** को विनियमित करना था।

5.3. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने "भारत के लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण[31] 2023"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

राजनीति का अपराधीकरण के बारे में

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, 'शासन में नैतिकता' में "चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी" को राजनीति का अपराधीकरण कहा है।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **उम्मीदवारों की जीत की संभावना:** एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्य उम्मीदवारों की तुलना में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना दोगुनी होती है।
- **आपराधिक मामलों में दोष-सिद्ध होने में देरी:** 2023 में सुप्रीम कोर्ट में राजनेताओं के खिलाफ अलग-अलग अपराधों से संबंधित लगभग 5,000 मामले लंबित थे।
- **कानून में कमियां:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है। हालांकि, जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है, चाहे उन पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों न हों, वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।
- **चुनाव आयोग की सीमित शक्तियां:** चुनाव आयोग के पास लोगों के किसी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने की शक्ति है, लेकिन वह किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है।

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव

- **राजनीतिक दलों का अपराधीकरण:** ऐसा इस कारण होता है, क्योंकि **आपराधिक तत्व राजनीतिक दलों पर नियंत्रण हासिल करके उनका अपने निजी लाभ हेतु उपयोग** करने लगते हैं। इससे दल के **आंतरिक लोकतंत्र** पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **जांच और अभियोजन एजेंसियों[32] की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** अपराधी और राजनेताओं के बीच सांठ-गांठ के कारण एजेंसियों की कार्यप्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।
- **दोषसिद्धि दर में गिरावट: सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी रिपोर्ट[33], 2022** के अनुसार, देश भर में कानून-निर्माताओं के खिलाफ 5,097 मामले लंबित हैं।
- **भ्रष्टाचार का संस्थागत होना एवं विश्वास में कमी आना: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा जारी किए गए **करप्शन पर्सेप्शन्स इंडेक्स, 2022** के अनुसार भारत **180 देशों में से 85वें स्थान** पर है।

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए किए गए उपाय

- **कानूनी उपाय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3)** के अनुसार, कोई भी कानून-निर्माता (विधायक/ सांसद) जिसे **कम-से-कम दो वर्ष के कारावास की सजा** सुनाई गई हो तो वह **दोषी ठहराए** जाने की तिथि से **सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य** माना जाएगा। साथ ही, ऐसे व्यक्ति को **सजा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा।
  - इस प्रकार की अयोग्यता को संविधान के **अनुच्छेद 102(1)** के तहत उपबंधित किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित कानून के तहत किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
  - इसी तरह **अनुच्छेद 191(1)** के तहत राज्यों के संदर्भ में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है।
- **वेब पोर्टल:** इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। इस पोर्टल पर राजनीतिक दल अपने **वित्तीय विवरण ऑनलाइन दर्ज** करा सकते हैं।

[31] Analysis of Sitting MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha of India

[32] Investigation and prosecution agencies

[33] SC amicus curiae report

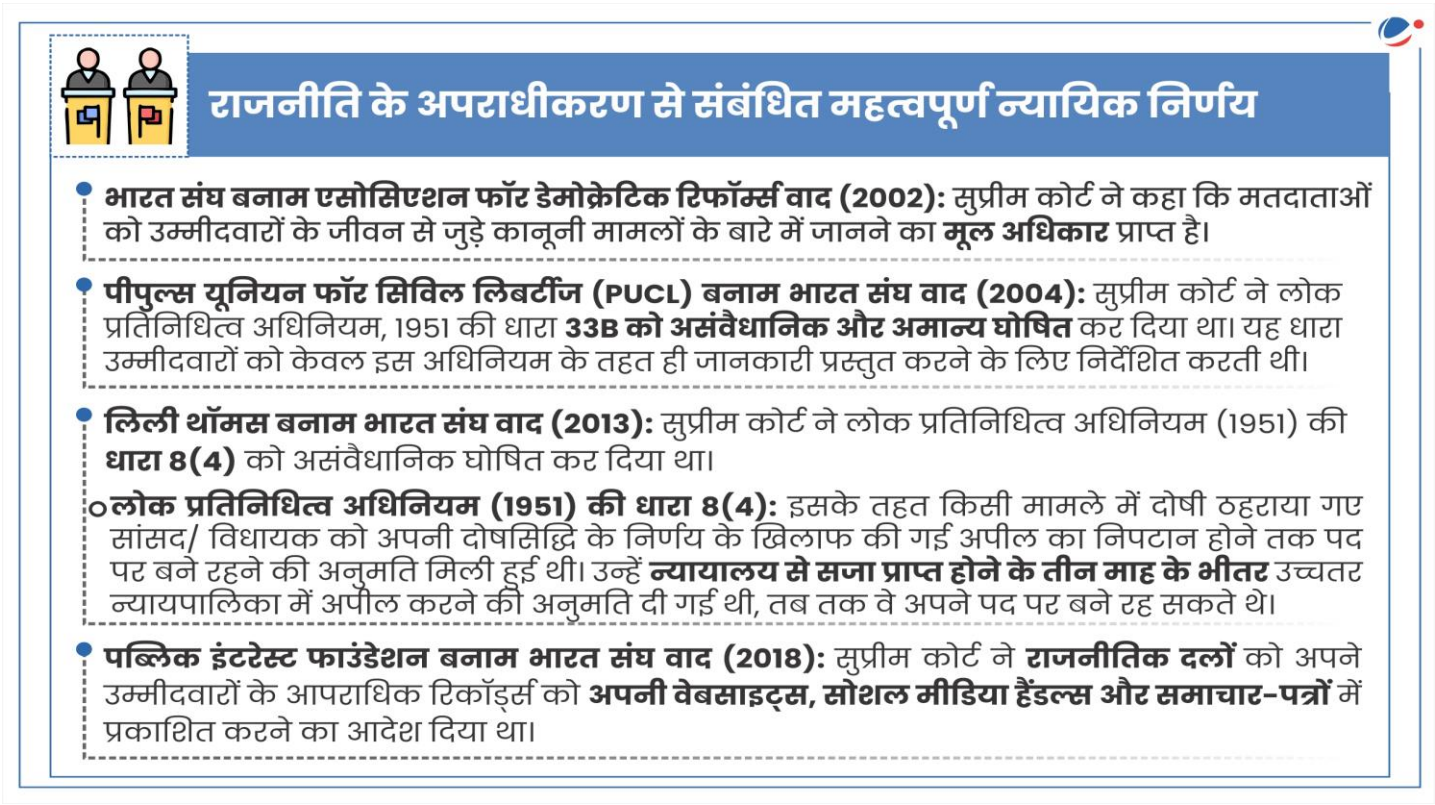

आगे की राह

- **दोषियों के चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध:** भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2004 और 2016 में प्रकाशित प्रस्तावित चुनाव सुधारों में इसका उल्लेख किया था।
- **हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली: 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट** में हाइब्रिड प्रणाली के संदर्भ में सुझाव दिया गया था। इसके अनुसार चुनावों का आयोजन **75% फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (FPTP) सिस्टम तथा 25% आनुपातिक प्रणाली** के माध्यम से किए जाने की सलाह दी गई थी।
- **झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड:** विधि आयोग ने **'चुनावी अयोग्यता' शीर्षक वाली अपनी 244वीं रिपोर्ट** में सुझाव दिया था कि झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड को बढ़ाया जाना चाहिए और **न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास** की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे अपराध को भी **अयोग्यता का आधार** बनाया जाना चाहिए।
- **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र:** संविधान के काम-काज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए एक समर्पित कानून का सुझाव दिया था।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन:** ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, जिनके ऊपर जघन्य अपराधों के आरोप लगे हुए हैं।

5.4. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश** जारी किए थे। ये निर्देश लोक सभा चुनावों के दौरान **आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिलने** के बाद जारी किए गए थे।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत सबसे पहले **1960 में केरल के राज्य विधान सभा चुनावों** में की गई थी।
- **MCC से जुड़े संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 324** (संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की निगरानी करने की चुनाव आयोग की शक्ति)।
  - **2014 में,** चुनाव आयोग ने **कुछ राजनेताओं को लोक कार्यक्रमों को संबोधित करने से प्रतिबंधित** कर दिया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे उन राजनेताओं की **हेट स्पीच के खिलाफ** आपराधिक कार्रवाई शुरू करे।

- **MCC किन पर लागू होती है:** यह सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों एवं पोलिंग एजेंट्स, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
- **MCC लागू रहने की अवधि:** चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक। उल्लेखनीय है कि इस अवधि को **पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1997)** में सही ठहराया था।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के लागू होने से जुड़े मुद्दे

- **अधिक प्रभावी नहीं:** इस संहिता का कोई **कानूनी आधार नहीं** है। साथ ही, इनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी है। इससे MCC को प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आती है। हालांकि, कुछ मामलों में, जैसे झूठे बयान प्रकाशित करने के खिलाफ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4)** के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, ट्विटर, आदि) पर MCC के उल्लंघनों को विनियमित करने और जांच करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों का अभाव** है। इससे दुष्प्रचार और हेट स्पीच को बढ़ावा मिलता है।
- **कम समय तक लागू होना:** उदाहरण के लिए- चुनाव आयोग उन हेट स्पीच (जो MCC का उल्लंघन करने वाली हो सकती हैं) को संज्ञान में नहीं लेता है, जो MCC के लागू होने (चुनाव कार्यक्रम की घोषणा) के तुरंत पहले दी गई हों।
- **सरकारी नीतियों की घोषणा पर रोक लग जाना:** चुनाव अवधि के दौरान नई नीतियों, योजनाओं या परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती है। इससे सरकारी कार्य और विकास कार्य प्रभावित होता है।

आदर्श आचार संहिता को वैधानिक बनाने की आवश्यकता क्यों है?

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति सहित कई विशेषज्ञों ने आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का सुझाव दिया है। हालांकि, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित वजहों से इसे कानूनी आधार देने के खिलाफ है:

- **सर्वसम्मति की भावना:** आदर्श आचार संहिता की शक्ति चुनाव से जुड़े सभी भागीदारों पर इसके नैतिक बंधन में निहित है। इसे वैधानिक दर्जा देने से सर्वसम्मति यानी आम सहमति की भावना प्रभावित होगी।
- **आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद होना:** आदर्श आचार संहिता के अधिकांश प्रावधानों को पहले से मौजूद अलग-अलग कानूनों के तहत लागू किया जा सकता है।
- **समय की पाबंदी:** चुनाव अपेक्षाकृत कम समय (लगभग 45 दिन) के भीतर पूरे हो जाते हैं, हालांकि, न्यायिक कार्यवाही में आमतौर पर अधिक समय लगता है। इससे MCC के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे।

आगे की राह

- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में **दंड देने की चरणबद्ध व्यवस्था** अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए:
  - पहली बार और दूसरी बार उल्लंघन के मामले में क्रमशः **कम अवधि और लंबी अवधि के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध** लगाया जा सकता है।
  - तीसरी बार उल्लंघन करने पर संबंधित उम्मीदवार/ राजनीतिक दल के पदाधिकारी को **आचार संहिता लागू रहने की पूरी अवधि तक प्रचार करने पर प्रतिबंध** लगा देना चाहिए।
- **राजनीतिक दलों को दंडित करना:** आदर्श आचार संहिता में उन राजनीतिक दलों के मामले में 'चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश' के तहत **दंड, जुर्माना या कार्रवाई के प्रावधान** शामिल होने चाहिए, जिनके सदस्य या स्टार प्रचारक आचार संहिता के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।
- **शीघ्र कार्रवाई:** आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 72 घंटों के भीतर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए।
- **समय-समय पर समीक्षा:** डिजिटल युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य नई प्रौद्योगिकियों के आने से सोशल मीडिया के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए आदर्श आचार संहिता को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक हो गया है।

5.5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव (Artificial Intelligence and Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **स्विट्जरलैंड** के पांच राजनीतिक दलों ने संघीय चुनावों के लिए अपने अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सीमित उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। इसके लिए उन्होंने एक **आचार संहिता पर हस्ताक्षर** भी किए हैं।

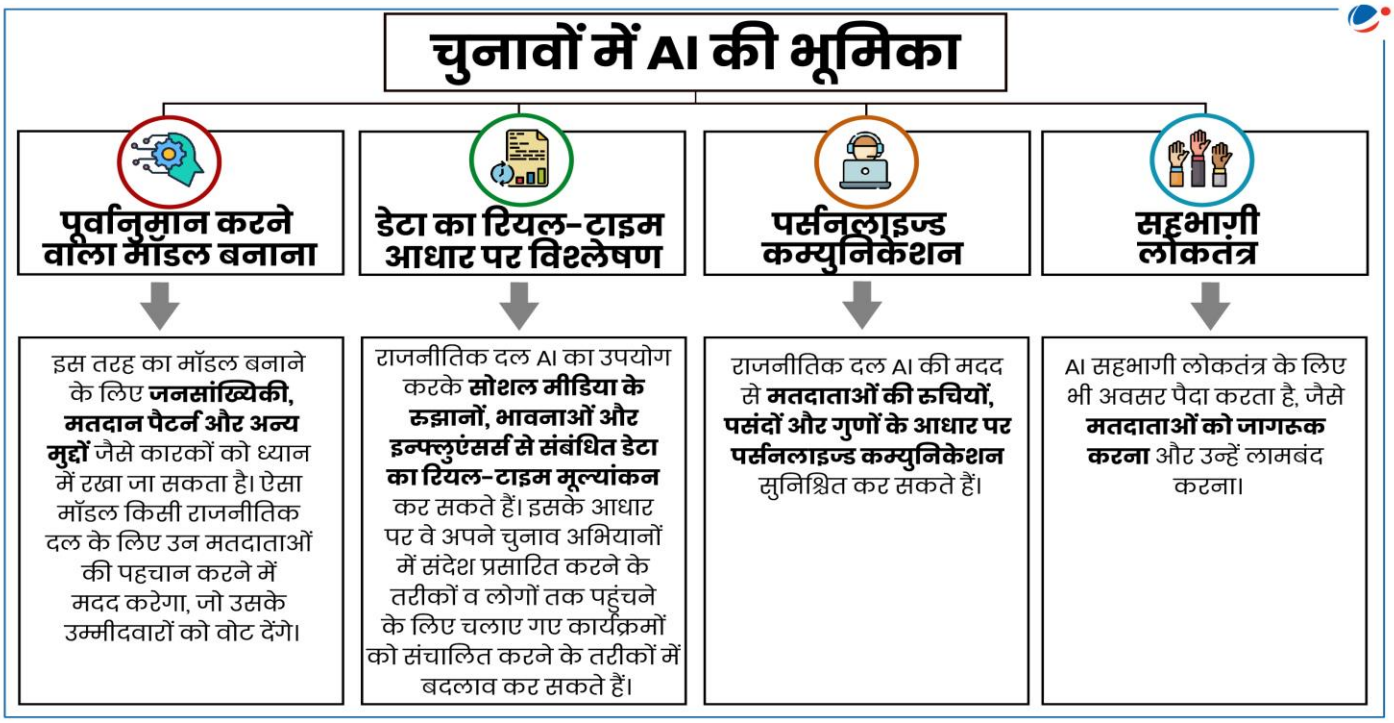

चुनावों में AI से जुड़ी चिंताएं

- **हेरफेर:** AI का उपयोग डीप-फेक वीडियो बनाने, गलत सूचना प्रसारित करने तथा सत्य को विकृत करने के लिए भी किया जा सकता है।
- **विनियमन का अभाव:** विशेष रूप से चुनावों में AI के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक विनियमन तंत्र का अभाव है।
- **सटीकता और डेटा की गुणवत्ता:** राजनीतिक अभियानों में प्रयोग की जाने वाली AI प्रणालियों की प्रभावशीलता और सटीकता उनमें उपयोग किए गए एल्गोरिदम की सटीकता व विश्वसनीयता से बाधित हो सकती है। इसके अलावा, उनमें उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता और मात्रा से भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी कमियां:** मतदाता के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए AI का उपयोग करने से **गोपनीयता तथा डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं** बढ़ सकती हैं। ऐसा **साइबर सुरक्षा संबंधी अवसंरचना और डेटा भंडारण के साधनों की कमी तथा बढ़ते साइबर हमलों** के कारण हो सकता है।

आगे की राह

- **विनियामकीय फ्रेमवर्क:** सरकारों को चुनावों में AI के उपयोग के लिए **स्पष्ट विनियामकीय फ्रेमवर्क** लागू करना चाहिए। साथ ही, इसमें डेटा संरक्षण और अभियानों के विज्ञापनों को भी कवर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- **दुष्प्रचार पर यूरोपीय संघ की आचार संहिता, 2022**
- **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को सशक्त बनाना:** राजनीतिक अभियानों में AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए ECI को ऑनलाइन संचार/ संवाद को कवर करने वाली **प्रकटीकरण (Disclosure) आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाना** चाहिए।
- **डीप-फेक का पता लगाने में नवाचार को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- **डीपफेक डिटेक्शन चैलेंज (DFDC)** डीपफेक और हेरफेर किए गए मीडिया का पता लगाने हेतु नवोन्मेषी तकनीकों का निर्माण करेगा।
- **अनुकूलित प्रतिक्रिया:** चुनावों में AI से संबंधित उभरते खतरों और चुनौतियों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

5.6. मास मीडिया और चुनाव (Mass Media and Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** ने **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए** थे। आयोग ने यह कदम चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने की घटनाओं को देखते हुए उठाया था।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **ECI ने राजनीतिक दलों को निम्नलिखित निर्देश दिए थे:**
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी, भ्रामक या अपमानजनक कंटेंट का प्रसार नहीं करना चाहिए।** अगर इस तरह का कंटेंट महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो तो उसका प्रकाशन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए।
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों सहित किसी अन्य व्यक्ति के **चरित्र को बदनाम (Impersonation)** नहीं करना चाहिए।
- **इन दिशा-निर्देशों में राजनीतिक दलों की कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी तय की गई थीं:**
  - राजनीतिक दलों को चुनावों की अधिसूचना जारी होने के तीन घंटे के भीतर **फर्जी या भ्रामक कंटेंट को हटाना होगा और जिम्मेदार सदस्यों को चेतावनी** देनी होगी।
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[34], 2021 के रूल 3A में **उल्लेखित अनसुलझे मुद्दों को 'शिकायत अपीलीय समिति[35]' के समक्ष उठाना होगा।**

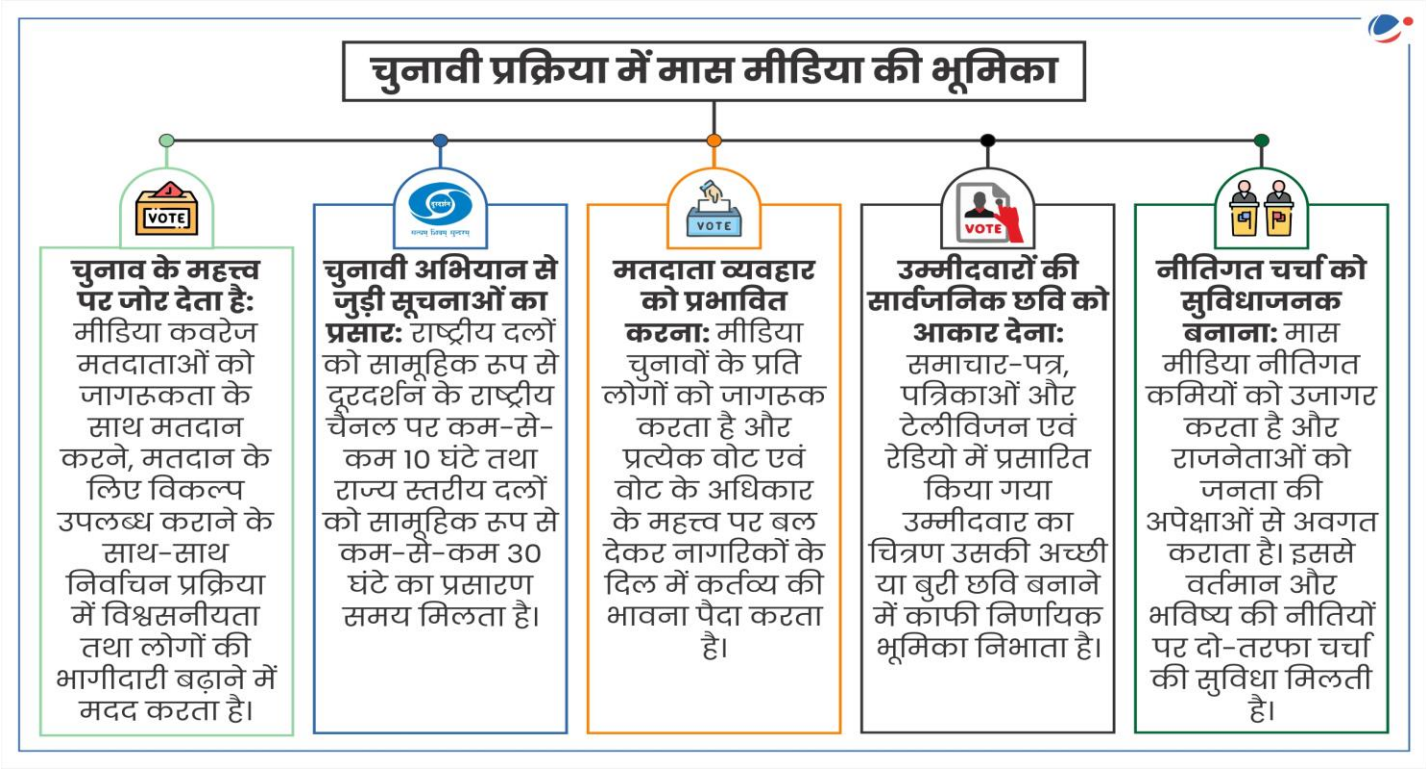

चुनाव प्रक्रिया के समक्ष मास मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियां

- **संप्रभुता के लिए खतरा:** उदाहरण के लिए- **2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों** में यह आरोप लगाया गया कि रूस ने नतीजों में हेर-फेर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था।
- **दुष्प्रचार और कंटेंट के साथ हेरफेर: AI-जनरेटेड डीपफेक** इस समस्या को और अधिक जटिल बनाते हैं। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फेक कंटेंट की सत्यता का पता लगाना काफी मुश्किल काम है, जिससे **चुनाव की पवित्रता** पर सवाल खड़े होने लगते हैं।
- **ऑनलाइन इको चेंबर:** इसके तहत **व्यक्ति केवल उन दृष्टिकोणों या विचारों के संपर्क में आता है जो उसके खुद के दृष्टिकोण या विचारों** से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए- श्रीलंका में 2018 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर फेसबुक का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- **आदर्श आचार संहिता से समझौता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रभावी विनियमन की कमी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता को लागू करना मुश्किल बनाती है।
- **निजता संबंधी चिंताएं और मतदाता की वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) राय के लिए खतरा:** 2018 में, कई भारतीय राजनीतिक दलों ने कथित तौर पर डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स बिजनेस से संबंधित **कैम्ब्रिज एनालिटिका** को काम पर रखा था।

[34] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

[35] Grievance Appellate Committee

भारतीय चुनावों पर मास मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आगे की राह

- **प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सलाह का पालन करना:** चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में सटीक (वस्तुनिष्ठ) रिपोर्ट देने के लिए भारत के चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदि के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करना:** इसके माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- **सिविल सोसाइटी समूहों और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के बीच संबंधों को मजबूत करना:** इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स द्वारा समय पर चिंताओं को उठाने और उनका समाधान करने में मदद मिलेगी।
- **डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाताओं के डेटा सुरक्षित हैं और चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए डेटा का जिम्मेदारी से उपयोग किया जा रहा है।

5.7. नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य और रद्द** घोषित कर दिया।

निष्पक्ष और समय पर नगरपालिका चुनावों की आवश्यकता क्यों?

- **'फर्स्ट-माइल' कनेक्ट: भारत के 4,700 से अधिक शहरों में 87,000 से अधिक पार्षद हैं, जो प्रत्येक वार्ड में औसतन 4,300 से अधिक नागरिकों** का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्षद, वार्ड का एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है।
- **जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान करना: इन प्राथमिकताओं में पर्यावरण की सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक समानता और रोजगार एवं आजीविका** शामिल हैं।
- **फंड/ वित्त-पोषण का कुशल उपयोग:** उदाहरण के लिए- निर्वाचित पार्षदों की भूमिका **15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु नगरपालिकाओं के लिए आवंटित 26,000 करोड़ रुपये के फंड** के उपयोग में महत्वपूर्ण है।

नगरपालिका चुनाव संबंधी चुनौतियां

- **समय से चुनाव नहीं होना: सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)** मामले में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश के बावजूद राज्य सरकारें शहरी स्थानीय सरकारों के लिए समय पर चुनाव नहीं करा रही हैं।
  - 2015 से 2021 तक सभी राज्यों में **1,500 से अधिक नगरपालिकाओं में निर्वाचित परिषदें नहीं** थीं।
- **परिषद के गठन में देरी:** कर्नाटक में, 11 नगर निगमों में से अधिकांश में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित परिषदों के गठन में 12-24 महीने की देरी पाई गई थी।
- **परिसीमन और आरक्षण:** कई बार राज्य सरकार परिसीमन प्रक्रिया में देरी करती है। इसके कारण परिषद के चुनावों में विलंब होता है।
- **मेयर के कार्यकाल में अनियमितता:** भारत में, **आठ सबसे बड़े शहरों में से पांच शहरों सहित देश के 17 प्रतिशत शहरों में मेयर के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष से कम है।**
- **राज्य निर्वाचन आयोग के पास शक्ति का अभाव:** राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड की सीमाओं के परिसीमन को पूरा करने और महिलाओं के साथ-साथ वंचित समुदायों के लिए आरक्षण को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकारों पर निर्भर हैं।
- **मतदाताओं की उदासीनता:** नगरपालिका चुनावों में मतदान प्रतिशत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की तुलना में लगातार कम हो रहा है। उदाहरण के लिए- 2020 में दिल्ली विधान सभा में 62.59 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह स्थानीय परिषद चुनावों की तुलना में 11.85 प्रतिशत अधिक था।

आगे की राह

- **राज्य निर्वाचन आयोगों को सशक्त बनाना:** इन आयोगों को मजबूत करने और उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देने से समय पर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
  - राज्य निर्वाचन आयोगों को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में शामिल किया जा सकता है।
- **परिसीमन की शक्ति:** प्रत्येक राज्य में वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया के संचालन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के पास होनी चाहिए।
- **एकल मतदाता सूची:** उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार के सभी तीन स्तरों हेतु एक ही मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए। इससे अलग-अलग एजेंसियों के कार्यों में डुप्लीकेशन और निरर्थकता की समस्या में कमी आएगी।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

6. शासन व्यवस्था (Governance)

6.1. प्रशासनिक सुधार: एक नज़र में (Administrative Reforms at a Glance)

प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक संस्थाओं के साथ आवश्यक सामंजस्य स्थापित करना और **उसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना है, ताकि लोक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।**

भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता क्यों?

- **बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलना:** जैसे- तीव्र तकनीकी प्रगति।
- **परिणामों की तुलना में प्रक्रिया पर जोर देना:** समय के साथ पुरानी होती गई प्रणालियों, नौकरशाही आधारित लालफीताशाही आदि के कारण।
- **खराब सार्वजनिक धारणा:** लोक सेवाओं में लोगों की विश्वसनीयता तथा इन सेवाओं की प्रभावशीलता में कमी आई है।
- **प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों में मौजूद कमियां**
- **नागरिक-केंद्रित शासन पर सीमित फोकस:** प्रशासनिक प्रणाली में अधिक जटिलता, शिकायत निवारण प्रणालियों का अप्रभावी होना आदि।

भारत में प्रमुख प्रशासनिक सुधार

संरचनात्मक/ संस्थागत सुधार:	प्रशासनिक मानव संसाधन को बेहतर बनाने हेतु सुधार:	नागरिक केंद्रित और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने वाली पहलें:	प्रदर्शन मूल्यांकन:	तकनीक-सक्षम शासन: ई-क्रांति:
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG); प्रशासनिक सुधार आयोग (ARCs); केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) आदि।	मिशन कर्मयोगी; लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 आदि।	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS); नागरिक चार्टर; सेवोत्तम मॉडल; सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 आदि।	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA); सुशासन सूचकांक (GGI) आदि।	ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) 2.0; ई-ऑफिस; ई-समीक्षा आदि।

भारत में प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में मौजूद बाधाएं

शक्तियों का केन्द्रीकरण:	तीव्र व मौलिक परिवर्तन:	नौकरशाही में जड़ता:	क्षमता निर्माण की कमी:	समन्वय में कमी:
भारत की प्रशासनिक संरचना पदानुक्रमित और केंद्रीकृत है।	देश आर्थिक संवृद्धि, शहरीकरण, पर्यावरणीय क्षरण, तकनीकी परिवर्तन के संदर्भ में मौलिक परिवर्तनों से गुजर रहा है।	नौकरशाही में अनुशासनहीनता और व्यापक भ्रष्टाचार आदि देखने को मिलता है।	प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में अपर्याप्त निवेश व अवसंरचना; तथा आवश्यक कौशल एवं विशेषज्ञता की कमी नई प्रशासनिक प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।	सरकारी विभागों के बीच खराब समन्वय; जिम्मेदारियों का अधिव्यापन (ओवरलैपिंग) आदि।

आगे की राह

- **कार्यकारी समन्वय:** राजनीतिक कार्यपालिका और सिविल सेवाओं के बीच संबंधों को समन्वित किया जाना चाहिए।
- **नागरिक-केंद्रितता:** हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नागरिक-केंद्रितता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
  - **पी. सी. होता समिति ने सिफारिश की** थी कि प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय को नागरिक हितों से जुड़े पहलुओं की पहचान करनी चाहिए।
- **विशिष्ट सेवाएं:** प्रत्येक अधिकारी को प्रशासन के किसी एक क्षेत्र में क्षेत्र (डोमेन) संबंधी विशेषज्ञता हासिल कर लेनी चाहिए।
- **कार्मिक प्रबंधन के प्रति समर्पित प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शन की समीक्षा:** द्वितीय ARC ने सुझाव दिया था, कि एक 'केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण' की स्थापना की जानी चाहिए।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए।

6.1.1. शासन में सिविल सेवकों की भूमिका (Role of Civil Servants in Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सिविल सेवा दिवस** के अवसर पर, प्रधान मंत्री ने शासन और जन-कल्याण को आगे बढ़ाने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

शासन में सिविल सेवकों की भूमिका

- **शासन की निरंतरता:** स्थायी कार्यकारी का हिस्सा होने के नाते सिविल सेवक निर्वाचित सरकारें बदलने पर भी शासन में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।
- **सरकार और लोगों के बीच इंटरफेस:** सिविल सेवक लोगों की जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने और **सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने** के लिए **मुख्य माध्यम** के रूप में कार्य करते हैं।
- **नीति निर्माण:** वे आवश्यक **इनपुट** प्रदान करते हैं, **नीतिगत क्षेत्रों की पहचान** करते हैं, **विकल्पों का विश्लेषण** करते हैं, **सामाजिक मुद्दों आदि का समाधान** प्रस्तुत करते हैं और **मंत्रियों को सलाह** देते हैं।
- **भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करना:**
  - **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव:** चुनाव आयोग ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त **टी.एन.शेषन** द्वारा शुरू किए गए सुधारों को चुनाव में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण माना जाता है।
  - **सहभागी लोकतंत्र:** उदाहरण के लिए **1976 में ए.एम. गोखले ने विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर की योजना और विकास** के लिए नागालैंड में ग्राम विकास बोर्ड (VDB) की शुरुआत की थी।
  - **समावेशी लोकतंत्र:** कई सिविल सेवकों ने **वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा** में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए- 2020 में बलांगीर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए 'स्वेक्रुति' योजना शुरू की थी।
- **संवृद्धि और विकास:**
  - **कानून और व्यवस्था लागू करना:** सिविल सेवक सामाजिक तनावों व संघर्षों को दूर करने की दिशा में काम करते हैं और इस प्रकार सामाजिक एकता एवं सद्भाव बनाए रखने में सहायता करते हैं।
    - उदाहरण के लिए- **असम की आयरन लेडी के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पाराशर ने पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई थी।
  - **संसाधन की कमी संबंधी बाधाओं को दूर करने में सक्षम:** उदाहरण के लिए-
    - मणिपुर के मिरेकल मैन के नाम से मशहूर **आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे ने 2012 में राज्य की वित्तीय सहायता के बिना 100 कि.मी. लंबी सड़क बनाने के लिए** सोशल मीडिया के माध्यम से **क्राउडफंडिंग** जुटाई थी। अब इस सड़क को **"लोगों की सड़क"** के नाम से भी जाना जाता है।
    - केरल में कोझिकोड के पूर्व जिला कलेक्टर प्रशांत नायर ने **ऑपरेशन सुलेमानी** चलाया था। इसके तहत **सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए जनता से मिले गुमनाम दान का उपयोग** किया गया था। इससे भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
- **करियर डिप्लोमैट्स:** सिविल सेवक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही समझौतों पर वार्ता करने, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **अर्ध-न्यायिक भूमिका:** सिविल सेवक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, साइबर अपीलीय अधिकरण जैसे अधिकरणों में कार्य करते हैं।

सरकार ने सिविल सेवकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित पहलें लागू की हैं:

- **सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी:** इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के अंतर्गत व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियात्मक स्तरों पर सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण ढांचे में सुधार करना है।
- **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:** यह एक व्यापक ऑनलाइन मंच है, जो सिविल सेवा अधिकारियों को उनके क्षमता-निर्माण में व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI):** इसे केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) की गुणवत्ता और **प्रशिक्षण वितरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण आयोग** ने विकसित किया था।

- **आरंभ:** इसे भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया था। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए **पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स** है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इस नीति का उद्देश्य **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवकों** को तैयार करना है, जो नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों।
- **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार।**

सिविल सेवकों के काम-काज से जुड़ी चुनौतियां

- **स्वायत्तता:** बार-बार स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव व हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता आदि सिविल सेवकों की स्वायत्तता को कम करती है।
- **बुनियादी ढांचा:** कई भारतीय शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी** है। यह कमी सरकारी कार्यक्रमों एवं सेवा वितरण के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।
- **लालफीताशाही:** जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएं, सिविल सेवाओं में पदानुक्रमित प्रणाली आदि निर्णय प्रक्रिया को समय लेने वाला बनाती हैं। इससे **प्रगति की गति धीमी हो जाती है** और समाज में परिवर्तन लागू करना कठिन बन जाता है।
- **सुरक्षा:** सिविल सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को अक्सर हिंसा के जोखिम एवं अपराधियों या चरमपंथियों से धमकियों का सामना करना पड़ता है।
    - उदाहरण के लिए- आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे को अवैध बारों पर छापा मारने, अतिक्रमण को ध्वस्त करने और भूमि व जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

निष्कर्ष

एक सिविल सेवक द्वारा पारदर्शिता, दक्षता और सत्यनिष्ठा की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम हमारे देश को समावेशी विकास एवं सुशासन के लक्ष्यों के करीब लाता है। हालिया वर्षों में, सरकार ने सिविल सेवकों की कार्य कुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, 21वीं सदी में नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान और सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए सिविल सेवाओं के सावधानीपूर्वक पुनर्गठन की आवश्यकता है।

6.1.2. प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना (Revamped Scheme For Administrative Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)**[36] की **"प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना"** हेतु फंड्स को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान (Revamped) योजना के बारे में

- **अवधि:** यह योजना **15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अंतिम दो वित्त वर्षों (2024-25 और 2025-26) में लागू** की जाएगी।
- यह योजना **अगली पीढ़ी के महत्वाकांक्षी प्रशासनिक सुधारों** को 'विकसित भारत' की नई आकांक्षाओं के अनुरूप **आगे** बढ़ाएगी।

वर्तमान में शिकायत निवारण के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं

- **CPGRAMS**[37]**, लोकपाल और राज्य लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC),** आदि।
- RBI ने **लोकपाल कार्यालय** स्थापित किए हैं।
- **ट्विटर सेवा, उमंग ऐप, प्रगति**, आदि।
- **राज्यों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे:**
    - गुजरात **(स्वागत/ SWAGAT),** आंध्र प्रदेश **(स्पंदन/ SPANDANA)** राजस्थान **(राजस्थान संपर्क),** आदि।

[36] Department of Administrative Reforms and Public Grievances

[37] Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System/ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना का महत्त्व

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** उदाहरण के लिए- केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों की रैंकिंग के लिए **शिकायत निवारण सूचकांक** तैयार किया गया है।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** यह कार्य **iGot प्लेटफॉर्म और सेवोत्तम योजना** के माध्यम से किया जा रहा है।
- **निर्बाध सेवा वितरण:** दूरस्थ नागरिकों तक पहुंचने के लिए **सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs)** को सशक्त बनाकर सेवाओं को अधिक सुलभ व लाभार्थी अनुकूल बनाया गया है।
- **कुशलतापूर्वक निर्णय लेना:** सरकारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करना, नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना आदि।
- **एकीकरण: एक राष्ट्र-एक पोर्टल** के तहत राज्यों के पोर्टल्स और केंद्र सरकार के अन्य पोर्टल्स को **CPGRAMS** के साथ एकीकृत किया गया है।
- **प्रशासनिक तंत्र में नवाचार:** उदाहरण के लिए- श्रेणीबद्ध, स्थानिक और मूल-कारण के विश्लेषण के लिए **इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (IGMS)-2.0** का शुभारंभ किया गया है।

मौजूदा लोक शिकायत प्रणाली से जुड़ी समस्याएं

- **एकरूपता का अभाव:** अभी भी शिकायतों के प्रबंधन की रूपरेखा, प्रक्रिया और क्षमता के मामले में मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों के बीच कई तरह की भिन्नताएं मौजूद हैं।
- **संघीय व्यवस्था को ठेस:** एक संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, याचिकाकर्ता को CPGRAMS पर राज्य सरकारों से जुड़ी कई शिकायतें रहीं, जिनका समाधान राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया गया। इसके कारण याचिकाकर्ता की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया।
- **जटिलता और नौकरशाही बाधाएं:** इसके चलते लोग शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित होते हैं।
- **संसाधनों की कमी:** जन शिकायत प्रकोष्ठों में पर्याप्त कर्मचारियों और संसाधनों का अभाव है।

आगे की राह

- **सिविल सेवकों में व्यवहारगत परिवर्तन:** इसके लिए **बेहतर कार्य करने वाले और प्रभावी सुझाव देने वाले सिविल सेवकों को पुरस्कृत** करना चाहिए तथा जानबूझकर लापरवाही करने वाले सिविल सेवकों को दंडित किया जाना चाहिए।
- **समावेशी शिकायत निवारण को बढ़ाना:** CPGRAMS तक पहुंच से वंचित लोगों को पहुंच प्रदान करने के लिए, **लोक अदालतों, सामाजिक लेखा परीक्षा और मोबाइल ऐप्स** जैसे सभी तंत्रों का एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें:**
  - RTI अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी के समान **लोक शिकायत अधिकारी** की नियुक्ति की जानी चाहिए।
  - लोक शिकायत अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी **शिकायत याचिकाओं का 30 दिन के भीतर संतोषजनक** ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए। अगर अधिकारी **समय सीमा का पालन नहीं** करता है, तो उस पर **आर्थिक दंड** लगाया जाना चाहिए।

6.2. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने **उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024** पारित किया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बारे में

- यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के सांविधिक पद के सृजन का प्रावधान करता है।
- इसका उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना तथा उनसे संबंधित व उनके प्रासंगिक विषयों का उपबंध करना है।
- **लोकपाल की संरचना:** लोकपाल में **एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** होते हैं। इनमें से **आधे सदस्य न्यायिक सदस्य** होते हैं। लोकपाल के **आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं** में से होंगे।
  - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य **पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो,** पद धारण करते हैं।

- **लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों,** सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और कुछ निजी संस्थाओं (धार्मिक संस्थानों सहित) पर होगा।
- **लोकपाल का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) अर्थात् लोकपाल के दायरे में कौन-कौन शामिल हैं:**
  - **प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C और D के अधिकारी** तथा केंद्र सरकार के अधिकारी।
  - ऐसी कोई भी **सोसाइटी या न्यास या निकाय जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करता हो।**

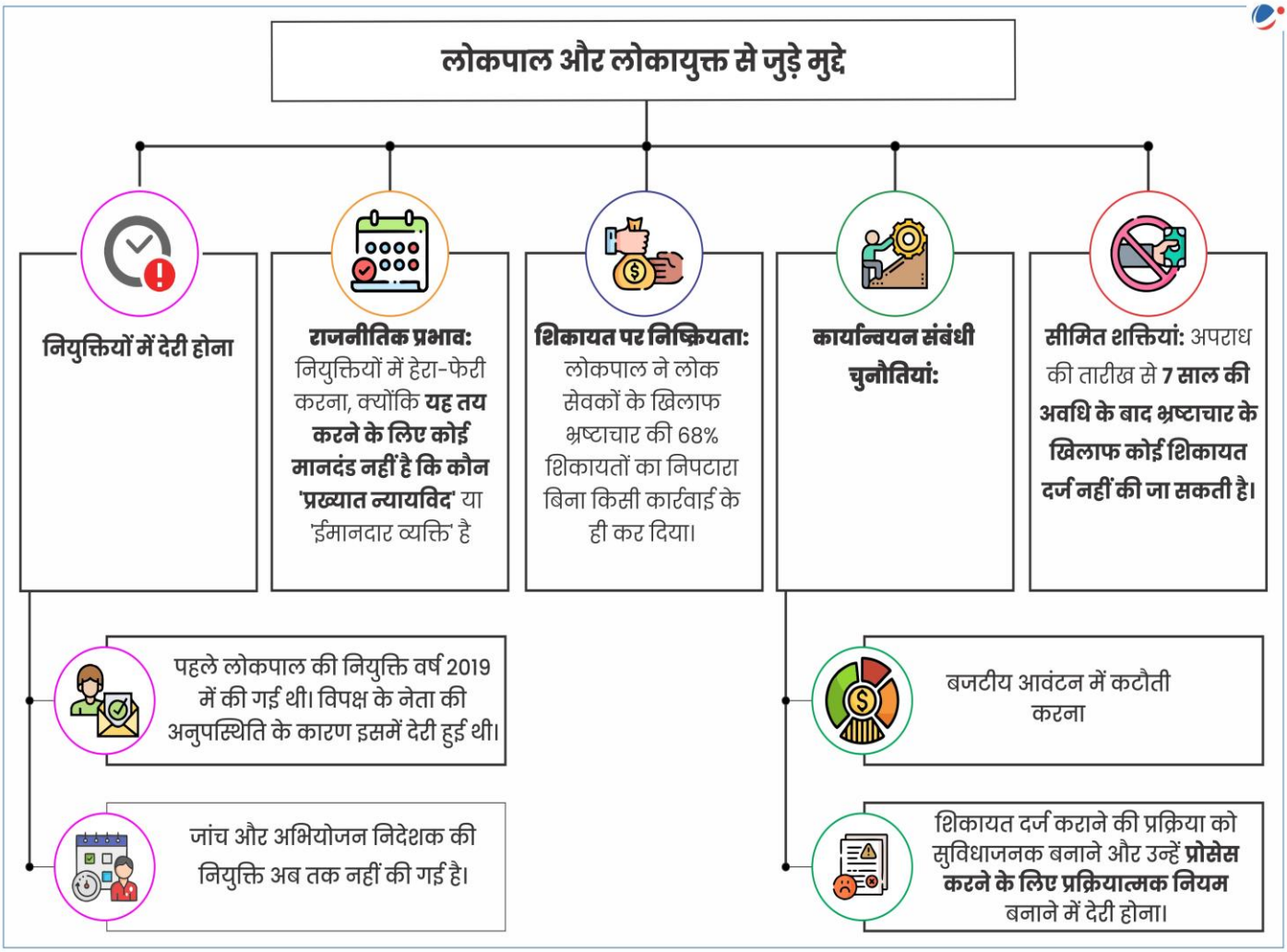

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े कुछ अपवाद

- यदि **प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष** से संबंधित है, तो लोकपाल इसकी जांच नहीं कर सकता है।
- **न्यायपालिका और सशस्त्र बल** लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं।
- **राज्य सरकार के कर्मचारियों** को तब इसकी अधिकारिता के अधीन लाया जाता है, जब वे संघ के मामलों के संबंध में सेवा दे रहे होते हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों है?

- वर्तमान में स्वतंत्र भ्रष्टाचार निवारक एजेंसियों का अभाव है।
- पारदर्शिता और आंतरिक जवाबदेही की कमी है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मौजूदा तंत्र अपर्याप्त है।
- CVC आदि निकायों के पास प्रभावी शक्ति नहीं है।

आगे की राह

- **वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी स्वतंत्रता:** सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त को उन पदाधिकारियों से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए जिनकी वे जांच करते हैं और मुकदमा चलाते हैं।
- **विकेन्द्रीकृत संस्थान:** किसी एक संस्था या प्राधिकरण में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण से बचने के लिए, उचित जवाबदेही तंत्र के साथ एक से अधिक **विकेन्द्रीकृत संस्थानों की आवश्यकता** है।
- **राज्य स्तरीय लोकायुक्त: 'लोकपाल' की तर्ज पर राज्यों में 'लोकायुक्त' की स्थापना की जानी चाहिए।** इसके दायरे में "राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, स्थानीय निकाय और राज्य निगम" आने चाहिए।

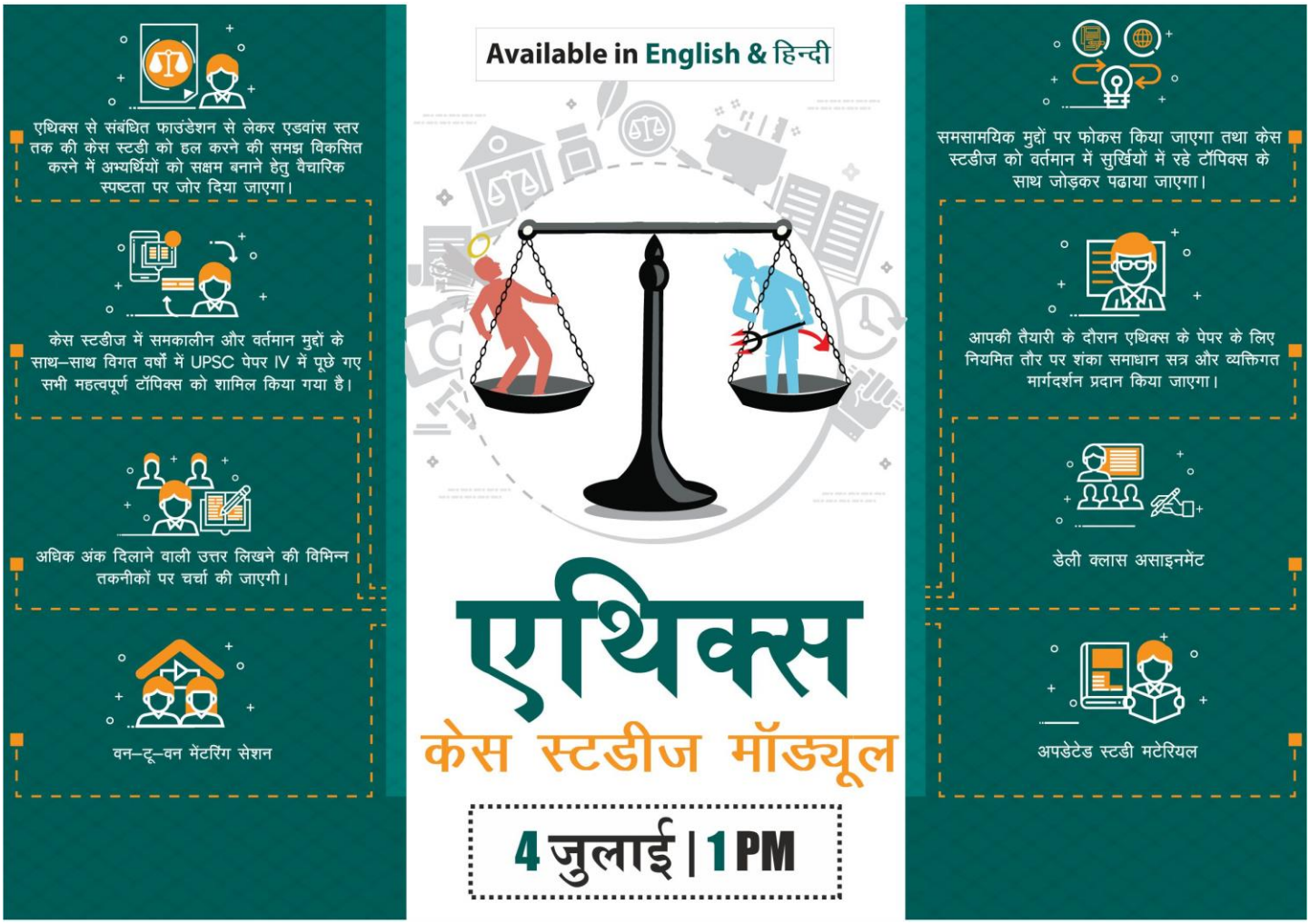

6.3. ई-गवर्नेंस: एक नज़र में (E-governance at a Glance)

ई-गवर्नेंस

सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रक आदि के स्तर पर और साथ ही, सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सांख्यिकी के आदान-प्रदान, संचार करने, अलग-अलग स्वतंत्र प्रणालियों तथा सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को **ई-गवर्नेंस (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस)** कहते हैं।

उद्देश्य: सरल (Simple), नैतिक (Moral), जवाबदेह (Accountable), अनुक्रियाशील (Responsive) और पारदर्शी (Transparent) या (SMART/ स्मार्ट) शासन को साकार करना।

ई-गवर्नेंस की श्रेणियां

सरकार से नागरिक (G2C)	सरकार से सरकार (G2G)	गवर्नमेंट टू बिजनेस (G2B)	सरकार से कर्मचारी (G2E)
परिवहन, शिक्षा, अस्पताल, आदि	ई-सचिवालय, ई-पुलिस, ई-कोर्ट, आदि	ई-कराधान, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, आदि	ई-लर्निंग विधियां, आदि

भारत में ई-गवर्नेंस के लिए शुरू की गई पहल

- **'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम (2015):** इसका उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।
- **कॉमन सर्विस सेंटर:** ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करना।
- **नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (UNANG):** नागरिकों को मोबाइल के जरिए सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए।
- **डिजिलॉकर:** यह कागज के उपयोग को कम करके सरकारी विभागों के प्रशासनिक बोझ को कम करता है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM, 2016):** पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी कृषिगत बोली के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।

भारत में ई-गवर्नेंस के समक्ष चुनौतियां

- **निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** इसमें ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा का मुद्दा, डेटा का दुरुपयोग, साइबर धोखाधड़ी, डेटा की चोरी, फिशिंग शामिल हैं।
- **आर्थिक मुद्दे:** इससे संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन और उनके मेंटेनेंस पर सरकार को भारी लागत उठानी पड़ती है।
- **स्थानीय भाषाओं का प्रयोग:** भारत में अधिकांश लोग अंग्रेजी के प्रति सहज नहीं होते हैं।
- **डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर:** भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं।

आगे की राह

- **ई-गवर्नेंस नीति फ्रेमवर्क** को बार-बार बदलते राजनीतिक और नौकरशाही के द्वारा किए जाने वाले बदलावों से **अलग रखा जाना चाहिए।**
- **प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम** के बारे में अन्य सार्वजनिक एजेंसियों और नागरिकों को अवगत करवाना चाहिए।
- **उन लोगों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है,** उदाहरण के लिए, डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) तकनीक का परीक्षण करना।
- **नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान उनकी स्थानीय भाषा में** चलाए जाने चाहिए।

6.3.1. सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Public Services Delivery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)[38] ने नागरिकों को सेवा वितरण में **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ाने** की आवश्यकता पर जोर दिया है।

प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक सेवा वितरण के मध्य संबंध

- **'ई-गवर्नमेंट'** एक ऐसा उपाय है जिसके जरिए **डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सरकारी सेवाएं** प्रदान की जाती हैं। इसमें **सरकार के बीच** तथा **सरकार और जनता के मध्य** सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सेवाओं का वितरण होता है।
  - **परंपरागत रूप से सरकारी सेवाएं** विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर भौतिक उपस्थिति **(अधिकारी आदि को भेजकर)** और अक्सर कागजी प्रपत्रों का उपयोग करके पहुंचाई जाती रही हैं।
- डिजिटल साधनों के जरिए सरकार नागरिकों को **किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म या डिवाइस पर जानकारी और सेवाएं प्रदान** कर सकती है।

सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी का महत्त्व

- इससे **नागरिकों के समय और धन, दोनों की बचत होती है: उदाहरण: ई-हस्ताक्षर सेवा** नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में आए बिना कानूनी रूप से स्वीकार्य ऑनलाइन दस्तावेजों पर तत्काल ई-हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **सरकारी विभागों की दक्षता बढ़ जाती है**: **उदाहरण: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 'वाहन (VAHAN) प्लेटफॉर्म'** पर उपलब्ध डेटा को अलग-अलग राज्यों के रजिस्टरों से एकत्र व प्रॉसेस किया जाता है।
- **फर्जी लाभार्थियों तथा लीकेज की संभावना को काफी हद तक समाप्त** कर देता है: **उदाहरण: आधार कार्ड को मनरेगा के जॉब कार्ड से जोड़ने पर** लाखों फर्जी लाभार्थियों की पहचान की गई तथा उन्हें हटा दिया गया।
- **जवाबदेही बढ़ती है तथा भ्रष्टाचार कम** होता है: **उदाहरण:** नागरिकों के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध विस्तृत जानकारी उन्हें **नियमों व विनियमों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान** करती है। साथ ही, यह उन्हें **दोषी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज** करने की सुविधा भी प्रदान करती है।
- **अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को आपस में जोड़कर** बेहतर लोक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है: **उदाहरण: पैन कार्ड तथा आधार कार्ड को आपस में लिंक करने से एक निश्चित आय सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों का डेटा एकत्र करके सरकारी राजकोष** बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे कर राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ काले धन में कमी लाने में भी मदद मिलती है।

सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित चुनौतियां

- देश में आज भी लोगों के मध्य **डिजिटल डिवाइड** बना हुआ है। भारत में **38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर** हैं।
- सरकार में **कुशल कार्यबल की भी कमी है।** उदाहरण के लिए- ओडिशा की जिला न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी के कारण कर्मचारियों की कार्य स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- **साइबर सुरक्षा के समक्ष खतरा** अत्यधिक चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये सेवाएं सरकार और जनता के महत्वपूर्ण डेटा को नियंत्रित भी करती हैं।
- देश के कई सरकारी संस्थानों में **पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना का अभाव है।** केवल 48.6% जिला न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग सुविधा चालू अवस्था में है।
- **अधिकतर सेवाओं में आपसी जुड़ाव (Interoperability) का अभाव है।** यह उन्हें सामूहिक नेटवर्क के स्थान पर पृथक नेटवर्क में कार्य करने पर विवश करता है।

[38] Comptroller & Auditor General

आगे की राह

- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा** देना चाहिए तथा समाज में इसके लाभों को स्पष्ट करना चाहिए।
- देश में डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए **कानूनी ढांचे** का निर्माण करना चाहिए।
- क्वांटम, AI और एडवांस वायरलेस प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान कर देश में **साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत** करना चाहिए।
- सेवाओं के दायरे को व्यापक बनाने के लिए **डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना चाहिए तथा सेवाओं के आपसी जुड़ाव में वृद्धि** करनी चाहिए।

6.4. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (DPDP)[39], 2023 को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता (Privacy)** को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
- इसके बाद, **न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति** ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP)[40] विधेयक का शुरूआती मसौदा प्रस्तुत किया था। इस समिति का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा किया गया था।

DPDP अधिनियम, 2023 के बारे में

DPDP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना** है। इसमें व्यक्तियों के **व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार** को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है और **केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही डेटा की प्रोसेसिंग** की जाएगी।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **किस पर लागू होगा (Applicability)**: इसके प्रावधान **भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की 'प्रोसेसिंग' पर लागू होंगे,** जहां:
  - कोई डेटा, डिजिटल (ऑनलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो, या
  - कोई डेटा, गैर-डिजिटल (ऑफलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो।
    - इसके प्रावधान **भारत के बाहर** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके **भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना** है।
- **सहमति (Consent):** डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को **प्रोसेस्ड किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए।** हालांकि, डेटा प्रिंसिपल को **किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है।**
  - ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो, या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो **"वैध उपयोग" के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।**
- **केंद्र सरकार द्वारा भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)[41] के गठन** का प्रावधान किया गया है। **बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं:**
  - **नियमों के अनुपालन की निगरानी करना** और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना।
  - **प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना।**
- **डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of Data Principal)** डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
  - डेटा प्रोसेसिंग के बारे में **जानकारी प्राप्त करना,**
  - **व्यक्तिगत डेटा** को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना, आदि

[39] Digital Personal Data Protection Bill
[40] Personal Data Protection:
[41] Data Protection Board of India

- **डेटा फिड्यूशरी के दायित्व**: **डेटा फिड्यूशरी (प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई) के निम्नलिखित दायित्व** होंगे;
  - डेटा की **सटीकता** और पूर्णता **सुनिश्चित करना,**
  - डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए **उचित सुरक्षात्मक उपाय करना,**
  - **उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना।**

DPDP अधिनियम का महत्त्व

- **उन्नत डेटा सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य सेवा उद्योग हेतु, यह संवेदनशील रोगियों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक मजबूत उपायों का प्रावधान करता है।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस:** यह व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करने के बारे में स्पष्ट नियम प्रस्तुत करता है। साथ ही, उन्हें भ्रम से बचने में मदद करता है और उन्हें कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्रॉसेसिंग:** यह अधिनियम वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्त्व और उसके लोक हित को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डेटा की प्रॉसेसिंग हेतु छूट भी प्रदान करता है।
- **वैश्विक नियमों के अनुरूप:** अधिनियम विश्वव्यापी डेटा सुरक्षा नियमों के अनुरूप है। इससे भारत के लिए विश्व स्तर पर व्यापार करना आसान होगा।

अधिनियम की सीमाएं

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** इन छूटों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकों से संबंधित डेटा एकत्र कर सकती हैं। इसकी सहायता से निगरानी के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और यहां तक कि सामाजिक जीवन के बारे में संपूर्ण प्रोफाइल बनाई जा सकती है।
- **शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण:** पीड़ित व्यक्तियों के लिए सबसे पहले डेटा फिड्यूशरी के शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क करना आवश्यक है।
  - शिकायतों का निपटारा नहीं होने पर उन्हें **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड** के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बोर्ड में भी समाधान नहीं होने पर **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (TDSAT)**[42] में अपील का प्रावधान है।
- **अस्पष्ट परिभाषा:** अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि डेटा फिड्यूशरी ऐसी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा जिसका बालकों के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, **हानिकारक प्रभाव की कोई परिभाषा** या ऐसे प्रभाव को निर्धारित करने के लिए **कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।**
- **कुछ अधिकारों के लिए कोई प्रावधान नहीं:** यह अधिनियम डेटा प्रिंसिपल को **डेटा पोर्टेबिलिटी**[43] **का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार**[44] **नहीं** देता है।
- **अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:** अलग-अलग देशों में डेटा संरक्षण को लेकर अलग-अलग मानक होते हैं ऐसे में भारत से बाहर हस्तांतरित किए गए डेटा का संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

आगे की राह

- **सीमा-पार डेटा हस्तांतरण पर नियंत्रण:** डेटा के सीमा-पार हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से उन देशों के लिए करना आवश्यक है जिनका उल्लेख अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई सूची में नहीं किया गया है।
- **डेटा अधिकार: डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार** दिया जाना चाहिए। ये अधिकार विशेष रूप से उन मामलों में होने चाहिए जहां डेटा का संग्रहण और भंडारण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जीवन, पहचान आदि को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **दुरुपयोग को रोकना:** छूट प्रदान करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **समयावधि तय करना:** एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर या डेटा प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद **डेटा को हटाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा** तय की जानी चाहिए।

---

[42] Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal

[43] विभिन्न एप्लीकेशन, प्रोग्राम, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट या क्लाउड सेवाओं के बीच डेटा को स्थानांतरित करने की क्षमता

[44] Right to be Forgotten

यूरोपीय जेनरल डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) और भारतीय DPDP अधिनियम, 2023 के बीच तुलना

GDPR	DPDP अधिनियम, 2023
यह सभी व्यक्तिगत डेटा (डिजिटलीकृत या नहीं) पर लागू होता है।	**DPDP अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होगा। साथ ही, यह बाद में डिजिटाइज किए जाने वाले गैर डिजिटल** व्यक्तिगत डेटा पर भी लागू होगा।
16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।	**18 वर्ष से कम आयु** के बच्चों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता / अभिभावक की सहमति आवश्यक है।
डेटा में सेंधमारी की सूचना **पर्यवेक्षी प्राधिकरण को 72 घंटों के भीतर** दी जानी चाहिए।	डेटा प्रिंसिपल के अनुरोधों का जवाब देने के लिए **समय सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।
GDPR डेटा को किसी **तीसरे देश** में स्थानांतरित करने के लिए **विशेष तंत्र / व्यवस्था** निर्धारित करता है, जैसे मानक अनुबंध संबंधी प्रावधान और बाध्यकारी कॉर्पोरेट नियम।	इस अधिनियम में व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित करने के लिए **कोई स्थानांतरण तंत्र / व्यवस्था नहीं** है।
डेटा नियंत्रक और डेटा प्रोसेसर के लिए यह आवश्यक है कि वे **प्रोसेसिंग गतिविधियों के रिकॉर्ड (ROPA)**[45] को बनाए रखें।	इस अधिनियम में ROPA को बनाए रखने हेतु **डेटा फिड्यूशरीज पर कोई दायित्व निर्धारित नहीं** किया गया है।

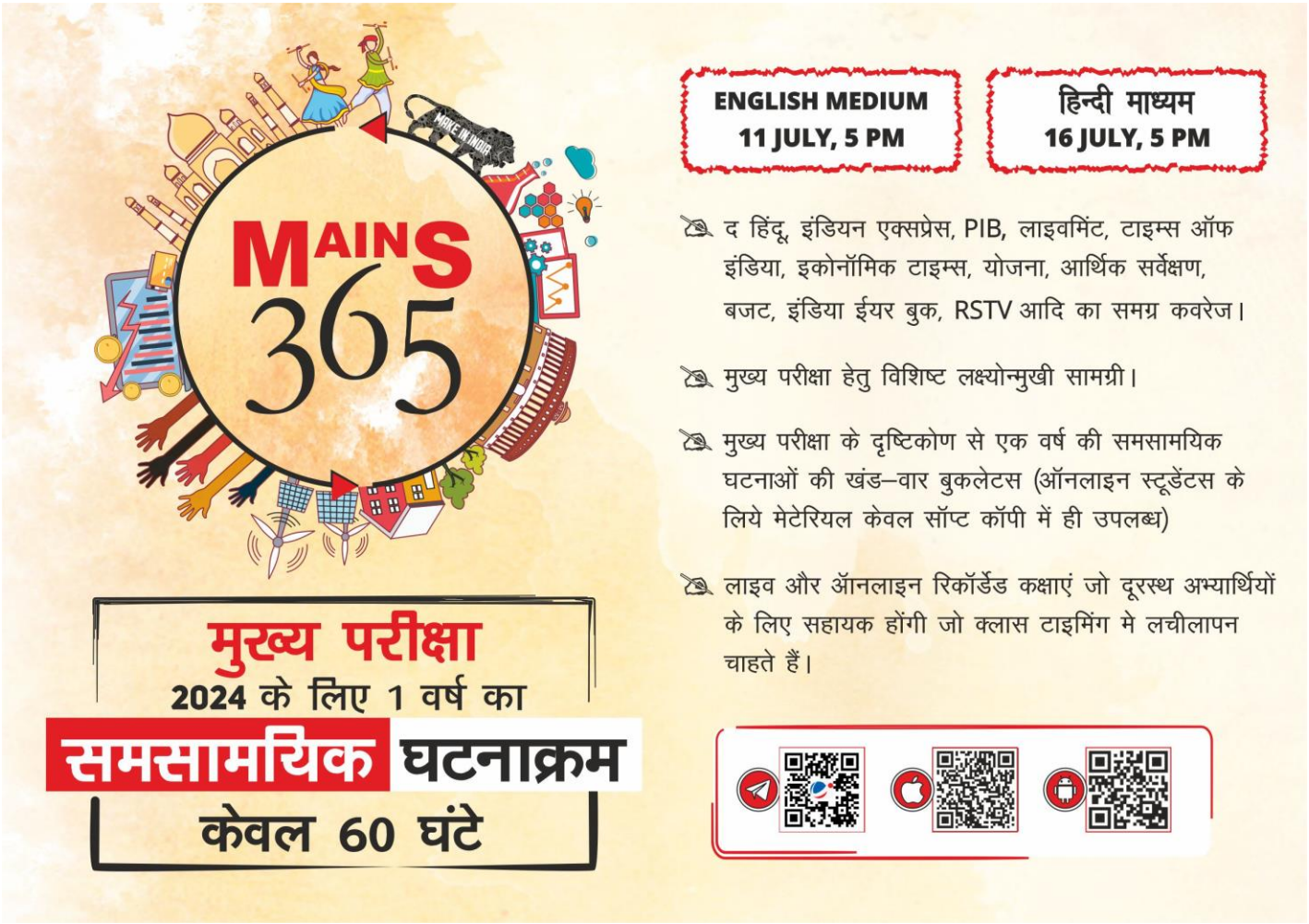

[45] Record of Processing Activities

6.5. सेंसरशिप: एक नज़र में (Censorship in India at Glance)

सेंसरशिप

सेंसरशिप का तात्पर्य ऐसी **किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के आधिकारिक निषेध या प्रतिबंध** से है जिसे राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक व्यवस्था के समक्ष खतरा माना जाता है। इसमें फिल्म, पुस्तकें, टेलीविजन शो आदि को शामिल किया जा सकता है।

औपनिवेशिक शासन के दौरान सेंसरशिप

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878; समाचार-पत्र (अपराधों के लिए उकसाना) अधिनियम, 1908; वर्ष 1910 के प्रेस अधिनियम जैसे कानूनों के जरिए विद्रोह की किसी भी भावना का दमन करने और राष्ट्रीय आंदोलन को बाधित करने के लिए सेंसरशिप का प्रयोग किया जाता था।

मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने वाला वर्तमान फ्रेमवर्क

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम:** ये नियम डिजिटल मीडिया जैसे- सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स आदि पर प्रसारित सामग्री को विनियमित करते हैं।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CFBC):** फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI):** समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों के अनुपालन एवं उनमें सुधारों को लागू करता है।
- **मीडिया सामग्री को विनियमित करने वाले अन्य प्रावधान:** लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 आदि।

समाज और संपूर्ण देश के लिए सेंसरशिप की आवश्यकता क्यों?

राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु।	साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर के **व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु।**	**फेक न्यूज के प्रसार को सीमित करने हेतु।**	हेट स्पीच को नियंत्रित करके **धार्मिक और जातीय हिंसा को रोकने** हेतु।	अश्लील या हिंसक सामग्री जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक प्रदर्शनों के संपर्क में आने से **बच्चों की रक्षा** हेतु।	साझा मूल्यों के अनादर को प्रतिबंधित करते हुए सामाजिक एकजुटता में वृद्धि करने हेतु, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के जलाने पर निषेध।

सेंसरशिप से संबंधित प्रचलित मुद्दे

लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि यह असहमति को हतोत्साहित कर सकता है।	नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता से वंचित करता है।	रचनात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता को सीमित करता है।	भारतीय सिनेमा/ टेलीविजन उद्योग के विकास को बाधित कर सकता है और नागरिकों के चयन के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।	सुभेद्य वर्गों के मुद्दों का दमन कर सकता है।	प्रगतिशील और नए विचारों के प्रति असहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा दे सकता है।

आगे की राह

- नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करके **स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना** चाहिए।
- सामग्री से जुड़ी चेतावनियों को जारी करने जैसे क़दमों के माध्यम से **नागरिकों को सामग्री चुनने और उपयोग करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए।**
- मीडिया में **व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना** और सभी मीडिया कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए।
- **सेंसर के संबंध में** राज्य की शक्तियों को **यथोचित रूप से सीमित करना चाहिए।**
- केवल उद्देश्यपरक मानकों के आधार पर वास्तविक हानि को रोकने के लिए ही **फ्री स्पीच (वाक्/ अभिव्यक्ति) की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित** करना चाहिए।

 © Vision IAS

6.5.1. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 {Cinematograph (Amendment) Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद के दोनों सदनों ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रावधान** करता है। इस अधिनियम को **सिनेमैटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमैटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों को विनियमित** करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था।
  - 1952 के अधिनियम में फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने के लिए **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)**[46] के गठन का प्रावधान किया गया था।
    - CBFC द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र कंटेंट के अनुसार संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं।
    - यह बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक भी लगा सकता है।

संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान

विशेषताएं	विवरण
आयु-आधारित प्रमाण-पत्र	• यह विधेयक **'UA' श्रेणी के तहत तीन आयु-आधारित प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण-पत्र **'UA 7+', 'UA 13+'** और **'UA 16+'** हैं। • ये आयु-आधारित मानक माता-पिता या अभिभावकों के लिए बनाए गए हैं। इनके माध्यम से वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए अथवा नहीं। • ये **केवल अनुशंसात्मक** हैं।
टेलीविजन/ अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण-पत्र	• **'A'** या **'S' प्रमाण-पत्र** वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए **एक अलग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।**
ये प्रमाण-पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे	• ये प्रमाण-पत्र **10 वर्ष की वर्तमान वैधता** के विपरीत **हमेशा के लिए वैध** होंगे।
केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां	• यह विधेयक **भारत संघ बनाम के. एम. शंकरप्पा वाद, 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6(1) को निरस्त करता है।** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि केंद्र, CBFC द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों पर पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।
फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना	• यह विधेयक फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही, इसे **कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध** बनाता है।
दंड	• यह विधेयक नियमों के **उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई** का प्रावधान करता है।

निष्कर्ष

यह विधेयक फिल्म उद्योग के समक्ष आने वाली मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही, यह नई प्रमाणन श्रेणियों द्वारा कंटेंट को विनियमित करता है। वर्तमान समय में दर्शकों के **ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स** की ओर झुकाव में वृद्धि को देखते हुए, **समाज एवं इस उद्योग की बेहतरी के लिए इनका अभी से ही विनियमन करना आवश्यक है।**

6.5.2. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 {The Cinematograph (Certification) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं। नए नियम **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983** की जगह पर लाए गए हैं।

[46] Central Board of Film Certification

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **पदावधि:** CBFC के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** CBFC में **महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व** दिया गया है। अब बोर्ड में **एक-तिहाई सदस्य महिलाएं** होंगी। यह प्रयास किया जाएगा कि **बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं** हों।
- **बेहतर दक्षता:** प्रमाणन की दक्षता में **निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जा सकता है:**
  - फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके, और
  - पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर सभी लेन-देन में लगने वाले समय को खत्म करके। यह फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को **डिजिटल युग के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक** बनाएगा।
- **प्रायोरिटी के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान:** कई बार फिल्म निर्माताओं फिल्म के रिलीज होने की घोषणा CBFC की मंजूरी से पहले ही कर देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी के आधार पर CBFC की ओर से स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जा रहा है। इससे **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस'** को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **टेलीविजन के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव:** किसी फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना होगा और एडिटेड फिल्म के लिए फिर से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि केवल **"गैर-निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी[47]"** की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।
- **प्रमाण-पत्रों की स्थायी वैधता:** पहले फिल्म प्रमाणन **10 वर्षों** के लिए वैध होता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि फिल्म प्रमाणन की वैधता **अनिश्चित काल** के लिए होगी।

फ़िल्म प्रमाणन की श्रेणियां

श्रेणी	प्रमाणित दर्शक
U	सबके लिए और बिना किसी प्रतिबंध के
आयु-आधारित तीन श्रेणियों में UA श्रेणी: • सात वर्ष (UA 7+) • तेरह वर्ष (UA 13+) • बारह वर्ष की बजाय, सोलह वर्ष (UA 16+)	बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन में देख सकते हैं
A	केवल वयस्क (18 या अधिक आयु) के लिए
S	केवल किसी पेशेवर या किसी वर्ग के सदस्यों के लिए

भारत में फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं:

- **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म:** CBFC के पास **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।**
- **सेंसरशिप और कंटेंट प्रतिबंध:** अत्यधिक सेंसरशिप संभावित रूप से कलात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकती है।
- **प्रमाणन में देरी:** CBFC के समक्ष प्रमाणन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली फिल्मों की संख्या अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप, समय पर और कुशल तरीके से फिल्मों को प्रमाणित करने को लेकर CBFC की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की जाती है।
- **ऑनलाइन पायरेसी से निपटने में विफल:** देश में फिल्म प्रमाणन **ऑनलाइन पायरेसी की जटिलताओं** को दूर करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, **मिररिंग सर्वर** जैसी कमियां/ खामियां रह जाती हैं।
  - यह विदेशों में होने वाली **फिल्म पायरेसी की घटनाओं** का समाधान नहीं करता है।
- **कानूनी चुनौतियां:** अदालत में कई बार प्रमाणन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। हाल ही में, 'आदिपुरुष' नामक फिल्म के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस फिल्म पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

सिनेमैटोग्राफ से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **एस. रंगराजन आदि बनाम पी. जगजीवन राम वाद, (1989):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई फिल्म आपत्तिजनक नहीं है तथा उसे अनुच्छेद 19(2) के तहत संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, तो प्रदर्शन, जुलूस या हिंसा की धमकियों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता है।

[47] Unrestricted Public Exhibition category

निष्कर्ष

हालांकि, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 में प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित संचालन और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व करना एक सकारात्मक कदम है, फिर भी सेंसरशिप, कंटेंट पर नियंत्रण आदि को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

6.5.3. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (Digital Services Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) यूरोपीय संघ (EU) में यूजर्स को सेवा देने वाले सभी ऑनलाइन मध्यवर्तियों पर लागू हो गया है।

डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के बारे में

- DSA, यूरोपीय संघ का एक विनियमन है, जो **ऑनलाइन मध्यवर्तियों और प्लेटफॉर्म्स** जैसे कि मार्केटप्लेस, सोशल नेटवर्क, कंटेंट-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म, ऐप स्टोर आदि को विनियमित करता है।
- 2020 में, DSA और डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया था।
    - **डिजिटल मार्केट एक्ट** के चलते गूगल, अमेज़ॅन और मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि यह **लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रॉसेसिंग से पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है।**
- DSA और DMA नियमों के एकल सेट हैं, जो निम्नलिखित **दो मुख्य लक्ष्यों के साथ संपूर्ण EU पर लागू होते हैं:**
    - **एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस सृजित करना,** जिसमें डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी यूजर्स के मौलिक अधिकार सुरक्षित हों।
    - यूरोपीय एकल बाजार और विश्व स्तर पर **नवाचार, विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित** करना।

EU के DSA और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के बीच अंतर

प्रमुख प्रावधान	भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021	यूरोपीय संघ का DSA
विस्तार	भारत में **संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर लागू** होता है, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो।	DSA ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की **व्यापक श्रेणी पर लागू होता है।** इसमें यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल हैं, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो।
कंटेंट का विनियमन	इन नियमों के तहत **सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होता है।** साथ ही, उपयोगकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है।	**DSA** कंटेंट विनियमन उपायों, पारदर्शिता दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए **अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित करता है।**

नोट: दोनों विनियम, नियमों के पालन की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तार्किक आवश्यकताओं, कंटेंट के विनियमन तथा एक सह-विनियामकीय दृष्टिकोण के मामले में समान हैं।

ड्यू डिलिजेंस वस्तुतः उचित निर्णय लेने से पहले जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया या प्रयास है।

निष्कर्ष

समग्र रूप से, DSA एक अधिक व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क है, जो डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि, दोनों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कैसे कार्यान्वित और लागू किया जाता है।

6.6. भारत में एनवायर्नमेंटल गवर्नेंस (Environmental Governance in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **पर्यावरणीय विनियामकीय निकायों के प्रभावी काम-काज के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)[48] के काम-काज और गठन के संबंध में एक याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- सुप्रीम कोर्ट ने CEC को **स्थायी निकाय के रूप में गठित** करने से जुड़ी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
  - ज्ञातव्य है कि सरकार ने CEC को एक **स्थायी निकाय** के रूप में स्थापित करने के लिए **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986** के तहत एक अधिसूचना जारी की थी।
- इससे पहले लगभग दो दशकों की अवधि तक, **CEC एक तदर्थ निकाय के रूप** में कार्य कर रही थी।

महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विनियामक निकाय और उनकी भूमिका

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs):** आरंभ में इनका गठन **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था, परन्तु बाद में ये **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अधीन भी कार्य करने लगे।
  - इनका कार्य जल धाराओं और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार करना एवं वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** यह **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है। इसका काम वन्यजीवों और वनों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देना है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA):** इसका उद्देश्य गैर-वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित **वन भूमि के प्रतिपूरक के एक तरीके के रूप में वनरोपण और पुनरुद्धार गतिविधियों** को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** इसका गठन **2010 में NGT अधिनियम, 2010** के तहत किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए गठित किया गया था।
- **राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण:** यह ऐसे मामलों को देखता है, जिनमें कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- **केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA):** इसका गठन **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986** के तहत भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है।
- **राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण:** इसका कार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, कुछ परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना है।

आगे की राह

- **सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश:** पर्यावरणीय कानूनों के शासन संबंधी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, **विनियामक निकायों को निम्नलिखित संस्थागत विशेषताओं के साथ कार्य करना चाहिए:**
  - **संरचना:** इन निकायों के सदस्यों की सदस्यता, संरचना, योग्यताएं, कार्यकाल, नियुक्ति की विधि और पदमुक्ति से संबंधित प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए।
  - **वित्त-पोषण:** इन्हें पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान किया जाना चाहिए और **उनका वित्त निश्चित व स्पष्ट** होना चाहिए।
  - **स्पष्ट कार्य:** प्रत्येक प्राधिकरण और निकाय के कार्य एवं भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए।

[48] Central Empowered Committee

- **पहुंच:** इनके नियमों, विनियमों व दिशा-निर्देशों को क्षेत्रीय भाषाओं सहित वेबसाइट पर उपलब्ध कराकर सुलभ बनाया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही:** इन प्राधिकरणों के **काम-काज का नियमित और व्यवस्थित लेखा-परीक्षण** होना चाहिए।

6.6.1. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह टिप्पणी की है, कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को संविधान के **अनुच्छेद 14 और 21** के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने **एम.के. रणजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद** में अपना फैसला सुनाते हुए उपर्युक्त टिप्पणी की है। गौरतलब है कि इस वाद में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास के संरक्षण** के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी।
- यह पहला मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए संविधान के तहत मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आदि) के दायरों का विस्तार** करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है।

"जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार" को लागू करने में चुनौतियां

- **न्याय मिलने में देरी:** अत्यधिक बोझ तले दबी हमारी न्यायिक प्रणाली पर **पर्यावरणीय विवादों से जुड़े मामलों का बोझ और बढ़ जाएगा।** ऐसे में पर्यावरणीय विवादों और मामलों को सुलझाने में भी देरी हो सकती है, जिससे इन अधिकारों को लागू करना और उन्हें अमल में लाने का कार्य प्रभावित हो सकता है।
- **प्रदूषणकर्ता की पहचान करने में कठिनाई:** प्रदूषण के लिए कोई एक व्यक्ति या कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है, इसके लिए कई गतिविधियों की एक श्रृंखला को जिम्मेदार माना जाता है। इससे प्रदूषण के स्रोत की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **विकासात्मक कार्य और पर्यावरणीय कानून में टकराव:** प्रायः पहले से निर्मित हो चुकी अवसंरचना परियोजनाओं के खिलाफ ही पर्यावरणीय कानून और न्यायिक निर्णयों का टकराव देखने को मिलता है।

- **पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने और उनका समाधान करने में कठिनाई:** स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण विकासात्मक परियोजनाओं एवं उद्योग से संबंधित जोखिमों की पहचान करने में कठिनाई आती है।
- **कमजोर निगरानी:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)[49] जैसे विनियामक निकायों के पास नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है। हालांकि, उन्हें अपने निगरानी कार्यों के लिए अपर्याप्त धन, आधुनिक उपकरणों और आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी आदि से जूझना पड़ता है।

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त **वातावरण का अधिकार** अनुच्छेद 21 में निहित है। कोर्ट ने कहा कि रोग और संक्रमण से मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक हिस्सा है, और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- **रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, (1988):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार** को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- **वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **"एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)"** और **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter Pays Principle)"** वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएं हैं।

आगे की राह

- **प्रभावी तरीके से लागू करना:** सरकार पर्यावरणीय अधिकारों तथा इनसे संबंधित नियमों एवं दिशा-निर्देशों को ठीक से लागू करने में आने वाली बाधाओं और न्यायिक देरी की समस्या से निपटने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) जैसी संस्था बना सकती है।
- **वैश्विक स्तर पर कार्रवाई:** चूंकि पर्यावरण संबंधी चिंता अक्सर किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं होती, इसलिए पेरिस समझौते के तहत विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने पर बल दिया जाना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून:** जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं से निपटने और उसे दूर करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने **एम.के. रणजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद** में इसकी आवश्यकता पर भी बल दिया है।
- **संस्थागत क्षमता को मजबूत करना:** यह कार्य पर्यावरणीय मामलों से निपटने वाली संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करके और उनके क्षमता निर्माण में निवेश करके किया जा सकता है।
- **अधिकारों के बारे में जागरूकता: यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स** ने अपने कई फैसलों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ आम जन की ओर से कानूनी मुकदमों का समर्थन किया है। ऐसे उदाहरण विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा कर सकते हैं।

6.7. भारत में मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक विधान सभा ने राज्य के मंदिरों को विनियमित करने के उद्देश्य से **कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) (HRI&CEA)[50] विधेयक, 2024** पारित किया है।

मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

- **अनुच्छेद 25(1):** यह अनुच्छेद **धार्मिक स्वतंत्रता** प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 25(2):** यह अनुच्छेद **कुछ धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप** को वैधता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धार्मिक आचरण से जुड़े क्रियाकलापों के विनियमन के लिए कानून बना सकता है या धार्मिक संस्थानों को विनियमित कर सकता है।

[49] State Pollution Control Boards
[50] Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill

- **अनुच्छेद 26:** यह अनुच्छेद **धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान** करता है। हालांकि, ये धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जा सकते हैं।
- **अनुसूची VII के तहत सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28:** यह प्रविष्टि संघ और राज्य विधान-मंडल, दोनों को **"धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती[51] तथा धार्मिक संस्थाओं"** पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
- **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE)[52]:** देश में अलग-अलग राज्यों ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिए विधायी एवं विनियामकीय फ्रेमवर्क्स लागू किए हैं।
- **हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग (1960):** इस आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

मंदिरों पर राज्य (यानी सरकार) का नियंत्रण: पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• **सामाजिक सुधार:** राज्य ने विनियमन के जरिए सार्वजनिक मंदिरों को अधिक समावेशी बनाकर और मंदिरों की प्रथाओं के संचालन में भेदभाव को समाप्त करके वंशानुगत पुरोहितवाद को चुनौती दी है। • **वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व:** उदाहरण के लिए- तमिलनाडु ने HRI&CEA अधिनियम के तहत मंदिर के न्यासी बोर्ड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाया है। • **कुशल मंदिर प्रबंधन:** धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम मंदिर की संपत्ति के सुव्यवस्थित प्रशासन और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि मंदिर की संपत्ति या फंड्स का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाए। • **सामुदायिक कल्याण:** राज्य अपनी निगरानी से यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर के धन का उपयोग स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाने वाली सामुदायिक कल्याण संबंधी गतिविधियों में किया जाए।	• **पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन:** राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जबकि यह सिद्धांत राज्य को धार्मिक मामलों से अलग करता है। • **ऑपरेशनल स्वायत्तता में कमी:** उदाहरण के लिए- चिदंबरम मामले (2014) में, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की पारंपरिक स्वायत्तता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए दीक्षितरों (पुजारी समुदाय) को ही मंदिर का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी। • **सांस्कृतिक पूंजी की हानि:** संरक्षण हेतु निम्नस्तरीय प्रयासों के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि 2017 में यूनेस्को के फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने ऐसे नुकसान को सार्वजनिक तौर पर उजागर किया था। मिशन ने प्राप्त साक्ष्यों को मद्रास हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर उन्हें सार्वजनिक किया था। • **पर्यटन की संभावनाओं को नुकसान:** मंदिर को मिलने वाले फंड्स का उपयोग राज्य द्वारा अन्य गतिविधियों में भी किया जाता है। इससे मंदिर की अवसंरचना में निवेश करने के लिए वित्त अपर्याप्त रह जाता है। • **आदिवासी और देशज समुदाय:** राज्य का नियंत्रण होने पर राज्य आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों के विशिष्ट/ अनूठे रीति-रिवाजों और परंपराओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है।

मंदिरों से जुड़े न्यायिक निर्णय

- **केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर वाद, (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों पर पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार को **शेबैतशिप (Shebaitship) अधिकार (मंदिर के प्रबंधन का अधिकार)** प्रदान किया था।
- **शेषम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **किसी मंदिर में अर्चक (पुजारी) की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य** है तथा इन पुजारियों (अर्चकों) द्वारा किए जाने वाले केवल धार्मिक अनुष्ठान ही धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं।

[51] Charitable and religious endowments
[52] Hindu Religious & Charitable Endowments

आगे की राह

- **धार्मिक और प्रशासनिक क्षेत्र (Domain) का पृथक्करण:** धार्मिक क्षेत्र और प्रशासनिक (लौकिक) क्षेत्र से संबंधित कार्यों में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए।
- **मंदिर नेटवर्क संरचना:** मंदिरों को उनके आकार के आधार पर **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जा सकता है। मंदिरों को **हब एंड स्पोक मॉडल** के आधार पर समूहबद्ध किया जा सकता है। इसके तहत बड़े और प्रशासनिक रूप से मजबूत मंदिर क्षेत्र में स्थित छोटे मंदिरों को समर्थन प्रदान करते हैं।
- **सुशासन के सिद्धांत:** मंदिरों के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए **राज्य-स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड** का गठन किया जा सकता है। इस बोर्ड में राज्य स्तर के अधिकारी ही शामिल होने चाहिए। इस बोर्ड को **मंदिर प्रबंधन समिति (TMC) और मंदिर स्तरीय ट्रस्ट** (जिसमें पुजारी, स्थानीय लोग आदि शामिल हों) द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
  - **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1991** में एक मंदिर प्रशासन बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV):** मंदिरों के विकास के लिए **मंदिर विकास और संवर्धन निगम (TDPC)** का गठन किया जा सकता है। इसके द्वारा सभी मंदिरों के पर्यटन, मंदिरों की नेटवर्किंग, अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित विकास कार्य किए जा सकते हैं।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन:** भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु **केरल में देवस्वओम** (भगवान की संपत्ति) की अवधारणा एक आदर्श मॉडल है।

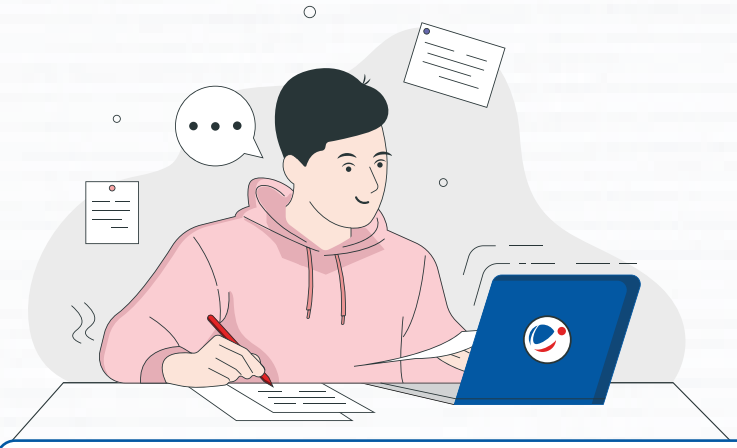

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

7. स्थानीय स्वशासन (Local Governance)

7.1. भारत में अर्बन गवर्नेंस (Urban Governance in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बेंगलुरु स्थित एक गैर-सरकारी संस्था जानागढ़ द्वारा 'भारत की शहरी-व्यवस्थाओं का वार्षिक सर्वेक्षण[53]'** किया गया। इससे पता चलता है कि भारत का अर्बन गवर्नेंस तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के प्रभावों के लिए तैयार नहीं है।

भारत में अर्बन गवर्नेंस को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- **बढ़ती शहरी आबादी:** 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 31% शहरी आबादी है। ऐसा अनुमान है कि यह आंकड़ा 2050 तक 50% से अधिक हो जाएगा।
- **आधुनिक स्थानिक नियोजन का अभाव:** भारत में कम से कम 39% राजधानी शहरों में सक्रिय स्थानिक योजनाएं नहीं हैं।
- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन का अभाव:** उदाहरण के लिए- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधान राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि इसमें राज्य के लिए कुछ प्रावधान को 'लागू करना होगा (Shall)' के बजाय 'लागू कर सकते हैं (May)' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे राज्य सरकारों के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति उपयोग करने की गुंजाइश बची रह जाती है।
- **जवाबदेही का अभाव:** उदाहरण के लिए- राजकोट के गेम जोन में लगी आग की घटना पर SIT रिपोर्ट ने शहरी नियोजन, अग्निशमन विभागों और अन्य अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर किया है, जिन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता की अनदेखी की थी।
- **नगरपालिका के पास कम बजट:** RBI द्वारा किए गए शहरी स्थानीय निकायों के वित्त-पोषण के विश्लेषण के अनुसार, भारतीय नगर निगमों का अपना राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है, जो ब्राजील के 7% और दक्षिण अफ्रीका के 6% से काफी कम है ।

आगे की राह

- **शहरों के भविष्य को सुरक्षित करना:** भारत के शहरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 4Es- आर्थिक विकास (**E**conomic growth), पर्यावरणीय संधारणीयता (**E**nvironmental sustainability), अवसरों और सेवाओं तक समान पहुंच (**E**quitable access to opportunities and services) और लोकतांत्रिक सहभागिता (Democratic **E**ngagement) के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

[53] Annual Survey of India's City-Systems

- **विकेंद्रीकृत नियोजन:** सामाजिक-आर्थिक प्लानिंग हेतु नियोजन की प्रक्रिया में हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में केरल के पीपुल्स प्लान जैसे मॉडल को लागू करना चाहिए।
- **डिजिटल वित्तीय प्रबंधन:** शहरी प्रशासन द्वारा निधि के उपयोग को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- **वित्त-पोषण के वैकल्पिक स्रोत:** नगरपालिका बॉण्ड्स, पूल्ड फाइनेंसिंग (उदाहरण के लिए- तमिलनाडु ने वाटर एंड सेनिटेशन पूल्ड फंड के माध्यम से 14 नगरपालिकाओं की ओर से बॉण्ड्स जारी किए थे)।
- **लेखांकन और लेखा परीक्षा:** राज्य सरकार को राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा मैनुअल (NMAM) में प्रदान की गई ULBs के लिए लेखांकन प्रणाली को अपनाया चाहिए।
- **उच्च-स्तरीय परिषद:** 74वें संविधान संशोधन अधिनियम आवश्यक प्रासंगिक सुधार पर आम सहमति बनाने के लिए GST परिषद की तरह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक उच्च-स्तरीय परिषद का गठन करना चाहिए।
- **इंदौर मॉडल:** इंदौर नगर निगम की पद्धतियों को अपनाना चाहिए, जिसमें शैक्षणिक केंद्र, अस्पताल, डिस्पेंसरी और आवास का निर्माण और रखरखाव शामिल है।
    - महापौर और नगर पार्षदों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच बनाया जाना चाहिए, जहां वे एक दूसरे से बेहतर चीजों को सीखकर अपने-अपने क्षेत्रों में उसे लागू कर सकें।

7.1.1. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {Capacity Building of Urban Local Bodies (ULBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्षमता निर्माण आयोग (CBC)[54] ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में **ULBs की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना** है।

ULBS के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों?

- बॉटम-अप दृष्टिकोण या योजना निर्माण के जरिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं अर्थात् आर्थिक एवं सामाजिक विकास को पूरा करने के लिए।
- भारत के शहरी केंद्र देश के लिए **'विकास के इंजन'** के रूप कार्य करते हैं और देश की आर्थिक संवृद्धि में लगभग **दो-तिहाई** योगदान करते हैं।
- स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन आदि **योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए।**
- ULBS के योजना निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं और संस्थागत भूमिकाओं व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए ताकि वे स्थानीय और क्षेत्रीय **योजनाओं को सार्थक रूप** दे सकें।

नगर पालिकाओं की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए पहल

- **15वां वित्त आयोग (FC-XV):** 2021-26 के लिए स्थानीय सरकारों को अनुदान के रूप में ₹4.36 लाख करोड़ की सिफारिश की गई, जो स्थानीय निकायों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है।
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स वित्तपोषण:** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
- **नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग:** स्मार्ट सिटी और अमृत कार्यक्रमों के सुधार एजेंडे में शामिल।

शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण से जुड़ी चुनौतियां

- **उपयुक्त कौशल वाले कर्मचारियों की कमी: इनमें विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन, संधारणीय शहरी नियोजन,** वित्तीय प्रबंधन और ई-गवर्नेंस जैसे क्षेत्रकों से संबंधित कौशल शामिल हैं।
- **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: राज्यों के प्रशिक्षण संस्थान** शहरी प्रशासन के बजाय **सामान्य और ग्रामीण प्रशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।**
- **संगठनात्मक विकास संबंधी रणनीति का अभाव:** औपचारिक संरचनाओं, व्यापक कैडर एवं कैडर संबंधी नियमों, कार्य संबंधी विवरण, वेतनमान, नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग आदि का अभाव है।
- निजी क्षेत्रक और नागरिक समाज के साथ **संचार के प्रभावी चैनल की उपस्थिति नहीं है।**
- **आंशिक हस्तांतरण:** उदाहरण के लिए- अनुदान जारी करने में देरी; निधियों के अपर्याप्त हस्तांतरण; कर दरों के संशोधन और भू-जोतों के मूल्यांकन में देरी के कारण बिहार के ULBs की वित्तीय स्थिति खराब है।

[54] Capacity Building Commission

ULBs के क्षमता निर्माण हेतु किए गए उपाय

- **शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण योजना (CBULB)[55]:** इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण के जरिए शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत करना है।
- **"शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण" (CBUD)[56] परियोजना:** यह **विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है। इसका उद्देश्य चुनिंदा ULBs का क्षमता निर्माण करना है, जो आर्थिक संवृद्धि के केंद्र हैं।**
- **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन:** MoHUA ने 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी। यह भारत के **शहरी स्थानीय निकायों** में नागरिक-केंद्रित **डिजिटल क्रांति** लाने पर आधारित है।
- **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM):** शहरी अवसंरचना के विकास और गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करना तथा शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना।
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds):** ये **भारत में नगर निगमों और अन्य संबद्ध निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स)** होते हैं।

आगे की राह

- **पेशेवरों की दक्षता में वृद्धि:** नगरपालिका विभागों में एक मजबूत और दक्ष कार्यबल के निर्माण हेतु कैडर प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और इन्हें विशेष कार्यों हेतु **विशिष्ट प्रशिक्षण** भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसका एक उदाहरण है- इंजीनियरिंग विभाग।
- **केंद्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए एक अलग प्रभाग या प्रकोष्ठ का निर्माण:** ये मांग सृजन, आपूर्ति पक्ष को बढ़ाने, संस्थानों और शहरों के बीच संबंधों को मजबूत करने आदि संबंधी पहलुओं पर गौर करेंगे।
- **प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना:** अपेक्षाकृत कम शहरीकरण दर वाले राज्यों को मौजूदा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) में एक शहरी प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **साझेदारी के जरिये क्षमता निर्माण:** उदाहरण के लिए- निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण जैसे चुनिंदा कार्यों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना। इन प्रतिनिधियों को विशेषकर मलिन बस्ती पुनर्वास, शहरी गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

7.2. पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति {Finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **"पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति"** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में **2020-21 से 2022-23** के लिए PRIs की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई है।

[55] Capacity Building Scheme for Urban Local Bodies
[56] Capacity Building for Urban Development

PRIs के लिए वित्त के स्रोत	
राजस्व के आंतरिक/ स्वयं के स्रोत	• **कर राजस्व:** भूमि (कृषि भूमि के अलावा) या भवन अथवा दोनों पर सम्पत्ति कर, निजी शौचालयों पर कर, प्रकाश कर, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय या वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर, आदि। • **गैर-कर राजस्व:** पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर, पंचायत क्षेत्र में पशुओं के विक्रय के पंजीकरण पर शुल्क आदि।
केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से धन का अंतरण	• **शर्तों के तहत दिया गया अनुदान:** स्वच्छता, शिक्षा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों या क्षेत्रों के लिए निर्धारित। • **गैर-शर्त अनुदान (सामान्य प्रयोजन अनुदान):** ये **अनुदान विशिष्ट शर्तों या प्रतिबंधों** के बिना दिए जाते हैं। इनका उपयोग **स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं** के लिए किया जा सकता है। • **प्रदर्शन-आधारित अनुदान: केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों और विशिष्ट प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर PRIs को अतिरिक्त धनराशि** दी जाती है। • **विशेष श्रेणी अनुदान:** ये अनुदान **अतिरिक्त वित्तीय सहायता** के तौर पर दिए जाते हैं। ये अनुदान विशिष्ट क्षेत्रों या संदर्भों में **PRIs की अनूठी चुनौतियों या विशेष जरूरतों का समाधान** करने के लिए दिए जाते हैं।
अन्य स्रोत	• मनरेगा, **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत **केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अंतरित निधि।** • विश्व बैंक जैसे **अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दिए जाने वाले अनुदान।**

PRIs के वित्त से जुड़ी चुनौतियां

- **संरचनात्मक चुनौतियां:** PRIs के लिए **आवंटित वित्तीय संसाधन अपर्याप्त** हैं। ये वित्तीय संसाधनों के लिए **राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर** हैं। इसके अलावा, खराब अवसंरचना PRIs के कामकाज में बाधा डालती है।
  - PRIs के **राजस्व का लगभग 95% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान** के रूप में मिलता है।
- **डेटा में असंगति:** PRIs की **राजव्य और व्यय पर डेटा की कमी** है तथा मानकीकृत प्रारूपों में डेटा बनाए रखने के लिए **कुशल कर्मचारियों का भी अभाव** है। इसके कारण PRIs के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करना काफी कठिन कार्य है।
  - गौरतलब है कि **2019-20 के लिए केवल 46% ग्राम पंचायतों की ही लेखा-परीक्षा रिपोर्ट्स तैयार** की गई थी।
- **स्वयं के राजस्व के सीमित स्रोत:** पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत सीमित हैं। इनमें मुख्य रूप से **संपत्ति कर, शुल्क, जुर्माना** आदि शामिल हैं।
- **भ्रष्टाचार:** उदाहरण के लिए- विजयवाड़ा में पंचायत निकाय और उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ग्राम पंचायत खाते से 1.58 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे।
- **राज्य वित्त आयोग (SFC)[57]:** ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 9 राज्य नियमित रूप से SFCs का गठन कर रहे हैं, और इनमें से भी **केवल दो ही सक्रिय** हैं।

PRIs की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए लागू की गई पहलें

- **ई-ग्राम स्वराज:** यह एक पोर्टल है। इसे **पंचायतों की विश्वसनीयता बढ़ाने** में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह PRIs के लिए धन के अधिक अंतरण में मदद करता है।
- **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP):** इसके अंतर्गत **जन योजना अभियान** के तहत सभी की भागीदारी से **ग्राम पंचायत विकास योजनाएं** तैयार की जाती हैं।
- **क्षमता निर्माण-पंचायत सशक्तीकरण अभियान (CB-PSA):** इसके तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान** की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन सहित अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से व कुशलता से संपन्न करने में सक्षम हो सकें।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA):** इसका उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय गवर्नेंस के लिए PRIs की क्षमताओं को मजबूत** करना है। इससे वे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के संधारणीय समाधान को साकार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकती हैं।

[57] State Finance Commissions

आगे की राह

- **बजटीय सहायता:** केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा PRIs को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करने चाहिए।** इसके अलावा, PRIs के विविध वित्त-पोषण स्रोतों के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **जवाबदेही:** निधि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए **सख्त वित्तीय जवाबदेही उपाय** अपनाने चाहिए। साथ ही, **नियमित और स्वतंत्र लेखा-परीक्षा** की व्यवस्था करनी चाहिए तथा **पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित** करना चाहिए।
- **SFC को मजबूत करना:** SFC का गठन **प्रत्येक पांच वर्ष में** किया जाना चाहिए। इनकी रिपोर्ट्स नियमित रूप से राज्य विधायिका के समक्ष पेश की जानी चाहिए।

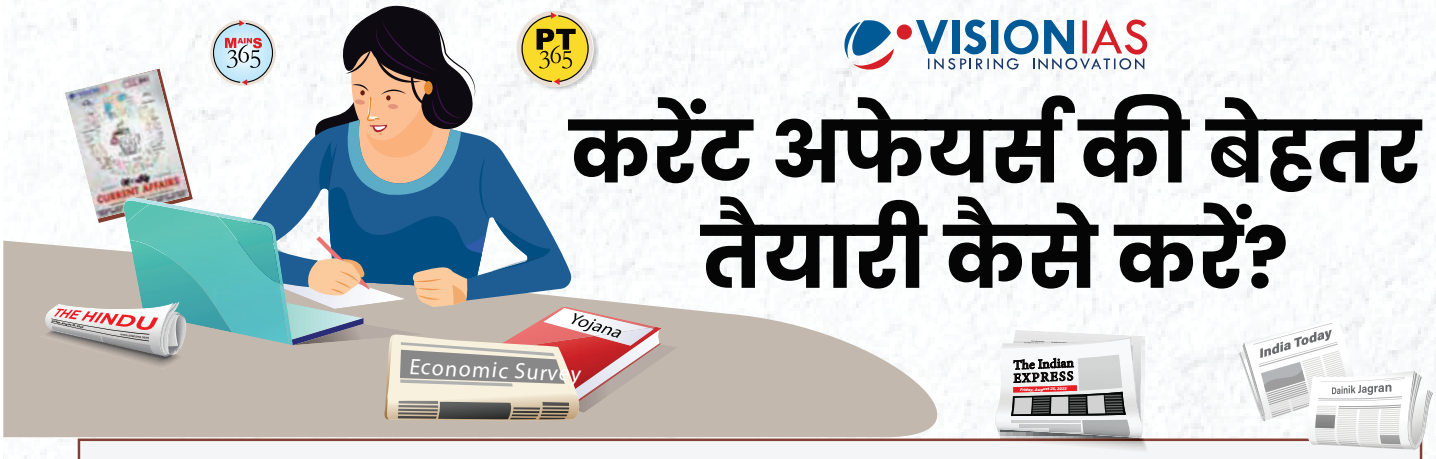

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

8. महत्वपूर्ण अधिनियम एवं विधान (Important Acts and Legislations)

8.1. नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, 2023 [Nari Shakti Vandan {Constitution (106th Amendment)} Act, 2023]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित **नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संशोधन)} विधेयक, 2023** को अपनी मंजूरी प्रदान की।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A को जोड़ा गया है: इसमें लोक सभा, राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान** करना है।
    - इसमें अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण भी शामिल है।
- **अनुच्छेद 239AA: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं (अनुसूचित जाति सहित) को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान** करना है।
- **संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है:**
    - **अनुच्छेद 334A:** महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो **पहली जनगणना आयोजित होगी, उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद** लागू होगा।
        - महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का **आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन** के बाद किया जाएगा।
        - इस अधिनियम के उपबंध **मौजूदा विधान सभाओं और लोक सभा के विघटन तक किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे।**

विधायिका में महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- **विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व:** 18वीं लोक सभा के लिए 74 महिला सांसद चुनी गई हैं। यह 2019 की तुलना में (78 महिला सांसद) थोड़ा कम है।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील लोक नीतियां तैयार करना:** श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना आवश्यक है।
- **स्थानीय स्तर पर आरक्षण से लाभ: ऑक्सफैम इंडिया** द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने से कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार देखे गए हैं। उदाहरण के लिए- उनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों को दर्ज कराने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही पेयजल, स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में भी सुधार हुआ है।
- **राजनीतिक दलों की पुरुष सत्तात्मक प्रकृति।**

इस अधिनियम को लेकर प्रकट की गई चिंताएं

- **समानता के खिलाफ:** आरक्षण का विचार संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सीट आरक्षित होने पर महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी।
- **मतदाता के चयन करने के अधिकार पर प्रभाव:** विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण मतदाता के चयन करने के अधिकार को सीमित करता है। साथ ही, यह आत्मनिर्णय के सिद्धांत के भी विपरीत है।

- **गैर-सजातीय समूह:** महिलाएं एक जातीय समूह की तरह कोई सजातीय समुदाय नहीं हैं। इसलिए, जाति-आधारित आरक्षण के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं, वे महिलाओं के लिए नहीं दिए जा सकते हैं।
- **महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण पर कम प्रभाव:** चुनावी सुधारों के मार्ग में कुछ बड़ी बाधाएं विद्यमान हैं, जैसे- राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव इत्यादि। ये मुद्दे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **सीटों का रोटेशन:** इससे संसद/ राज्य विधान सभाओं के सदस्यों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव जीतने की अनिश्चितता के कारण अपने क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है।
- **राज्य सभा और राज्य की विधान परिषदों में आरक्षण नहीं:** इस अधिनियम में राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। **गीता मुखर्जी समिति (1996)** ने राज्य सभा और विधान परिषदों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी।

निष्कर्ष

वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, निर्धारित समय-सीमा के भीतर **जनगणना के डेटा** का प्रकाशन करना और संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत **परिसीमन करना** महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण प्रयासों के तहत स्थानीय स्तर पर **महिला नेताओं को प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करने** में नागरिक समाज तथा अन्य संस्थानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे प्रभावी और समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।

8.2. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के कई प्रावधान लागू हो गए हैं। **दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को प्रतिस्थापित** किया है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के लागू हुए प्रावधानों पर एक नज़र

- दूरसंचार, स्पेक्ट्रम, उपयोगकर्ता जैसी **विविध शब्दावलियों को परिभाषित** किया गया है। इससे अनिश्चितताएं कम होंगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। साथ ही, **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी बढ़ावा** मिलेगा।
- **राइट-ऑफ-वे (RoW) फ्रेमवर्क** में संशोधन किए गए हैं। दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों को "राइट-ऑफ-वे" प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही, "राइट-ऑफ-वे" प्रदान करने में सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया है।
  - **राइट-ऑफ-वे** का आशय **दूरसंचार अवसंरचना कंपनियों द्वारा** सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है।
- केंद्र सरकार दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क, सुरक्षा, वितरण और दूरसंचार उपकरणों की बिक्री के लिए **मानकों एवं नियमों के अनुसार होने के लिए मूल्यांकन उपायों को अधिसूचित** कर सकती है।
- उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान को भी लागू किया गया है। केंद्र सरकार **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय** कर सकती है। कोई यूजर विज्ञापन या इसी तरह के कोई अन्य मैसेज प्राप्त करना चाहता है या नहीं, इसके लिए यूजर्स से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसी तरह 'डू नॉट डिस्टर्ब' रजिस्टर तैयार किया जाएगा ताकि यूजर्स को अवांछित कॉल प्राप्त न हो।
- 1885 के अधिनियम के तहत स्थापित **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** का नाम बदलकर **डिजिटल भारत निधि** किया गया है। यह निधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। इस निधि के दायरे का विस्तार किया गया है।
  - इस निधि का **दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास और पायलट परियोजनाओं का समर्थन** करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

नए अधिनियम में किए गए मुख्य प्रावधान

मुख्य प्रावधान	दूरसंचार अधिनियम, 2023
स्पेक्ट्रम का आवंटन	• **स्पेक्ट्रम का आवंटन** नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, **कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित** किया जाएगा।
TRAI में नियुक्तियां	• यह अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ **पात्रता मानदंडों** को निर्धारित करने हेतु **TRAI अधिनियम में संशोधन** करता है: ○ **अध्यक्ष** के रूप में सेवा करने के लिए कम-से-कम **30 वर्ष का पेशेवर अनुभव** होना चाहिए, और ○ **सदस्यों** के रूप में सेवा करने के लिए कम-से-कम **25 वर्ष का पेशेवर अनुभव** होना चाहिए।
न्याय निर्णयन की प्रक्रिया (Adjudication process)	• सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक **न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति** की जाएगी। अधिकारी संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होगा। • न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर पदनामित **अपील समिति** के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकार के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में इस अपील समिति के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (TDSAT) के समक्ष की जा सकती है।
उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	• केंद्र सरकार **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय** कर सकती है। **उदाहरण के लिए-** विनिर्दिष्ट संदेश (Specified messages) प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति; 'डू नॉट डिस्टर्ब' रजिस्टर तैयार करना; उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना आदि।

अधिनियम से जुड़ी कुछ चिंताएं:

- **निजता संबंधी मुद्दे:** संदेशों पर पाबंदी और निगरानी की अनुमति देने संबंधी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके कारण डेटा लीक जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
  - इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं के लिए **बायोमेट्रिक सत्यापन** की आवश्यकता आनुपातिक नहीं हो सकती है। परिणामस्वरूप **निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन** हो सकता है।
- **परिभाषाओं में स्पष्टता का अभाव:** प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा काफी व्यापक है और इस कारण इनकी सहजता से व्याख्या की जा सकती है। इसकी वजह से इसके दायरे में व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं।
- **प्रत्यायोजित विधान (Delegated legislation):** सरकार केवल एक अधिसूचना के माध्यम से इस **अधिनियम की तीसरी अनुसूची में नए अपराधों को जोड़ सकती है, संशोधित कर सकती है या हटा** सकती है। हालांकि इस प्रावधान पर एक विचार यह भी है कि ऐसे बदलाव केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही होने चाहिए।

निष्कर्ष

यह अधिनियम दूरसंचार क्षेत्रक में मौजूद कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे- स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हुए मुद्दे आदि। दूरसंचार क्षेत्रक की स्थिति को और बेहतर बनाने एवं सेवा प्रदाताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु **बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाया** जाना चाहिए।

8.2.1. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स का विनियमन {Over-The-Top (OTT) Platforms Regulations}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने विभिन्न मध्यवर्तियों के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई करते हुए अभद्र एवं अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स (जैसे कि हंटर्स, रैबिट, प्राइम प्ले आदि) को ब्लॉक कर दिया है।

ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स के बारे में

- OTT को वस्तुतः सार्वजनिक इंटरनेट के माध्यम से डिलीवर और एक्सेस किया जाता है।
  - **OTT संचार सेवाएं** इंटरनेट के जरिए रियल टाइम में व्यक्ति से व्यक्ति को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका उदाहरण है- व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि।
  - **OTT एप्लिकेशन सेवाओं** में अन्य सभी OTT सेवाएं जैसे कि मीडिया सेवाएं, व्यापार और वाणिज्य सेवाएं, क्लाउड सर्विसेज, सोशल मीडिया शामिल हैं। उदाहरण के लिए- फेसबुक, अमेज़ॅन, नेटफ्लिक्स आदि।
- **OTT प्लेटफॉर्म्स का विनियमन:**
  - IT अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों तथा क्यूरेटेड ऑडियो-विजुअल कंटेंट (जैसे कि फिल्में, सीरीज और पॉडकास्ट) के विनियमन के लिए एक फ्रेमवर्क निर्धारित करते हैं।
  - हाल ही में, केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप जैसी OTT संचार सेवाएं दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नहीं आती हैं।
  - **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal: TDSAT)** ने माना है कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्राई/ TRAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की जरूरत क्यों हैं?

- **उपभोक्ता संरक्षण:** विनियमन मुख्यतः निजता, डेटा सुरक्षा और सब्सक्रिप्शन संबंधी पारदर्शी प्रणालियों के लिए मानक लागू करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण सुनिश्चित होता है।
- **कंटेंट का प्रसारण:** OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट में अक्सर नशीली दवाओं का उपयोग, हिंसा और अपमानजनक भाषा का स्पष्ट रूप से उपयोग होता है, जिससे सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का क्षरण हो सकता है।
- **राजस्व सृजन:** विनियमन से OTT प्लेटफॉर्म्स द्वारा अर्जित राजस्व की उचित रिपोर्टिंग और कराधान सुनिश्चित होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है।
- **सुरक्षा:** OTT संचार सेवाओं का आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। इस कारण भी इनका विनियमन करना आवश्यक है।
  - कभी-कभी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए अशांत क्षेत्रों में OTT ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है।
- **समान अवसर:** OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने से यह सुनिश्चित होता है कि कंटेंट विनियमन संबंधी सख्त नियमों का पालन करने वाले TV और सिनेमा जैसे पारंपरिक मीडिया को कोई नुकसान न पहुंचे। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

OTT प्लेटफॉर्म्स के विनियमन से जुड़ी चिंताएं

- **अत्यधिक विनियमन की संभावना:** अतिरिक्त विनियमन लागू करने से इस क्षेत्रक के विकास को गति देने वाली सहज पहलों और साझेदारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- **आर्थिक प्रभाव:** एक एकीकृत विनियामकीय फ्रेमवर्क से OTT के लिए लागत में वृद्धि और उपभोक्ता के लिए OTT सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, इससे संसाधनों के अन्य उद्देश्य हेतु अधिक उपयोग के कारण नवाचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **प्रवेश में बाधा:** कठोर विनियमन बाजार में नए OTT प्लेयर्स के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे OTT क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे:** ज्ञातव्य है कि OTT प्लेटफॉर्म्स विश्व स्तर पर काम करते हैं। इस प्रकार एक देश में एकल विनियामकीय फ्रेमवर्क वैश्विक दर्शकों के लिए OTT संचालन को जटिल बना सकता है।

आगे की राह

- **विनियामक फ्रेमवर्क:** एक व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए, जो विशेष रूप से OTT प्लेटफॉर्म्स की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता हो। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता हो कि तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में विनियमन गतिशील रूप से प्रासंगिक भी बने रहें।
- **स्वतंत्रता बनाम प्रतिस्पर्धा:** रचनात्मक स्वतंत्रता, जिम्मेदारीपूर्वक कंटेंट डिलीवर करने, उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

8.2.2. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, **2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन की घटना** दर्ज की गई, जो लगातार छठे साल दुनिया में सबसे अधिक है।

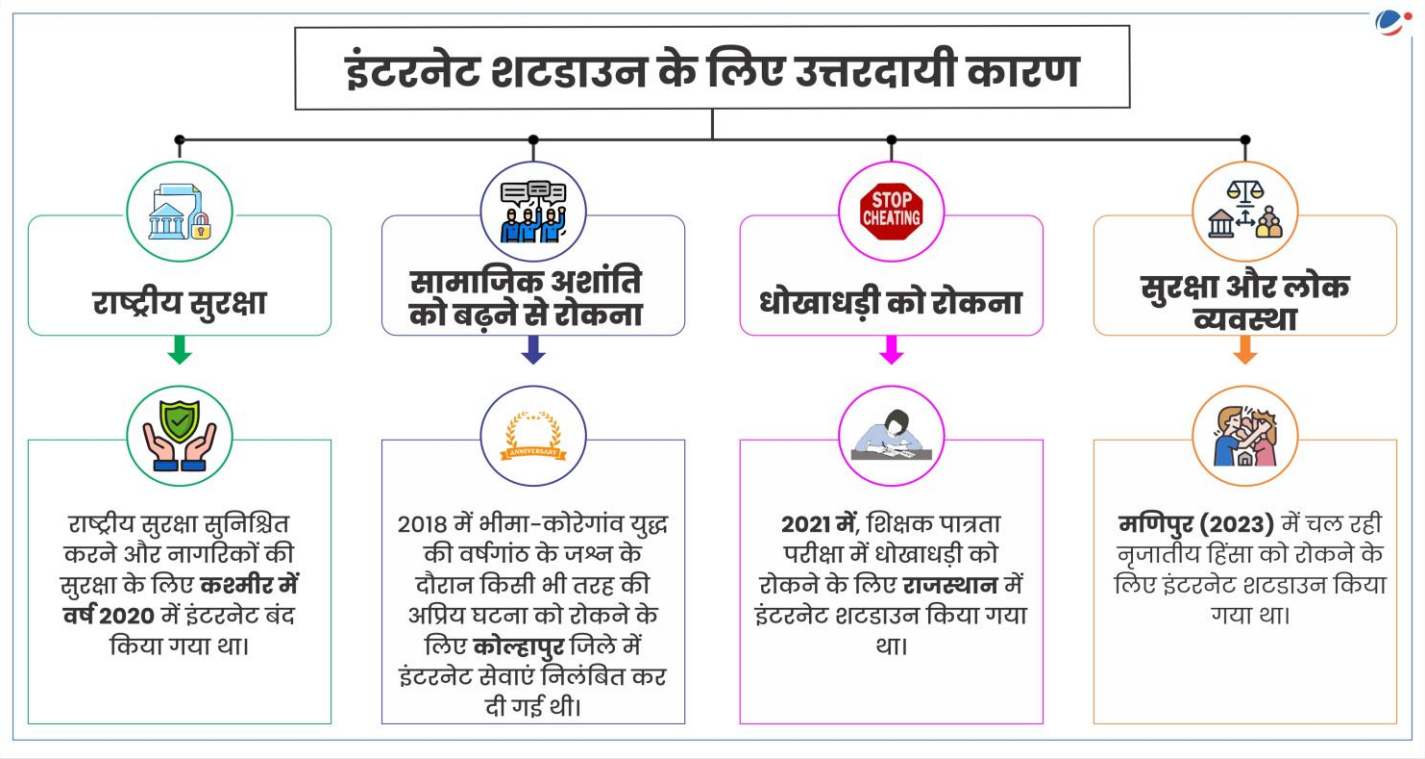

इंटरनेट शटडाउन के बारे में

- **इंटरनेट शटडाउन** किसी विशिष्ट आबादी, स्थान या इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए **इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान/ रोक** है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग वेबसाइटों तक नहीं पहुंच सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते या प्राप्त नहीं कर सकते और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते।

- वर्तमान में, इसे **इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम[58], 1885"** के तहत अधिसूचित **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम[59], 2017** द्वारा शासित किया जाता है।
  - ये नियम एक क्षेत्र में **पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर** एक बार में 15 दिनों तक **दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति** देते हैं।
- दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ/ राज्य **गृह सचिव** द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।
  - 2017 के नियमों के तहत, **केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समीक्षा समिति** क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार/ इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है।

इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

- **आर्थिक नुकसान:** भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण जनवरी से जून, 2023 के बीच **विदेशी निवेश के मामले में 118 मिलियन डॉलर का नुकसान** हुआ था।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** इंटरनेट शटडाउन **सूचना तक पहुंच को बाधित** करता है। यह **डिजिटल स्वतंत्रता और मौलिक मानवाधिकारों** जैसे- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को सीमित करता है।
- **असमानता:** इंटरनेट शटडाउन वंचित समुदायों को असंगत तरीके से प्रभावित करता है। इसके चलते वंचित समुदायों की राजस्व के नए स्रोतों और अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है। यह मौजूदा आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है और न्यायसंगत डिजिटलीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को कमजोर करता है।
- **आपदा प्रबंधन:** इंटरनेट शटडाउन के कारण संचार के अवरुद्ध होने से **अर्ली वार्निंग जारी करने, निकासी मार्ग और बचाव या राहत से जुड़ी सूचना के प्रसार में बाधा** पैदा होती है। इसके चलते आपदा जनित प्रभावों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:** शटडाउन ऑनलाइन सेवाओं, जैसे- एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, स्वास्थ्य सेवा जानकारी आदि तक पहुंच बनाने में रुकावट डालता है।
- **विरोध और हिंसा:** इंटरनेट शटडाउन लोगों को बाकी दुनिया से अलग कर देता है, जिससे लोगों के मन में संदेह की भावना और निराशा पैदा होती है। इसके चलते हिंसक हड़ताल या विरोध प्रदर्शन की घटनाएं घटित हो सकती हैं।
- **मानवाधिकारों का हनन:** इंटरनेट शटडाउन जवाबदेहिता को सीमित करता है। ऐसा खासकर वहां देखने को मिलता है जहां हमलावर अपने द्वारा किए गए अपराधों, जैसे- हत्या, आगजनी, लिंग आधारित हिंसा आदि को छिपाने के लिए जानबूझकर व्यवधान पैदा करते हैं।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कि इंटरनेट की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है, जिस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध स्वीकार्य हैं। **इस संदर्भ में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए थे:**
  - इंटरनेट का निलंबन **केवल अस्थायी अवधि के लिए** ही किया जा सकता है।
  - इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश **न्यायिक समीक्षा के अधीन** होगा।
- **फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर वाद (2020):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार्य किया कि अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय के अधिकारों व राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

[58] Indian Telegraph Act
[59] Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules

आगे की राह

- **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर एक नज़र:**
  - **इंटरनेट शटडाउन के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए।
  - गृह मंत्रालय के साथ मिलकर **दूरसंचार विभाग को इंटरनेट शटडाउन को हटाने के लिए स्पष्ट नियम** बनाने चाहिए। ऐसा करके शटडाउन की अवधि तय की जा सकती है।
  - **आनुपातिकता (वांछित परिणाम के सापेक्ष अत्यधिक कार्रवाई न की जाए) के सिद्धांत** और शटडाउन हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए।
  - दूरसंचार विभाग (DoT) को जनता को कम-से-कम असुविधा पहुंचाने और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समग्र रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय **ओवर-द-टॉप (OTT)** सेवाओं के उपयोग पर चयनित रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।
- सरकार को इंटरनेट यूजर्स को स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर किसी भी तरह की रोक, प्रतिबंध या सेवा में बदलाव करने से पहले बताना चाहिए तथा शटडाउन की स्थिति और अवधि के बारे में नियमित रूप से अपडेट देना चाहिए।

8.3. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 को मंजूरी** दे दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून ने औपनिवेशिक युग के **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867** की जगह ली है।

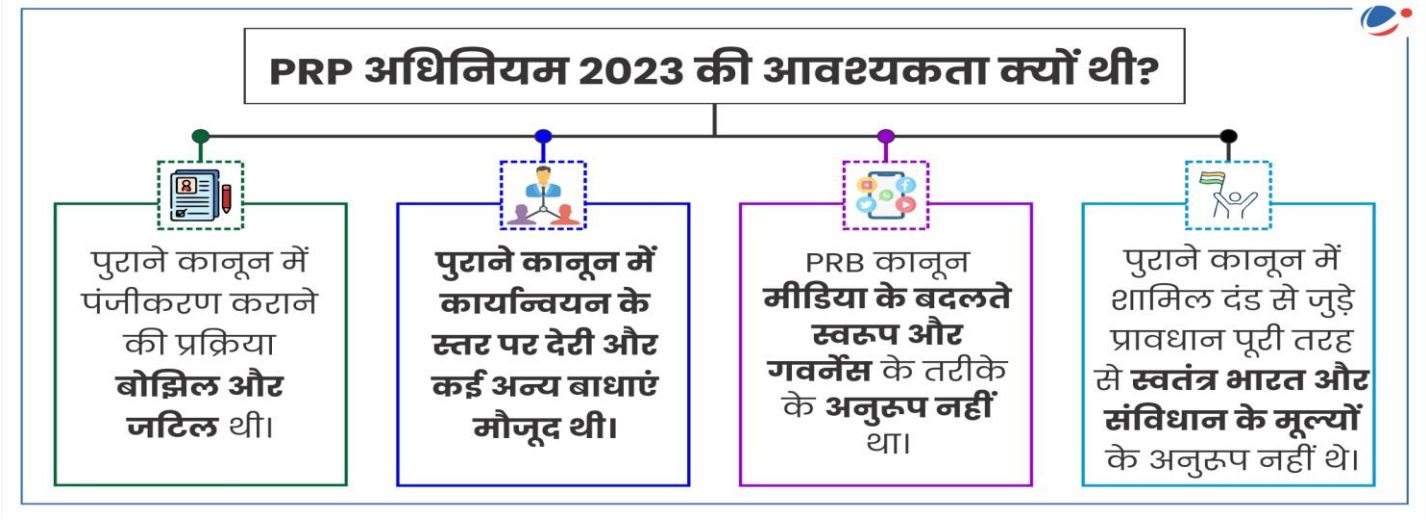

PRP अधिनियम, 2023 के लाभ

- **डिजिटलीकरण:** इसमें प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने की अनुमति दी गई है।
- **प्रक्रिया को तीव्र बनाना:** यह अधिनियम किसी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण के पास ऑनलाइन आवेदन दाखिल करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- **गैर-अपराधीकरण:** इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों में से ज्यादातर को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार इस कानून की **औपनिवेशिक विरासत को समाप्त** कर दिया गया है, उदाहरण के लिए- जेल की सजा के स्थान पर जुर्माना लगाया जाए।
- **स्पष्टता प्रदान करता है:** इस अधिनियम में **विविध प्रक्रियाओं/ मामलों में पारदर्शिता/ स्पष्टता को शामिल** किया गया है। उदाहरण के लिए- विदेशी प्रकाशन के प्रतिकृति संस्करण, समाचार-पत्रों के वितरण का सत्यापन, स्वामित्व हस्तांतरण इत्यादि।

- उदाहरण के लिए- किसी **विदेशी पत्रिका की प्रतिलिपि (मूल की सटीक प्रतिलिपि) भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही मुद्रित** की जा सकती है।

- **पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में आसानी:** यह प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) को पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/ रद्द करने का अधिकार देता है।
  - 1867 के अधिनियम में केवल **जिला मजिस्ट्रेट ही किसी पत्रिका के घोषणा-पत्र को रद्द** कर सकता था।

निष्कर्ष

PRP अधिनियम, 2023 वर्तमान स्वतंत्र प्रेस के युग और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है। यह अधिनियम विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के जरिए तीव्रता से तथा अधिक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने पर जोर देता है। साथ ही, यह डिजिटल गवर्नेंस का भी प्रावधान करता है।

9. विविध (Miscellaneous)

9.1. नागरिक समाज: एक नज़र में (Civil Society at a Glance)

9.1.1. राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध (Relationship Between State and Civil Society)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राज्य द्वारा पहले सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करने या गवर्नेंस संबंधी कार्यों को निजी संस्थाओं को सौंपने की प्रवृत्ति ने सरकार की भूमिका और निजी क्षेत्रक तथा नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के साथ उसके संबंधों को नया रूप दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में **PPP के बढ़ते उपयोग, आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (PSE) नीति के तहत रणनीतिक विनिवेश आदि में सरकार की भूमिका का नया स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।**
- इसके अलावा **हितधारकों की सहभागिता, सामाजिक लेखा-परीक्षा और सरकारी प्रोग्राम्स की नागरिक समूह द्वारा निगरानी आदि पर बढ़ते फोकस को** राज्य और नागरिक समाज संगठनों के बीच संबंधों में बदलाव को देखा जा सकता है।
- सरकार की भूमिका और निजी क्षेत्रक तथा नागरिक समाज के साथ सरकार के संबंधों का नया रूप पुनः मोटे तौर पर **'न्यू पब्लिक गवर्नेंस'** को दर्शाता है।

न्यू पब्लिक गवर्नेंस (NPG) के बारे में

- NPG सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए **सरकारी, निजी और नागरिक क्षेत्रकों आपसी में सहयोग पर आधारित है।** साथ ही, इसके तहत बाजार-संचालित मॉडलों की तुलना में सहभागी, समावेशी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है।
- इसके तहत **लोकतांत्रिक सहभागिता के साथ-साथ मिलकर सेवाएं** प्रदान करने पर अधिक फोकस किया जाता है, जिसका लक्ष्य समग्र और **नेटवर्क-बेस्ड गवर्नेंस समाधान** सुनिश्चित करना है।
- NPG के अंतर्गत गवर्नेंस मॉडल वस्तुतः **कल्याणकारी राज्य** और **नवीन लोक प्रबंधन** जैसी शासन/ गवर्नेंस की पारंपरिक पद्धतियों से भिन्न है।

भारत में राज्य और नागरिक समाज संगठनों के बीच संबंधों में NPG के उदाहरण

आपसी सहयोग

- **सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोगात्मक साझेदारी:**
  - **उदाहरण के लिए-** अक्षय पात्र फाउंडेशन स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के साथ काम करता है।
- नीति निर्माण में **नीतिगत सहभागिता और राज्य की एजेंसियों को एक्सपर्ट एवं जरूरी इनपुट प्रदान करना:**
  - **उदाहरण के लिए-** नीति अनुसंधान केंद्र (Centre for Policy Research) सरकारी निकायों के साथ अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से नीति निर्माण में योगदान देता है।

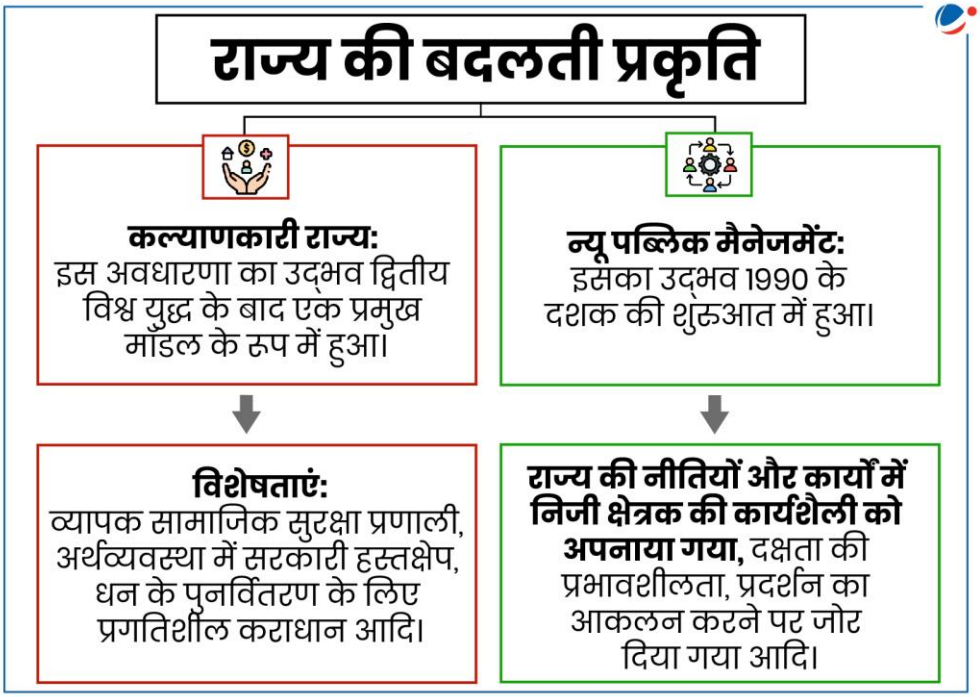

टकराव की स्थिति

- **विनियामक:** विशेष रूप से विदेशी वित्त-पोषण के संबंध में नागरिक समाज संगठनों की जांच और विनियमन में वृद्धि।
  - उदाहरण के लिए- **2020** में, FCRA विनियमों के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को फ्रीज करने का हवाला देते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना परिचालन बंद कर दिया।
- **समर्थन और सक्रियता:** विशेष रूप से मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों का समर्थन करने वाले नागरिक समाज संगठनों को अक्सर राज्य से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - **उदाहरण के लिए-** नर्मदा बचाओ आंदोलन को वृहद बांध परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठाने के चलते चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष

निःसन्देह इस सन्दर्भ में समर्थन और सक्रियता, वित्त-पोषण और विनियामकीय अनुपालन से संबंधित कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन विशेष रूप से सेवा वितरण और विकासात्मक कार्य जैसे क्षेत्रों में सहभागिता की काफी संभावना बरकरार है। हमें यह समझना होगा कि विविध और गतिशील मौजूदा दौर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों द्वारा **नए सार्वजनिक शासन के संदर्भ में परस्पर सहभागिता** की व्यवस्था विकसित होती रहती है।

9.2. भारत में समाजवाद (Socialism in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने प्रख्यात समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री **कर्पूरी ठाकुर** को मरणोपरांत **भारत रत्न** से सम्मानित करने की घोषणा की।

समाजवाद के बारे में

- समाजवाद उन **सिद्धांतों** से संबंधित है, जो एक ऐसे समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हैं, जहां **सभी व्यक्ति जीवन के** विविध क्षेत्रों (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि) में **समानता का अनुभव** कर सकें।
- समाजवाद के **दो प्रकार हैं: क्रांतिकारी** (मार्क्सवादी) समाजवाद और **विकासवादी** समाजवाद।
  - **क्रांतिकारी समाजवाद:** यह मानता है कि निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करके हिंसक क्रांति द्वारा समाजवाद लाया जा सकता है।
  - **विकासवादी समाजवाद:** इसके तहत यह माना जाता है कि समाजवाद लाने की आकांक्षा वाली सामाजिक ताकतों को ऐसी नीतियों को बनाने में राज्य के अंगों की मदद करनी चाहिए, जो उद्देश्यों में समाजवादी हों। साथ ही, उन्हें कार्यान्वित भी करवाना चाहिए।
- प्रमुख भारतीय समाजवादी नेताओं में **आचार्य नरेंद्र देव, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया** आदि शामिल हैं।
  - उल्लेखनीय है कि **आचार्य नरेंद्र देव** ने वैनी (समस्तीपुर, बिहार) में एक किसान रैली को संबोधित किया था। आचार्य नरेंद्र देव के इस संबोधन ने **कर्पूरी ठाकुर** को स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था।

भारत में समाजवादी राजनीति का योगदान

- **आजादी से पहले:**
  - उपनिवेशवाद-विरोधी, समानता, सामाजिक न्याय जैसे समाजवादी आदर्शों ने **स्वतंत्रता संग्राम के लिए वैचारिक ढांचा** प्रदान किया था।
  - समाजवादी नेताओं और संगठनों ने राष्ट्रवादी आंदोलन में श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को **जमीनी स्तर पर संगठित** करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **आजादी के बाद:**
  - **संवैधानिक:** संविधान में निहित **समानता और सामाजिक न्याय** के आदर्श समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं।
  - **लोकतंत्र को मजबूत बनाना:** समाजवादी नेताओं, दलों और आंदोलनों के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ था। उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - **आर्थिक नीति:** समाजवादी नीतियों में इस्पात, ऊर्जा, भारी उद्योग जैसे **प्रमुख क्षेत्रकों के विकास में राज्य की भूमिका** पर जोर दिया गया।
  - **सामाजिक कल्याण:** समाजवादी सिद्धांतों ने कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए विविध **कल्याणकारी कार्यक्रमों** की शुरुआत को प्रेरित किया है, जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आरक्षण नीतियां आदि।
    - **आचार्य विनोभा भावे के भूदान आंदोलन** जैसे विभिन्न **समाजवादी आंदोलनों** ने न केवल वंचितों को सीधे लाभ पहुंचाया, बल्कि **देश की नीतियों और भूमि सुधार जैसी योजनाओं को भी प्रभावित** किया।

वर्तमान समय में भारत में समाजवाद की प्रासंगिकता

- **सामाजिक न्याय संबंधी अनिवार्यता:** जातिगत भेदभाव, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में असमानता जैसे सतत सामाजिक मुद्दे, राज्य की नीतियों में समाजवादी सिद्धांतों को शामिल करने की मांग करते हैं।
- **भेदभाव के नए रूपों का उदय;** लैंगिकता पर आधारित भेदभाव; धार्मिक असहिष्णुता जैसे मुद्दे भी शासन में समाजवादी नीतियों का समर्थन करते हैं।

- **आर्थिक असमानता:** मजबूत आर्थिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी सिद्धांतों जैसे कि धन का पुनर्वितरण, बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की गारंटी आदि पर जोर देने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- **अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रगतिशील कराधान नीति** आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी आदर्शों का प्रतिबिंब हैं।
- **पूंजीवाद से जुड़े मुद्दे:** संवृद्धि का बाजार-संचालित मॉडल कई प्रकार की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जैसे- **श्रमबल का शोषण, पर्यावरण को नुकसान** आदि।
  - ऐसे संदर्भ में, समाजवाद व्यक्तिगत लाभ से ऊपर **सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने का एक विकल्प** साबित हो सकता है।
- **राजनीतिक परिदृश्य:** राजनीतिक दल और सामाजिक समूह अलग-अलग स्तर की समाजवादी विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार वे समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीतिगत चर्चाओं और कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

वर्तमान समय में समाजवाद के समक्ष चुनौतियां

- **LPG सुधार:** 1990 के दशक की शुरुआत में LPG[60] सुधारों के चलते आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा मिला। इसके परिणामस्वरूप अतीत की समाजवादी नीति अधिक बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण की तरफ़ स्थानांतरित हो गई।
  - **वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण** के परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार में भाग लेने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया है।
- **प्रतिकूल आर्थिक उदाहरण:** LPG सुधारों से पूर्व संवृद्धि दर (लगभग 4%) स्थिर थी। इसे कुछ विद्वानों ने **"हिंदू ग्रोथ रेट"** भी कहा है।
  - उस युग के दौरान आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में **लाइसेंस-कोटा-परमिट राज** की व्यवस्था थी। इसके परिणामस्वरूप **रेंट-सीकिंग (बिना योगदान के रिटर्न) गतिविधियों का चलन हुआ और PSEs ने भी अकुशल प्रदर्शन** किया ।
- **राजनीतिक:** मजबूत क्षेत्रीय दलों के उद्भव के कारण एक दल के प्रभुत्व में कमी आई है और चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक विचारधाराओं में भी विचलन पैदा हुआ है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक:** मध्यमवर्ग में भौतिक समृद्धि के लिए बढ़ती हुई व्यक्तिगत आकांक्षाएं समाजवाद द्वारा प्रेरित सामूहिक कल्याण की अवधारणा के साथ असंगत बन गई हैं।
- **वैधता और विश्वसनीयता:** अतीत की समाजवादी शासन व्यवस्थाओं और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े नकारात्मक निहितार्थों का ऐतिहासिक बोझ। जैसे कि पूर्व सोवियत संघ के विघटन।

आगे की राह

- **बाजार अर्थव्यवस्था के साथ संतुलित समाजवाद:** समावेशी और सतत विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप और बाजार तंत्र के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करना चाहिए।
  - कॉर्पोरेट गवर्नेंस में CSR और ESG[61] जैसी अवधारणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर **सामाजिक रूप से उत्तरदायी बाजार अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता को मजबूत करना:** पारदर्शिता बढ़ाकर, जवाबदेही में सुधार लाकर और लालफीताशाही को कम करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए। साथ ही, नागरिकों के बीच सेवा वितरण की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रोत्साहन:** राज्य की नीतियों में विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए नीति निर्माण में भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना और नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए।
- दक्ष शासन व्यवस्था, नागरिक सहभागिता और हाशिए पर रहे समुदायों को सशक्त बनाने के लिए **डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग** करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सामूहिक सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

[60] Liberalization, Privatization, and Globalization/ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

[61] Environmental, Social, and Governance/ पर्यावरणीय, सामाजिक व गवर्नेंस

9.3. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है।

सूचना का अधिकार (RTI) के बारे में

- RTI का तात्पर्य है कि **कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना (जिसे सार्वजनिक जानकारी माना जाता है) प्राप्त करने का अनुरोध** कर सकता है।
  - 2005 में सरकार ने युगांतरकारी **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम** पारित किया था।
  - RTI अधिनियम, 2005 ने **सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम[62], 2002** का स्थान लिया है।
- 1986 में, सुप्रीम कोर्ट ने **श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम वाद** में यह निर्देश दिया था कि संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत प्रदान की गई **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य RTI से है।** ऐसा इसलिए, क्योंकि सूचना के बिना नागरिक अपनी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं।

RTI के कार्यान्वयन से जुड़ी चिंताएं

- **रिकॉर्ड का खराब रख-रखाव:** RTI आवेदकों को कई कारणों से सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है, जैसे- **रिकॉर्ड की कमी, रिकॉर्ड उचित प्रारूप में नहीं हैं या गुम हो गए हैं,** आदि।
  - विशेषकर उन मामलों में सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है जब इमारतों, भू-स्वामित्व और अधिकारियों के स्थानांतरण पर सूचना मांगी गई हो।
- **अवसंरचना और कर्मचारियों की कमी:** कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स स्टडी के अनुसार, 2012-13 और 2018-19 के बीच **RTI याचिकाओं की कुल संख्या में 83% की वृद्धि** हुई है।
  - इसके अलावा, **मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब** में सूचना आयुक्त CIC के बिना काम कर रहे हैं।
- **अत्यधिक विलंब और देरी: सतर्क नागरिक संगठन** के एक अध्ययन के अनुसार, जून 2022 तक **लगभग 3.14 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित** थीं।
- **धमकी और हिंसा:** पिछले 15 वर्षों में, RTI आवेदन दायर करने वाले 80 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है, जबकि 175 अन्य लोगों पर हमला किया गया है। इसके अतिरिक्त, कई आवेदकों को उत्पीड़ित किए जाने की सूचनाएं भी दर्ज की गई हैं।
- **जागरूकता की कमी:** RTI अधिनियम के लागू होने के बाद से ही इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में जनता के बीच जागरूकता की कमी रही है। इस कारण से, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में **इस कानून का कम उपयोग** हो रहा है।

[62] Freedom of Information Act)

आगे की राह

- **रिक्तियों को भरना:** जैसा कि **अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारत संघ वाद (2019)** में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।
- **जागरूकता:** नागरिकों को उनके अधिकारों, आवेदन करने के तरीके और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसे स्कूल/ कॉलेज पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए।
- **व्हिस्ट्लब्लोवर्स की सुरक्षा करना:** लोक हित में जानकारी का खुलासा करने पर व्हिस्ट्लब्लोवर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण:** सरकारी अधिकारियों को RTI अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए **प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित** करने चाहिए। **PIOs के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए,** ताकि उन्हें RTI अधिनियम और इसके कार्यान्वयन पर अपडेटेड जानकारी प्रदान की जा सके।
- **अग्रसक्रिय प्रकटीकरण (Proactive disclosure):** लोक प्राधिकारियों को औपचारिक RTI अनुरोधों के बिना सक्रिय रूप से सूचना का प्रकटीकरण करना चाहिए। इससे RTI आवेदनों का बोझ कम हो सकता है और शासन संरचना में पारदर्शिता बढ़ सकती है।

9.4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के **"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)" को मान्यता (प्रत्यायन) प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित** कर दिया।

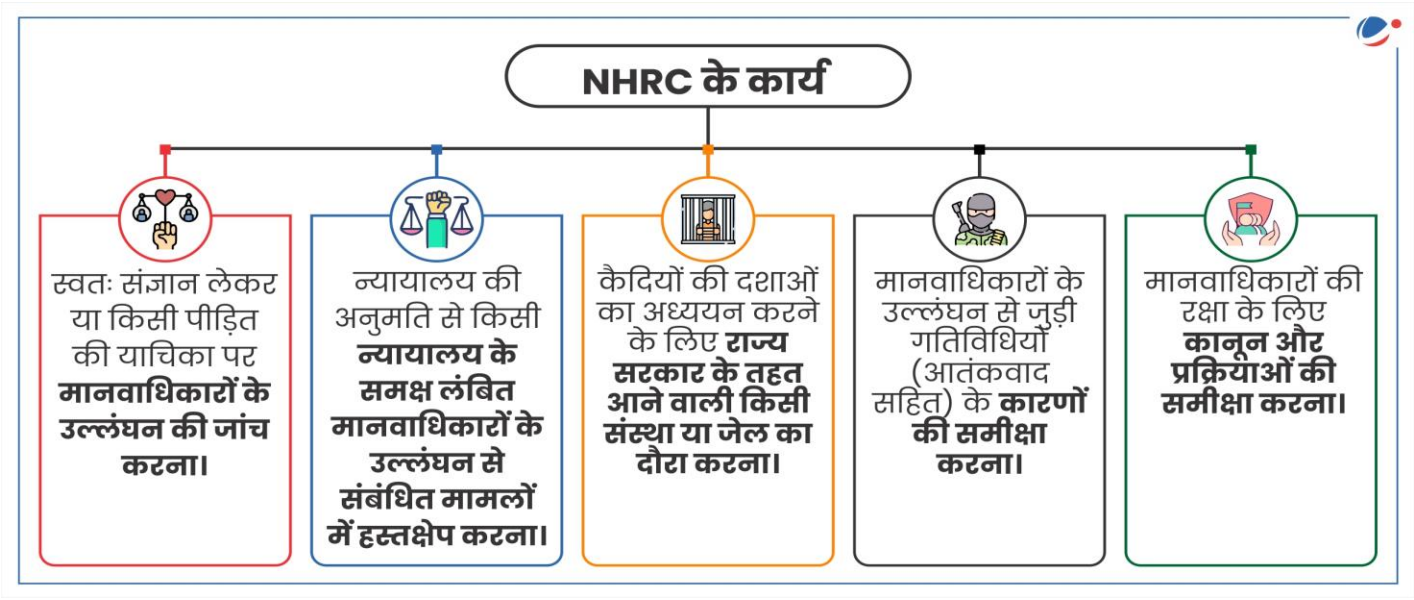

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक **सांविधिक** निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में **2006 और 2019 में संशोधन** किया गया था।
- **नियुक्ति:** आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के **राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों** पर की जाती है।
- **NHRC की शक्तियां:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक **सिविल न्यायालय** की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

NHRC से जुड़े मुद्दे

NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की उन **शिकायतों पर विचार नहीं कर सकता, जिनके घटित होने के एक साल बाद उनकी शिकायत दर्ज** कराई गई हो या ऐसे मामले जो **न्यायालय में विचाराधीन** हों। इससे इसकी शक्ति सीमित हो जाती है।

इसके अलावा, GANHRI की प्रत्यायन उप-समिति ने निम्नलिखित समस्याओं की ओर भी संकेत किया है:

- **विविधता का अभाव:** भारतीय NHRC में 393 कर्मचारियों के पदों में से केवल 95 पर ही महिलाएं नेतृत्वकर्ता की स्थिति में हैं।
- **चयन समिति पर सरकार का वर्चस्व:** नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति पर सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व है। इससे विपक्ष की भूमिका सीमित हो जाती है।
- **सरकारी हस्तक्षेप:** भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम NHRC के **महासचिव के रूप में सचिव रैंक के सिविल सेवकों को भर्ती करने** का प्रावधान करता है। यह पेरिस सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि सिविल सेवकों को शामिल करने से सरकारी हस्तक्षेप का खतरा बना रहता है।
- **जांच संबंधी संसाधन:** भारतीय NHRC जांच के लिए प्रतिनियुक्त (Deputed) अधिकारियों पर निर्भर करता है। अपर्याप्त निगरानी तंत्र के कारण उनमें जवाबदेही की कमी हो सकती है।
- **नागरिक समाज के साथ सीमित सहभागिता।**

आगे की राह

- **स्वतंत्रता:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप जांच संबंधी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की स्वतंत्र नियुक्ति की अनुमति मिल सके।
- **जांच:** यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण अफ्रीका की तरह, अनन्य रूप से **मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग के गठन की आवश्यकता** है। साथ ही, **NHRC की इन्वेस्टिगेशन विंग को विकसित करने** के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **सांविधिक शक्ति का प्रभावी तरीके से उपयोग करना:** यदि केंद्र/ राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देती है, तो अधिनियम की **धारा 17** NHRC को अपनी जांच शुरू करने का अधिकार प्रदान करती है।
- **व्यापक सहयोग:** राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए अपने कार्यादेश (मेंडेट) को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए नागरिक समाज जैसे सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ नियमित और रचनात्मक जुड़ाव आवश्यक है।
- **अन्य सुधार:** नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **NHRC की संरचना भारत की विविधता को प्रदर्शित** करती हो; मानवाधिकार संबंधी शिकायत दर्ज कराने की **एक वर्ष की समय सीमा को कम** कर देना चाहिए आदि।

10. विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 2013-2023 (विषयवार) {Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)}

भारतीय संविधान: ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना

- प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। (Explain the constitutional perspective of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.) (2023) 15 अंक
- "भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया एक संविधान है।" जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ("The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society." Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.) (2023) 15 अंक
- ''भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं है।'' टिप्पणी कीजिए। ("Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute". Comment.) (2022) 10 अंक
- 'संवैधानिक नैतिकता ' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। ('Constitutional Morality' is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of 'Constitutional Morality' with the help of relevant judicial decisions.) (2021) 10 अंक
- संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? ("Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power?) (2019) 15 अंक
- निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। (Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.) (2017) 15 अंक
- 'उद्देशिका (प्रस्तावना)' में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? (Discuss each adjective attached to the word 'Republic' in the 'Preamble'. Are they defendable in the present circumstances?) (2016) 12.5 अंक
- क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। (Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss.) (2016) 12.5 अंक
- चर्चा कीजिए कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं।(Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy.) (2015) 12.5 अंक

- 'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोएक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (Starting from inventing the 'basic structure' doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.) (2014) 12.5 अंक
- आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? चर्चा कीजिए। (What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss.) (2014) 12.5 अंक
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution.) (2013) 10
- 'संविधान में संशोधन करने संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।' समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ('The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution.' Discuss critically.) (2013) 10 अंक
- मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है ? चर्चा कीजिये। (The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss.) (2014) 12.5 अंक
- अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद और तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में, क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए। (Many State Governments further bifurcate geographical administrative areas like Districts and Talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller States would bring in effective governance at State level? Discuss.) (2013) 10 अंक

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां

- 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है? (Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism?) (2023) 15 अंक
- एक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आइ०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आइ० जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। (The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various States. However, the power of States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.) (2021) 15 अंक
- आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। (How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer) (2020) 15 अंक

- राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केन्द्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। (Indian constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts.) (2020) 15 अंक
- न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, 'परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'समरस अर्थान्वयन' उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिए। (From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.) (2019) 10 अंक
- संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करने में" काफी प्रभावकारी है? (Explain the salient features of the constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough 'to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services?) (2017) 15 अंक
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध" लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है ? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए। (To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note "Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir", temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.) (2016) 12.5 अंक
- हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। (The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasised in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings.) (2015) 12.5 अंक
- यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज्म) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए। (Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.) (2014) 12.5 अंक

विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान

- आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण ने जमीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? (To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots?) (2022) 10 अंक
- भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता 'प्रकार्य, कार्यकर्ता व कोष' की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से 'प्रकार्यात्मकता' की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम् चुनौतियों को आलोकित कीजिए। (The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of 'Functions, Functionaries and Funds' to the contemporary stage of 'Functionality'. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times.) (2020) 15 अंक
- स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। ("The reservation of seats for women in the institutions of local self- government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process." Comment.) (2019) 15 अंक

- भारत मे स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing development projects?) (2018) 15 अंक
- "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ("The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance". Critically examine the statement and give your views to improve the situation.) (2017) 10 अंक
- सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में 'पंचायतें' और 'समितियाँ' मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिए। (In absence of well–educated and organised local level government system, 'Panchayats' and 'Samitis' have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss). (2015) 12.5 अंक
- खाप पंचायतें-संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। (Khap panchayats have been in the news for functioning as extra–constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things right in this regard.) (2015) 12.5 अंक
- विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। (Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.) (2021) 10 अंक
- न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। (Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.) (2020) 15 अंक
- क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। (Do you think that constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain) (2019) 10 अंक
- क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए। (Whether the Supreme Court Judgment (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.) (2018) 15 अंक
- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? (Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and institution of Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian Federal Politics?) (2016) 12.5 अंक

संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय

- संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की? (Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament?) (2023) 15 अंक

- विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। (Discuss the role of presiding officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.) (2023) 10 अंक
- राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनःप्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। (Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.) (2022) 15 अंक
- राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (Discuss the role of the Vice –Presidents of India as the chairman of the Rajya Sabha.) (2022) 10 अंक
- क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। (Do Department -related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples.) (2021) 15 अंक
- उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान-परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। (Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations.) (2021) 15 अंक
- आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?) (2021) 10 अंक
- 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर ! क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? ("Once a speaker, Always a speaker'! Do you think the practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India.) (2020) 10 अंक
- विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक 'उपयोगहीन स्टेपनी टायर' से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। (Rajya Sabha has been transformed from a 'useless stepney tyre' to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible.) (2020) 15 अंक
- राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए। (Individual Parliamentarian's role as the national lawmaker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.) (2019) 15 अंक
- आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee.) (2018) 10 अंक
- भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए। (The Indian Constitution has provisions for holding a joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reasons thereof.) (2017) 15 अंक
- "भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।" चर्चा कीजिए। ("The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes." Discuss.) (2016) 12.5 अंक

- कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते है की न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है? (What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?) (2016) 12.5 अंक
- संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेक असंहिताबद्ध और अ-परिगणित विशषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिए। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed?) (2014) 12.5 अंक
- कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है? (The role of individual MPs (Members of Parliament) has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti- defection law which was legislated but with a different intention?) (2013) 10 अंक
- अन्तर-राज्य जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को सम्बोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए। (Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss.) (2013) 10 अंक

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य- सरकार के मंत्रालय एवं विभाग

- संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। (Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.) (2023) 15 अंक
- "संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिए। ("Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy." Comment.) (2023) 10 अंक
- ''भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।'' सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। ("The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court." Discuss this statement with the help of relevant case laws.) (2022) 10 अंक
- महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। ("The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India." Discuss.) (2019) 15 अंक
- किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? (Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remain in force?) (2018) 10 अंक
- आप इस मत से कहाँ तक सहमत है कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। (How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India?) (2018) 15 अंक

- भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.) (2017) 10 अंक
- अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए? (Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyse whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate the ordinances be repealed?) (2015) 12.5 अंक
- राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए। (What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 through the recent Ordinance promulgated by the President? How far will it improve India's dispute resolution mechanism? Discuss.) (2015) 12.5 अंक
- क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दीवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के, और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। (Does the right to clean environment entail legal regulation on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of Indian Constitution and Judgement(s) of the Apex court in this regard.) (2015) 12.5 अंक
- मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? विश्लेषण कीजिए। (Instances of President's delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse.) (2014) 12.5 अंक

विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां

- निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं ? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजिए। (Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Service Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.) 2023 10 अंक
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। (Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.) (2022) 10 अंक
- यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। (Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.) (2021) 15 अंक
- भारत के 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position?) (2021) 10 अंक

- एक आयोग के संविधानिकीकरण के लिए कौन-कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। (Which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons.) (2020) 15 अंक
- "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।" व्याख्या कीजिए। ("The Central Administration Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority." Explain.) (2019) 10 अंक
- इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ई ० वी ० एम ०) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machine (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?) (2018) 10 अंक
- "नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी ० ए ० जी ०) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।" व्याख्या कीजिए की यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है। ("The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play." Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.) (2018) 10 अंक
- भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। (How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.) (2018) 15 अंक
- क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन ० सी ० एस ० सी ०) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्यवन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिए। (Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.) (2018) 10 अंक
- समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction & duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case.) (2018) 15 अंक
- संघ और राज्यों के लेखाओं के संबध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तिओं का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। (Exercise of CAG's powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government's policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction.) (2016) 12.5 अंक
- अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदहारणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। (What is quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples.) (2016) 12.5 अंक

- भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य नागरिकों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों को प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिए। (National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.) (2014) 12.5 अंक
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (Discuss the recommendations of the 13th Finance Commission which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances.) (2013) 10 अंक
- वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इरडा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए । (The product diversification of financial institutions and insurance companies, resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the two regulatory agencies, namely SEBI and IRDA. Justify.) (2013) 10 अंक

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना

- संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं। (Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.) (2023) 10 अंक
- भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (Critically examine the procedures through which the Presidents of India and France are elected.) (2022) 15 अंक
- संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। (Analyze the distinguishing features of the notion of Equality in the Constitutions of the USA and India.) (2021) 15 अंक
- हाल के समय में भारत और यू. के. की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। (The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in the recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.) (2020) 10 अंक
- धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है? (What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism?) (2019) 10 अंक
- भारत एवं यू ० एस ० ए ० दो विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। (India and USA are the two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based.) (2018) 15 अंक

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए । (Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.) (2022) 15 अंक
- "भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में।" टिप्पणी कीजिए। (While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy." Comment.) (2022) 15 अंक

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। (Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under the Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws.) (2022) 15 अंक
- "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टिप्पणी कीजिए। ("There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of peoples Act" Comment) (2020) 10 अंक
- किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध है। (On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of People Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.) (2019) 15 अंक
- "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" चर्चा कीजिए। ('Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people' Discuss.) (2017) 10 अंक
- भारत मे लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण है? (To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?) (2017) 15 अंक

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

- "वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं ? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ("Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer.) (2023) 15 अंक
- मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें। (The crucial aspect of developmental process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.) (2023) 10 अंक
- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। (Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer.) (2022) 15 अंक
- कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.) (2022) 15 अंक
- "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिए। ("Besides being a moral imperative of Welfare State, primary health structure is a necessary pre-condition for sustainable development." Analyze.) (2021) 10 अंक

- 'विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा ।' चर्चा कीजिए। ('In the context of neo-liberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockages.'- Discuss.) (2019) 15 अंक
- "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के 'संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। ("Policy Contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment." Comment with relevant illustrations.) (2018) 10 अंक
- क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है ? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? (Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change?) (2016) 12.5 अंक
- "वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहे।" पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ("For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous." Discuss in the light of experiences in recent past.) (2015) 12.5 अंक
- सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (एन.पी.आर.), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये। (Two parallel run schemes of the Government, viz. the Aadhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.) (2014) 12.5 अंक
- यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफ.डी.आई. के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी ? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये। (Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons.) (2014) 12.5 अंक
- किरायों का विनियमन करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिए सहायिकी (सब्सिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीजिये कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है। (The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators.) (2014) 12.5
- खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है; वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये। (An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation's glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.) (2014) 12.5 अंक

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाल के निदेशों को 'नागाओं' द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। (Recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the 'Nagas' as a threat to override the exceptional status enjoyed by the State. Discuss in light of Article 371A of the Indian Constitution.) (2013) 10 अंक

प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका

- "भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" समझाइए कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। ("Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India." Explain how the business associations contribute to public policies.) (2021) 10 अंक
- भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं? (What are the methods used by the Farmers organizations to influence the policy- makers in India and how effective are these methods?) (2019) 10 अंक
- भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह, औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? (How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful as formal pressure groups in recent years?) (2017) 10 अंक
- प्रभावक-समूह राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। उपर्युक्त के संबंध में, भारत में प्रभावक-समूहों की संरचना व कार्यप्रणाली का आकलन कीजिए। (Pressure group politics is sometimes seen as the informal face of politics. With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure groups in India.) (2013) 10 अंक

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग-गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका

- विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। (Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement, analyse the linkages between education, skill and employment.) (2023) 15 अंक
- भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। (Discuss the contributions of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in State Legislatures in India.) (2023) 15 अंक
- भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। (Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions.) (2023) 10 अंक
- "भारत के राज्य, शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिए। ("The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially." Comment) 2023 10 अंक
- क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (Can Civil Society and Non-Governmental Organizations present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen. Discuss the challenges of this alternative model.) (2021) 15 अंक

- "सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी-रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है"। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। ("Micro-Finance as an anti-poverty vaccine, is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India". Evaluate the role of Self-Help Groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India.) (2020) 15 अंक
- विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। (The need for cooperation among various service sector has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges bring the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of 'Collaboration' and 'team spirit'. In the light of statements above examine India's Development process.) (2019) 15 अंक
- उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। (Despite Consistent experience of High growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive.) (2019) 10 अंक
- "वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य की विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।" विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। (The emergence of Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities'. Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.) (2017) 15 अंक
- "भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ("In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal." Critically examine this statement.) (2016) 12.5 अंक
- "विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती हैं।" भारत के संदर्भ में इनके बीच सम्बन्ध पर चर्चा कीजिए। ("Effectiveness of the government system at various levels and people's participation in the governance system are interdependent" Discuss their relationship in the context of India.) (2016) 12.5 अंक
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ० सी० आर० ए०), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976.) (2015) 12.5 अंक
- आत्मनिर्भर समूह (एस० एच० जी०) बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (एस० बी० एल० पी०), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता न्यूनीकरण और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। (The Self Help Group (SHG) Bank Linkage Programme (SBLP), which is India's own innovation , has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programmes. Elucidate.) (2015) 12.5 अंक
- पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। (How can the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of the environment? Discuss throwing light on the major constraints.) (2015) 12.5 अंक
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिये। (The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine.) (2014) 12.5 अंक
- स्वयं सहायता समूहों की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाइयों का, इस अवधारणा की सतत सफलता के लिए योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिए। (The legitimacy and accountability of Self Help Groups (SHGs) and their patrons, the micro-finance outfits, need systematic assessment and scrutiny for the sustained success of the concept. Discuss.) (2013) 10 अंक

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं

- अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? (e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancements of these features?) (2023) 10 अंक
- "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचना कीजिए। ("The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss.) (2020) 10 अंक
- सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई-सी-टी-) आधारित परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। (Implementation of information and Communication Technology (ICT) based Projects / Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation.) (2019) 10 अंक
- ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए। (E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the 'use value' of information. Explain.) (2018) 10 अंक
- भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनीय नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिए। (Electronic cash transfer system for the welfare schemes is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. Comment.) (2013) 10 अंक

नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय

- "सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। विवेचना कीजिए। ("Recent amendments to the Right to information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss) (2020) 10 अंक
- नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। (The Citizen's Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens' Charter.) (2018) 15 अंक
- जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people.) (2017) 10 अंक
- सत्यम् कलंकपूर्ण कार्य (2009) के प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। (In the light of Satyam Scandal (2009), discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency, accountability.) (2015) 12.5 अंक
- यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं।" समालोचनापूर्वक मूल्यांकन कीजिए। ("If amendment bill to the Whistleblowers Protection Act, 2011 tabled in the Parliament is passed, there may be no one left to protect." Critically evaluate.) (2015) 12.5 अंक
- यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा-पत्र (चार्टर) बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए। (Though Citizens' charters have been formulated by many public service delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizens' satisfaction and quality of services being provided. Analyse.) (2013) 10 अंक

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका

- "आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। ("Institutional quality is crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Services for strengthening democracy.) (2020) 10 अंक
- प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। (Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services. Comment.) (2017) 15 अंक
- 'ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल' के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है । (In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India.) (2016) 12.5 अंक
- पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिए। ("Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India." Comment.) (2016) 12.5 अंक
- क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। (Has the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow change in India? Critically examine.) (2014) 12.5 अंक
- 'राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।' विवेचना कीजिए। ('A national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs.' Discuss.) (2013) 10 अंक

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2023 तक पूछे गए प्रश्नों (राजव्यवस्था एवं शासन खंड के लिए) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए दिए QR कोड को स्कैन कीजिए।	

11. परिशिष्ट (Appendix)

परिशिष्ट: प्रमुख आंकड़े एवं तथ्य

विषय	संवैधानिक प्रावधान/ आंकड़े	न्यायिक निर्णय/ सिफारिशें
आरक्षण	▶ **अनुच्छेद 15(4)**: सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs), SCs और STs के लिए **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।** ▶ **अनुच्छेद 15(6) और 16(6):** शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में EWS के लिए 10% आरक्षण **(103वां संशोधन अधिनियम 2019)।** ▶ **अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 16(4B):** पदों और सेवाओं में आरक्षण की सुविधा। ▶ **अनुच्छेद 46:** राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों में वृद्धि करेगा। ▶ **अनुच्छेद 243D :** पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। ▶ **अनुच्छेद 330:** लोक सभा में **अनुसूचित जनजातियों** के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। ▶ **अनुच्छेद 332:** राज्य विधान सभाओं में **अनुसूचित जनजातियों** के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान।	▶ **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ वाद (1984):** "सन्स ऑफ द सॉयल" के लिए कानून बनाना असंवैधानिक होगा, लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से कोई निर्णय नहीं दिया गया। ▶ **इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ वाद (1992):** ◦ **अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण पर 50% की सीमा** तय की गई। ◦ पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ◦ पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर को OBCs आरक्षण के लाभ से बाहर किया गया। ▶ **एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006):** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। इसके लिए निम्नलिखित तीन शर्तों को शामिल किया गया: ◦ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा। ◦ उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य। ◦ समग्र प्रशासनिक दक्षता। ▶ **राम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ वाद (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों की गैर-जाति आधारित पहचान की आवश्यकता का सुझाव दिया। ▶ **जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए SCs और STs के पिछड़ेपन को दर्शाने हेतु मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द कर दिया। ▶ **जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद (2022):** सुप्रीम कोर्ट ने **103वें संविधान संशोधन अधिनियम** को बरकरार रखा। यह अधिनियम **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण** का प्रावधान करता है।

 © Vision IAS

नागरिकता

- **अनुच्छेद 5:** संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
- **अनुच्छेद 6:** पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- **अनुच्छेद 7:** पाकिस्तान को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- **अनुच्छेद 8:** भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
- **अनुच्छेद 9:** किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
- **अनुच्छेद 10:** नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
- **अनुच्छेद 11:** संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना।

हेट स्पीच

- **अनुच्छेद 19(2):** इसके तहत लोक व्यवस्था, अपराध के लिए उकसावे और राज्य की सुरक्षा के आधार पर घृणास्पद भाषण पर रोक लगाई गई है।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023 {धारा 353(2)}:** विभिन्न धार्मिक समूहों आदि के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना फ़ैलाने के लिए कारावास (तीन वर्ष तक की अवधि तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों) का दंड दिया जाएगा।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8):** यह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाए गए हों।
- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (धारा 7):** अस्पृश्यता को बढ़ावा देने पर दंड का प्रावधान करता है।
- **प्रवासी भलाई संगठन बनाम यू.ओ.आई. और अन्य वाद (2014):** न्यायालय ने घृणास्पद भाषण से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना को स्वीकार किया और इस मामले को गहन जांच के लिए विधि आयोग को भेज दिया।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब इससे हिंसा भड़के या सार्वजनिक अव्यवस्था फैले।
- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने भाषण की स्वतंत्रता के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और घृणा एवं सांप्रदायिक वैमनस्य को फैलने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

अनुच्छेद 142

- **भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002)** में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए **"विशाखा दिशा-निर्देश"** जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप, अंततः **"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013"** बनाया गया था।
- **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य वाद (2020)** में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सहदायिक/ समान उत्तराधिकार (Coparcener) संबंधी अधिकारों पर परस्पर विरोधी निर्णयों का समाधान किया था।
- **सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया वाद (2020)** में, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन आर्मी में महिला अधिकारियों को **स्थायी कमीशन** देने का निर्णय दिया था।

समान नागरिक संहिता

- **शाह बानो वाद (1985):** सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के बीच UCC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **विधि आयोग (2018):** अब UCC की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है।
- **विधि आयोग (2022):** UCC पर सार्वजनिक और धार्मिक लोगों की राय की मांग की गई।

नौवीं अनुसूची

- इसे **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 31B** सम्मिलित करके संविधान में जोड़ा गया था।
- **अनुच्छेद 31B** में कहा गया है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी अधिनियम/ विनियम को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे किसी संविधान के **भाग 3** के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं।

- **वामन राव बनाम भारत संघ वाद, 1981:** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में 24 अप्रैल, 1973 से पहले किए गए संशोधन वैध हैं। यह **फैसला केशवानंद भारती के निर्णय और मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास के अनुरूप** था।
- **आई. आर. कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद, 2007:** नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस वाद में निर्णय दिया था कि **नौवीं अनुसूची** को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसे **संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती** दी जा सकती है।

परिसीमन

- **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत,** संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए।
- **संविधान के अनुच्छेद 170** के तहत, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।

राजकोषीय संघवाद

- **सातवीं अनुसूची:** संघ और राज्य सूचियों में कर आधारों का निर्धारण **(अनुच्छेद 246)**
- **राजस्व का वितरण:**
  - **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।
  - **अनुच्छेद 269-A:** अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर वस्तु और सेवा कर।
  - **अनुच्छेद 270:** वित्त आयोग के अनुसार संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण।
- **सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):** अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान।
- **ऋण:**
  - संघ घरेलू स्रोतों से या बाहर से धन उधार ले सकता है (अनुच्छेद 292)।
  - राज्य केवल घरेलू स्रोतों से ही धन उधार ले सकते हैं (अनुच्छेद 293)।
- संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय करने के लिए **वित्त आयोग का गठन** किया गया **(अनुच्छेद 280)।**

 © Vision IAS

अंतर्राज्यीय जल विवाद	▶ **सातवीं अनुसूची:** जल राज्य सूची **(प्रविष्टि 17)** का विषय है तथा संघ सरकार की संवैधानिक भूमिका केवल अंतर-राज्यीय जल **(प्रविष्टि 56, संघ सूची)** के मामले में है। ▶ **अनुच्छेद 262:** संसद के पास अंतर्राज्यीय जल विवादों (ISWDs) के निर्णय के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ▶ **राष्ट्रीय जल नीति 2012:** जल की अभावग्रस्तता, वितरण संबंधी असमानताओं का समाधान करना और **जल संसाधनों की एकीकृत योजना को लागू करना।**	▶ **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग** ने सभी अंतर्राज्यीय नदियों को विनियमित, विकसित और नियंत्रित करने के लिए नदी बोर्डों के गठन और उनके अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने की सिफारिश की।
राज्यपाल	▶ **अनुच्छेद 163** में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल **मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य** करने के लिए बाध्य है। हालांकि, कुछ मामलों में राज्यपाल अपने **विवेक से कार्य** कर सकता है। ▶ संविधान के **अनुच्छेद 200** के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है।	▶ **नबाम रेबिया वाद (2016):** इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है, तो **उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।** ▶ **पंजाब राज्य वाद (2023):** यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है, तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ▶ **तमिलनाडु राज्यपाल वाद (2023):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्यपाल राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधान-मंडल उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब **राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है।** ▶ **सरकारिया आयोग:** राज्यपाल को **राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।** केवल असंवैधानिकता (संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होने) जैसे दुर्लभ मामलों के तहत ही राज्यपाल को अपनी **विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** रखना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	▶ **69वें संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा संविधान में जोड़े गए **अनुच्छेद 239AA** ने **दिल्ली को विशेष दर्जा** प्रदान किया (एस. बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर)। ○ इसमें यह प्रावधान है कि **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधान सभा होगी।** ○ **विधान सभा को पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि के विषयों को छोड़कर** राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। ○ किसी विषय पर उपराज्यपाल (LG) और उनके मंत्रियों के बीच **मतभेद की स्थिति में, LG विषय को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।**	

संसदीय विशेषाधिकार	▶ **संसद/ राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों और उसके सदस्यों** तथा समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194)। ▶ **कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार** {अनुच्छेद 105(2), अनुच्छेद 194(2)}। ▶ **अनुच्छेद 121** सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।	▶ **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधायिका के सदस्यों को उन सभी सिविल और **आपराधिक कार्यवाहियों** के मामले में प्रतिरक्षा के व्यापक संरक्षण की आवश्यकता है, जो उनके भाषण या वोट से संबंधित हैं। ▶ **एम. एस. एम. शर्मा वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब भी भाग V, अनुच्छेद 194(3) (विशेषाधिकार) के प्रावधान और भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
लोक सभा अध्यक्ष का पद	▶ **अनुच्छेद 93:** लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान। ▶ **अनुच्छेद 94:** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाना। ▶ **अनुच्छेद 96:** जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा।	▶ **नबाम रेबिया वाद (2016):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का नोटिस दिया गया है, तो उसे विधायकों/ सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
दल-बदल रोधी कानून	▶ **52वां संशोधन अधिनियम 1985** ▶ **दसवीं अनुसूची** को दल-बदल रोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है।	▶ **होतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु और अन्य वाद (1992):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, लेकिन अध्यक्ष/ सभापति द्वारा निर्णय लेने से पहले यह उपलब्ध नहीं हो सकती है। ▶ **कैशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा एवं अन्य वाद, 2020:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत **अयोग्यता वाली याचिकाओं पर** अध्यक्ष द्वारा **तीन महीने के भीतर निर्णय** लिया जाना चाहिए। ▶ **"शासन में नैतिकता" शीर्षक वाली दूसरी ARC रिपोर्ट और विभिन्न अन्य विशेषज्ञ समितियों** ने सिफारिश की थी कि दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के मुद्दे के संबंध में चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

प्रत्यायोजित विधान

- **केरल राज्य विद्युत बोर्ड वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों सहित किसी **प्रत्यायोजित विधान** के जरिए उस संसदीय कानून को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह शक्ति प्राप्त करता है, बल्कि इसे मूल कानून का पूरक होना चाहिए।
- **विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (विमुद्रीकरण संबंधी वाद), 2016: सुप्रीम कोर्ट** ने विमुद्रीकरण पर **केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए** प्रत्यायोजित विधान की वैधता को यथावत रखा।
- **डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य वाद (1959):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत के संविधान का **अनुच्छेद 312** प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों से संबंधित है।

जेल सुधार

- **कुल कैदी:** लगभग 5.73 लाख, जेल की क्षमता लगभग 4.36 लाख (जेल सांख्यिकी भारत, 2022)
- **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी:** कुल कैदियों में 77.1% विचाराधीन कैदी हैं (जेल सांख्यिकी भारत, 2022)
- **जेल में महिला कर्मचारियों की कम संख्या: केवल 13.77%**
- **जेल बजट:** जेल बजट का केवल **0.6 प्रतिशत ही कैदियों के व्यावसायिक/ शैक्षिक प्रशिक्षण पर और मात्र 1 प्रतिशत उनके कल्याण से संबंधित गतिविधियों** पर खर्च किया जाता है।

- **गृह मामलों पर संसदीय समिति की सिफारिशें:**
  - **"गरीब कैदियों के लिए सहायता कार्यक्रम"** का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
  - **जमानत पर छूटे कैदियों की निगरानी करने के लिए तकनीक का उपयोग** किया जाना चाहिए। इसके लिए **ट्रैक किए जा सकने वाले ब्रेसलेट** जैसे उपकरणों की मदद ली जा सकती है।
- **जेल सुधार पर मुल्ला समिति, 1980**
  - **भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा** नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने की आवश्यकता है।
  - प्रेस और अन्य लोगों को समय-समय पर जेलों के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अधिकरण

- **अनुच्छेद 323A:** यह **संसद** को लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए **प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।** संसद केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अधिकरणों का गठन कर सकती है।
- **अनुच्छेद 323B:** इसके तहत अन्य विषयों **(जैसे- कराधान, भूमि सुधार आदि)** के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन विषयों के लिए **संसद या राज्य विधान-मंडल** कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकते हैं।

- **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति, 2015:** अधिकरण के काम-काज की देखरेख के लिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) का गठन किया जाए।

	○ **2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था** कि **अनुच्छेद 323B** के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं हैं। राज्य **विधान-मंडल** संविधान की **सातवीं अनुसूची** में उल्लिखित उनके अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर **अधिकरण का गठन कर सकते हैं।**	
न्यायपालिका	▶ **अनुच्छेद 20** (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार), **अनुच्छेद 21** (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार), **अनुच्छेद 22** (कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार) ▶ **लंबित मामले:** अकेले सुप्रीम कोर्ट में 85,000 से अधिक मामले लंबित हैं (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड) ▶ **न्यायपालिका में महिला जज:** हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रमशः 13.4% और 9.3% महिला जज हैं (न्यायपालिका की स्थिति रिपोर्ट 2023) ▶ **न्यायिक नियुक्ति:** राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श (जैसा कि वह आवश्यक समझे) के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा (अनुच्छेद 124)। ▶ **निःशुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A):** राज्य को समान अवसर के साथ न्याय सुनिश्चित करने चाहिए, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भी शामिल है।	▶ **फर्स्ट जजेज़ केस, 1981 या एस. पी. गुप्ता मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को "ठोस कारणों" के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। ▶ **सेकंड जजेज़ केस, 1993 {सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCARA) बनाम भारत संघ}:** भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। ▶ **थर्ड जजेज़ केस, 1998:** भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।
राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र	▶ **दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति** जैसी समितियों ने देश में राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की सिफारिश की है। ▶ **राजनीतिक दल (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 का मसौदा:** इसका उद्देश्य चुनावों में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के गठन, कार्यप्रणाली, वित्त-पोषण, लेखा एवं लेखापरीक्षा तथा अन्य मामलों को विनियमित करना है।	
राजनीति का अपराधीकरण	▶ **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद (2002):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का **मूल अधिकार** प्राप्त है। ▶ **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (2004):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित** कर दिया था। यह धारा उम्मीदवारों को केवल इस अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करती थी।	

- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की **धारा 8(4)** को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
  - **इससे पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 8(4)** के तहत किसी मामले में दोषी ठहराया गए सांसद/ विधायक को अपनी दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें **न्यायालय से सजा प्राप्त होने के तीन माह के भीतर** उच्चतर न्यायपालिका में अपील करने की अनुमति दी गई थी, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते थे।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने **राजनीतिक दलों** को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को **अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार-पत्रों** में प्रकाशित करने का आदेश दिया था।

नगरपालिका चुनाव

- **नगरपालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243R):** नगरपालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
- **सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T):** इसमें संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार **पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समूहों** के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- **नगरपालिकाओं का कार्यकाल (अनुच्छेद 243U) :** प्रत्येक नगरपालिका अपने **प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष** तक बनी रहेगी।
- **राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA):** यह नगरपालिकाओं के लिए **मतदाता सूची तैयार** करता है। साथ ही, **नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण** करता है।

इंटरनेट शटडाउन

- **इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885"** के तहत अधिसूचित **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017** द्वारा शासित किया जाता है।
  - ये नियम एक क्षेत्र में **पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर** एक बार में 15 दिनों तक **दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति** देते हैं।
- केवल संघ/ राज्य के गृह सचिव द्वारा ही **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन** हेतु आदेश जारी किए जाते हैं।

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कि इंटरनेट की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है, जिस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध स्वीकार्य हैं। **इस संदर्भ में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए थे:**
  - इंटरनेट का निलंबन **केवल अस्थायी अवधि के लिए** ही किया जा सकता है।
  - इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश **न्यायिक समीक्षा के अधीन** होगा।
- **फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर वाद (2020):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार्य किया कि अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय के अधिकारों व राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।
- **संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर एक नज़र:**
  - **इंटरनेट शटडाउन के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र** स्थापित करना चाहिए।

		○ दूरसंचार विभाग को सम्पूर्ण इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के उपयोग को चयनित रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

सेंसरशिप

- **सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम:** ये नियम डिजिटल मीडिया जैसे- सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स आदि पर प्रसारित सामग्री को विनियमित करते हैं।
- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995:** इसके तहत समाचार प्रसारणकर्ता संघ और भारतीय प्रसारण फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर टेलीविजन पर कार्यक्रमों के प्रसारण को विनियमित किया जाता है।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CFBC):** फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI):** समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों के अनुपालन एवं उनमें सुधारों को लागू करता है।

पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण

- **अनुच्छेद 32:** सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है (**अनुच्छेद 226** के तहत देश के सभी हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकते हैं।)
- **अनुच्छेद 142:** यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में **'पूर्ण न्याय (Complete justice)' करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान** करता है।

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त **वातावरण का अधिकार** अनुच्छेद 21 में निहित है। कोर्ट ने कहा कि रोग और संक्रमण से मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक आवश्यक हिस्सा है, और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- **रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद, (1988):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण यानी बेहतर पर्यावरण में रहने के अधिकार को मान्यता दी थी।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1987):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार** को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है।
- **वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ वाद (1996):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **"एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle)"** और **"प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter Pays Principle)"** वस्तुतः "संधारणीय विकास" की अनिवार्य विशेषताएँ हैं।

भारत में मंदिरों का विनियमन

- **अनुच्छेद 25(1):** यह अनुच्छेद **धार्मिक स्वतंत्रता** प्रदान करता है। **अनुच्छेद 25(2):** यह अनुच्छेद **कुछ धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप** को वैधता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धार्मिक आचरण से जुड़े क्रियाकलापों के विनियमन के लिए कानून बना सकता है या धार्मिक संस्थानों को विनियमित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 26:** यह अनुच्छेद **धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान** करता है। हालांकि, ये धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जा सकते हैं।
- **अनुसूची VII के तहत सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28:** यह प्रविष्टि संघ और राज्य विधान-मंडल, दोनों को **"धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती (Charitable and religious endowments) तथा धार्मिक संस्थाओं"** पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
- **शेषम्मल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (1972) मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **किसी मंदिर में अर्चक (पुजारी) की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य** है तथा इन पुजारियों (अर्चकों) द्वारा किए जाने वाले केवल धार्मिक अनुष्ठान ही धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं।
- **केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर वाद, (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से संबंधित संपत्तियों पर पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार को **शेबैतशिप (Shebaitship) अधिकार (मंदिर के प्रबंधन का अधिकार)** प्रदान किया था।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

- **अनुच्छेद 243H:** राज्य का विधान-मंडल कानून बनाकर राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए **सहायता अनुदान का प्रावधान** कर सकता है।
  - यह पंचायतों को **कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, उसे एकत्र करने एवं आवंटित** करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 243-I:** इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करने हेतु **हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन** किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 280(3)(bb):** केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य में **पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश** करे।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

वीकली फोकस: राजव्यवस्था एवं शासन

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची – क्या इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है?	
2.	शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना	
3.	भारत में राजकोषीय संघवाद की बदलती स्थिति	
4.	संवैधानिक नैतिकता	
5.	सरकारी बजट: क्या, क्यों और कैसे?	
6.	अंतर्राज्यीय जल अभिशासन– संघर्ष से सहयोग तक	
7.	मीडिया में सेंसरशिप: एक आवश्यक बुराई?	
8.	भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली: न्याय प्रदान करने के लिए संस्थानों में सुधार	
9.	सहकारिता: सहयोग के माध्यम से समृद्धि	
10.	अनूठा भारतीय संघवाद: विकसित होते आयाम और उभरते सरोकार	

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
11.	चुनावी सुधार: प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक दृष्टिकोण	
12.	संवैधानिक लोकाचार: भारतीय संविधान का सारतत्व	
13.	संवैधानिक लोकाचार: सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए लोकतंत्र	
14.	संवैधानिक लोकाचार II विविधता में एकता – पंथनिरपेक्षता	
15.	संवैधानिक लोकाचार III विविधता में एकता – बहुभाषावाद	
16.	प्रौद्योगिकी गवर्नेंस: लोक नीति के नए युग का निर्माण	
17.	संवैधानिक लोकाचार IV: स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता	
18.	भारत में भ्रष्टाचार से निपटने का प्रयास अभी भी जारी	
19.	शासन की नई परिभाषा: प्रशासनिक सुधारों की ओर भारत के बढ़ते कदम	

 © Vision IAS

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
18 जुलाई | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision_ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची